लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड १०, १९५७

(९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

2nd Lok Sabha

(Third Session)

(खण्ड १० में अंक २१ से ३२ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

314 LSD--1

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १०—अंक २१ से ३२—दिनांक ६ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

अंक २१, सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५७

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९०० से ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९१२ से ९१४, ९१६ और ९१८ से ९२१	२०८५–२१०७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९०५, ९१०, ९११, ९१५, ९१७, ९२२ से ९२८ और ४८७	२१०८–१३
अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ से १३७१ और १३७३ से १३७५	२११३–५०
मूंदड़ा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में	२१५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१५०
राज्य सभा से संदेश	२१५०–५१
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना	२१५१
कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक	
विचार के लिए प्रस्ताव	२१५१–८३
दैनिक संक्षेपिका	२१८४–८८

अंक २२, मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२९ से ९३६, ९३८ से ९४०, ९४२ से ९४८, ९५२ से ९५४ और ९५६	२१८९–२२१५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४९, ९५१, ९५५, ९५७ से ९६२, ९६२-क, ९६३ से ९७९, ९७९-क, ९८० और ९८१	२२१५–२७
अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८८ और १३९० से १४६०	२२२७–६२

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२२६२–६३
कार्य मंत्रणा समिति--	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	२२६३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक--	
विचार के लिए प्रस्ताव	२२६३–२३०१
खण्ड २ और १	२२८५–२३००
पारित करने के लिए प्रस्ताव	२३००
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक --	
विचार के लिए प्रस्ताव	२३०१–०४
दैनिक संक्षेपिका	२३०५–१०
अंक २३, बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८४, ९८६, ९८७, ९९० से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९८ से १०००, १००२, १००४, १००८ से १०१० और १०१४ से १०१९	२३११–३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९३, ९९७, १००१, १००३, १००५ से १००७, १०११ से १०१३, १०२० से १०२५ और १०२७ से १०५२	२३३६–५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५४४	३३५३–९०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२३९०–९२
राज्य सभा से सन्देश	२३९२
भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया	२३९२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	२३९३

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
पंद्रहवां प्रतिवेदन	२३९३
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३९३–२४२१
खण्ड २ से ८ और १	२४१३–२०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२४२०
दिल्ली विकास विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२४२१–४३
दैनिक संक्षेपिका	२४४४–५०
अंक २४, गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५ से १०६१, १०६३, १०६६, १०६७, १०६९ से १०८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५४, १०६२, १०६४, १०६५ और १०६८	२४७५–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६०२, १६०४ और १६०५	२४७७–२५०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०३–०४
राज्य सभा से सन्देश	२५०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
ब्योर मिल्स कानपुर में कामगरों की 'भीतर रहो' हड़ताल	२५०४–०५
समिति के लिये निर्वाचन	२५०५
नागरिकता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	२५०५–०६
सभा का कार्य	२५०६
दिल्ली विकास विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार करने का प्रस्ताव	२५०६–५८
खण्ड २ से ६० और १	२५२०--५६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५५६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

और

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायें पर कर (वितरण) विधेयक—
(असमाप्त)

विचार करने का प्रस्ताव २५५७–६६

दैनिक संक्षेपिका २५६७–७०

अंक २५, शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८६, १०८८ से १०९०, १०९८, १०९९ और ११०३ से १११२ २५७१–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७, १०९१, १०९२ से १०९७, ११००, ११०१, और १११३ से ११२५ २५९६–२६०४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ से १६७२ २६०५–३२

सभा का कार्य २६३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि २६३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २६३२

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित २६३३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २६३३–५३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

पृष्ठ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २६५३–५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २६५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प २६५६–६८

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प २६६८–६९, ३६७२–८०

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—पुरःस्थापित २६६९–७१

उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य २६७२

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण के लिये एक समिति गठित करने के बारे में संकल्प २६८०

दैनिक संक्षेपिका २६८१–८५

अंक २६, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २६८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८७

सभा का कार्य २६८७,२६८८–८९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें २६८९–२७०३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २७०४–२७

खण्ड २, ३ और १ २७२४–२७

पारित करने का प्रस्ताव २७२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७२७–३३

दैनिक संक्षेपिका २७३४

अंक २७, सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११२८, ११३० से ११३३, ११३७, ११४२, ११४४, ११४७, ११४९, ११५०, ११५२, ११५६, ११५७, ११६०, ११६२, ११६३ और ११६७ से ११६९ २७३५–६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २७६०–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६-क, ११२९, ११३४ से ११३६, ११३८ से ११४१, ११४३, ११४५, ११४६, ११४८, ११५१, ११५३ से ११५५, ११५८, ११५९, ११६१, ११६४ से ११६६ और ११७१ से ११८९ २७६२–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ से १७३३ २७७७–२८०६

स्थगन प्रस्ताव--

हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध २८०६–०७

राज्य-सभा से संदेश २८०७

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक--

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २८०७

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित २८०८

विनियोग (संख्या ५) विधेयक--पुरःस्थापित--

विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव २८०८–१०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८१०–३७

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २८३७–४९

जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन २८४९–६०

कार्य मंत्रणा समिति--

सोलहवां प्रतिवेदन २८५३

दैनिक संक्षेपिका २८६१–६६

अंक २८, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११९० से ११९२, ११९४ से १२०२ और १२०४ २८६७–९१

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, १२०३, १२०५ से १२२७ और ६०८	२८६१–२६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७८२, १७८४ से १७६५ और १७६७ से १८०२	२६०२–२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६२६–३०
कार्य मंत्रणा समिति--	
सोलहवां प्रतिवेदन	२६३०–३१
वेतन ायोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	२६३१
सदस्य की दोष-सिद्धि	२६३१
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	२६३२
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२६३२–७२
सभा का कार्य	२६५८–५६
दैनिक संक्षेपिका	२६७३–७७
अंक २६, बुधवार, १८ दिसम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२८, १२२६, १२३२ से १२३५, १२३७, १२३८, १२४१ से १२४३, १२४५, १२४७ से १२५०, १२५२, १२५४ से १२५६ और १२५८	२६७६–३००३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३०, १२३१, १२३६, १२४०, १२४४, १२४६, १२५१, १२५३, १२५७, १२५६, १२७१, १२७१-क १२७२ से १२६०, १२६०-क और १२६१ से १३००	३००३–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८५०, १८५२ से १८८७, १८८७-क, १८८८ से १८६०, १८६२ से १८६६, १८६६-क, और १८६७ से १६०४	३०२५–७१
जानकारी के लिये प्रश्न	
स्थगन प्रस्ताव--	
हावड़ा में बिजली की रेल सेवा के उद्घाटन के समय हुई घटनायें	३०७२–७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०७५-७६, ३११५

राज्य सभा से संदेश ३०७६

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक---

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३०७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---

बारहवां प्रतिवेदन ३०७७

याचिका समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

प्राक्कलन समिति---

प्रथम प्रतिवेदन ३०७७

लोक लेखा समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक---

विचार करने का प्रस्ताव ३०७७-९५

खण्ड २ से ७, अनुसूचियां और खण्ड १ ३०९१-९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३०९३

रामनाथपुरम में उपद्रवों के सम्बन्ध में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे के सम्बन्ध में ३०९५-९८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३०९८-३११४

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३११५-२३

दैनिक संक्षेपिका ३१२३-३०

अंक ३०, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०८, १३११ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२० से १३२३, १३२४-क और १३२८ से १३३० ३१३१-५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ३१५४-५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३१०, १३१४, १३१६, १३२४ से १३२७, १३३१ से १३४२, १३४५ से १३५८, १३६० से १३७८ और १३७८-क ३१५६–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६२१, १६२३ से १६२६, १६२६-क, १६३० से १६७७, १६७७-क, १६७८ से १६६३ और १६६५ से २०२७ ३१७६–३२२७

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल की कथित धमकी ३२२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२२७

राज्य-सभा से संदेश ३२२८, ३२७६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२२६–६५

भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२६५–७८

संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

दैनिक संक्षेपिका ३२८१–८८

अंक ३१, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८७, १३६० से १३६५, १३६७ से १४०१ और १४१४ ३२८६–३३१६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ३३१६–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३८८, १३८६, १३६६, १४०२, १४०३-क, १४०४ से १४१३, १४१४-क, १४१५ से १४२५ और १४२७ से १४३३ ३३२०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२८ से २०५० और २०५२ से २१४० ३३३५–८२

श्री लिंगराज मिश्र का निधन ३३८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३८३–८४

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३३८४

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	३३८४-८५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३८५–३४२०
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की शुद्धि	३३८५
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	३४२०-४४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
बारहवां प्रतिवेदन	३४४०
दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक--पुरःस्थापित किया गया	३४४०-४१
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया --	३४४१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक--वापिस लिया गया	३४४१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्योहारों को सवेतन छुट्टी विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	३४४१–४६
स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिए दण्ड सम्बन्धी विधेयक	३४४६–६३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३४६३
वनस्पति तथा अग्नि शामक पदार्थों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा	३४६३–६६
दैनिक संक्षेपिका	३४६७–७४
अंक ३२। शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	३४७५-७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४७६-७७
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--	
दूसरा प्रतिवेदन	३४७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कानपुर में मिलों का बन्द होना	३४७८
जानकारी का प्रश्न	३४७९
अनुपस्थिति की अनुमति	३४७९

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक--	**पृष्ठ**
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन से सहमति	३४८०
सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री कियारों पर कर (वितरण) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन से सहमति	३४८०-८१
डफरीन की काउन्टेस निधि विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३४८१-९४
खण्ड २-४ और १	३४९४-९६
पारित करने का प्रस्ताव	३४९६
भाषण में से कुछ अंश निकालने के बारे में प्रश्न	३४९७-९८
सभा का कार्य	३४९८
नागरिकता संशोधन विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	३४९८-३५०४
खण्ड २ और १	३५०३
पारित करने का प्रस्ताव	३५०३
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार करने का प्रस्ताव	३५०४-३०
खण्ड २-३३ और १	३५१३-३०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३५३०
दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक---राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	
पारित करने का प्रस्ताव	३५३०-३७
खण्ड १ और २	३५३६-३७
पारित करने का प्रस्ताव	३५३७
दैनिक संक्षेपिका	३५३८-३९
सत्र की कार्यवाही का सारांश	३५४०-४१

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

'विमको' (दियासलाई के कारखाने) में हड़ताल

†*९००. श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरेली में 'विमको' (दियासलाई के कारखाने) में लगातार हड़ताल चलने के फलस्वरूप सरकार को उत्पादन शुल्क का लगभग एक लाख रुपये का प्रतिदिन घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस हड़ताल को समाप्त करने और लगातार हो रहे इस घाटे से बचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। जब तक दियासलाइयां चोरी से कारखाने से हटायी नहीं जातीं तब तक राजस्व की कुछ भी हानि नहीं होती ।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि 'विमको' का विवाद उत्तर प्रदेश राज्य-सरकार के क्षेत्र में पड़ता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या 'विमको' कारखाने वाले पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन के निर्णय के विरुद्ध वैज्ञानिकन लागू करने वाले हैं और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये श्रम मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री ब० रा० भगत : हमें उस के बारे में कोई जानकारी नहीं है । यह प्रश्न उस मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर श्रम मंत्रालय से ही मांगा गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : मूल प्रश्न वास्तव में श्रम मंत्रालय से ही पूछे जाने के लिये था क्योंकि श्रम समवर्ती विषय है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कठिनाई समझ रहा हूं । लेकिन अभी इसे तुरन्त ही नहीं बदला जा सकता । माननीय सदस्य किसी दूसरे अवसर पर यह प्रश्न पूछ लें ।

†**श्री कमलनयन बजाज** : क्या यह सच नहीं है कि दियासलाइयों पर जो उत्पादन-शुल्क लगाया गया है उस का देश के लघु कुटीर उद्योगों पर, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** मेरे ख्याल से यह प्रश्न तो इस से उत्पन्न नहीं होता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह तो बहुत ही सामान्य प्रकार का प्रश्न होगा जो इस प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता । क्या माननीय सदस्य को कोई और अनुपूरक प्रश्न पूछना है ?

†**श्री कमलनयन बजाज** : जो बात मैं पूछना चाहता था वह . . . . . :

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि उस प्रश्न के क्षेत्र में यह अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । अगला प्रश्न ।

द्वितीय वेतन आयोग

†*९०१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय वेतन आयोग ने कोई प्रश्नावली निकाली है; और

(ख) यदि हां, तो उस का स्वरूप क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि कोई प्रश्नावली नहीं निकाली गयी है, तो क्या केन्द्रीय वेतन आयोग ने अन्य निकायों से ज्ञापन मांगे हैं और यदि हां, तो किन किन निकायों से ज्ञापन मांगें जायेंगे या किन किन निकायों ने ये ज्ञापन दिये हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह जानकारी सरकार के पास है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : हमने पूछताछ की है । वास्तव में, यह बात माननीय सदस्य समझते होंगे कि जिन निर्देश पदों के अधीन इस वेतन आयोग की नियुक्ति की गयी है उस के अनुसार यह अपनी प्रक्रिया अपने आप निर्धारित करता है । इसलिये सरकार आयोग से यह कहने की स्थिति में नहीं है कि उसे क्या करना चाहिये । हम ने पूछ ताछ की थी और हमें पता चला है कि आयोग ने विभिन्न संघों से जो जानकारी मांगी है, उस जानकारी के प्राप्त होने के बाद हो सकता है कि आयोग कोई प्रश्नावली निकाले । सारी बात इतनी ही है । इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कमीशन कोई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट भी दे रहा है या नहीं और यदि दे रहा है तो कब तक उस के प्राप्त होने की आशा की जा सकती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हमें अभी कोई अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब० स० मूर्त्ति : वेतन आयोग पिछले ६ मास से कायम है। जब उस ने अभी तक एक प्रश्नावली तक नहीं निकाली है तो इस बीच वह काम क्या करता रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभात कार ।

†**श्री प्रभात कार** : प्रथम वेतन आयोग ने भी एक प्रश्नावली निकाली थी।

क्या सरकार यह समझती है अपनी उपपत्तियों तक पहुंचने के प्रयोजन से द्वितीय वेतन आयोग के लिये प्रश्नावली निकालना जरूरी है और कि इसे शीघ्र निकाला जाना चाहिये ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो सुझाव है ।

†**श्री प्रभात कार** : यदि सरकार इसे आवश्यक समझती है .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब वह राय हो जायेगी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान डाक तथा तार फेडेरेशन के महा मंत्री के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट हुआ है कि यदि अन्तरिम सहायता के प्रश्न में और विलम्ब किया गया तो फेडेरेशन जनवरी में हड़ताल का नोटिस दे देगा, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है कि अन्तरिम प्रतिवेदन अविलम्ब दे दिया जाये ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह मामला अब आयोग के हाथ में है। मैं ने यह वक्तव्य नहीं देखा है। मामला अब आयोग के हाथ में है। सरकार तो अब केवल आयोग की कार्यवाही की राह ही देख सकती है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : सरकार की पूर्व घोषणाओं का और इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि राज्यों और स्थानीय संस्थाओं के वेतन-क्रमों पर विचार करने की बात आयोग के निर्देश पदों में शामिल कर दी गई है, क्या सरकार ने वेतन आयोग को इस के सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्यवाही करने का भी सुझाव दिया है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : निर्देश पदों में कही गई बातों के अलावा हम ने कुछ भी सुझाव नहीं दिया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या संसद् भी उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी जिसे वेतन आयोग इस समस्या को हल करने के लिये अपनाने वाला है और यदि हां, तो क्या लोक-सभा पटल पर उस का विवरण रखा जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रश्न में किये गये संकेत को समझ नहीं पाया।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या अन्तरिम सहायता का प्रश्न उस प्रश्नावली पर आधारित होगा जो वेतन आयोग ने निकाली है या यह प्रचलित मूल्य देशना के आधार पर होगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं तो वेतन आयोग हूं नहीं। इस बात का निर्णय वेतन आयोग करेगा कि अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर का निबटारा वह किस ढंग से करेगा। मैं यह बता सकने की स्थिति में नहीं हूं कि उन का दिमाग किस ढंग से काम करेगा और वह किस बात के आधार पर सिफारिश करेंगे वह चाहे कुछ भी क्यों न हो।

मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा वैज्ञानिकों को अनुदान

+

†*९०२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रा० च० माझी :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री लोक सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने किन-किन विषयों के लिये वैज्ञानिकों को गवेषणा-अनुदान मंजूर किये थे;

(ख) इन की राशि कितनी कितनी थी और यह कितनी अवधि के लिये दिये गये थे ; और

(ग) इस योजना के अधीन की गई गवेषणाओं के क्या कुछ परिणाम निकले हैं और यदि हां, तो क्या ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (**श्री म० मो० दास**): (क) और (ख). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--४२९/५७]

(ग) गवेषणा अभी जारी है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : वैज्ञानिकों के लिये यह सहायता मंजूर करने की आम प्रक्रिया क्या है ?

†**श्री म० मो० दास** : वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् के पास आवेदन-पत्र आते हैं । फिर ये आवेदन-पत्र विभिन्न गवेषणा-समितियों को सौंप दिये जाते हैं। इन गवेषणा समितियों की संख्या लगभग २५ या २६ है और यह आवेदन-पत्रों की जांच करने के बाद वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् के शासी-निकाय को अपनी सिफारिश दे देते हैं। शासी निकाय यह निश्चय करता है कि अनुदान दिया जाना चाहिये या नहीं और कितनी राशि दी जानी चाहिये, आदि ।

†**श्री स० चं० सामन्त**: क्या वैज्ञानिकों के अलावा गैर-सरकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों आदि को भी अनुदान दिये जाते हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : जी हां । गवेषणा के लिये विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संस्थाओं को भी अनुदान दिये जाते हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जिन वैज्ञानिकों को अनुदान दिये गये हैं उन में से कितने किसी संस्था में और कितने व्यक्तिगत आधार पर गवेषणा कर रहे हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : किसी संस्था, प्रयोगशाला आदि के बिना आधुनिक विज्ञान के बारे में गवेषणा की ही नहीं जा सकती । जो विवरण दिया गया है उस में २७८ मदें हैं । अभी इसी समय यह बताना मेरे लिये कठिन है कि कितने लोग किस संस्था में कार्य कर रहे हैं ।

†**श्री सुबोध हालदा** : चालू वर्ष समेत पिछले तीन वर्षों में कुल कितने अनुदान दिये गये हैं और अकेले वैज्ञानिक को अधिक से अधिक कुल कितना अनुदान दिया गया है ?

†**श्री म० मो० दास** : पिछले तीन वर्षों के आंकड़े यहां मेरे पास नहीं हैं । मेरे पास पिछले वर्ष अर्थात् १९५६-५७ में अलग अलग वैज्ञानिकों को दिये गये अनुदानों की कुल राशि के बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

आंकड़े हैं। कुल राशि २५,६०,००० रुपये होती है। इस वर्ष के आयव्ययक में हम ने इस प्रयोजन के लिये २३ लाख रुपयों का उपबन्ध किया है । किसी एक वैज्ञानिक को दी गई अधिकतम राशि, में इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं बता सकता, लगभग ६०,००० रुपये या उसी के आस-पास होगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यदि कोई एक वैज्ञानिक एक से अधिक विषयों में गवेषणा करना चाहे तो क्या वह वित्तीय सहायता पाने का अधिकारी होगा ?

†**श्री म० मो० दास** : जी हां। वह अधिकारी है और हम ने दी भी है।

†**पण्डित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : जिन लोगों को यह अनुदान दिये जाते हैं क्या उन्हें अपने काम के बारे में छमाही या वार्षिक प्रतिवेदन भी भेजने पड़ते हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : जी हां, प्रतिवेदन मांगे जाते हैं और १९५६-५७ के प्रतिवेदन इस समय संकलित किये जा रहे हैं।

भिलाई में रिफ़ैक्टरी स्टोरेज की इमारत

†*९०३. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई के इस्पात के कारखाने के लिये एक ठेकेदार द्वारा निर्मित रिफ़ैक्टरी स्टोरेज की इमारत उस में सामान रखना शुरू करते ही ढह गई ; और

(ख) उस ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). पूरी इमारत नहीं ढही। फर्श का थोड़ा सा हिस्सा ही कुछ बैठ गया जिस से दीवार कुछ खिसक गई थी। ठेकेदार ने अपने खर्चे पर इस की क्षतिपूर्ति कर दी है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि यह दुर्घटना इस वजह से हुई है कि मूल नक्शे और ब्यौरे में परिवर्तन कर दिया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या दिये गये टेंडरों का ध्यान रखे बिना बातचीत के आधार पर ही इस ठेकेदार को यह काम सौंप दिया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। यह प्रश्न इस से तो उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या कुछ अन्य भवनों के फर्श को भी ब्यौरे के अनुसार कांक्रीट न बनाने की वजह से काफी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे पता नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तुंग गवेषणा केन्द्र

+

६०४. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दो० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ६ सितम्बर, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तुंग गवेषणा केन्द्र की स्थापना के बारे में हुई संगोष्ठी की कार्यवाही इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) संगोष्ठी में हुई चर्चा के आधार पर मूल योजना के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) से (ग). केवल एक सप्ताह पूर्व २६-११-५७ को, भारत की राष्ट्रीय विज्ञान शाला से संगोष्ठी की कार्यवाही की कुछ प्रतियां प्राप्त कर ली गई हैं तथा दो प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। संगोष्ठी के विचारों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक-औद्योगिक-अनुसंधान परिषद् उत्तुंग गवेषणा केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में यथा समय विचार करेगी।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे याद है यह संगोष्ठी मई सन् १६५५ में गुलमर्ग में हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस को केवल अपनी रिपोर्ट देने में ढाई वर्ष का इतना लम्बा समय क्यों लग गया ?

†**श्री म० मो० दास** : यह संगोष्ठी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइन्सेज़ आफ इंडिया ने जो वैज्ञानिकों का एक गैर-सरकारी संगठन है, आयोजित की थी। हमारे लिये यह बताना संभव नहीं है कि उन्हों ने इतना समय क्यों लगाया, न हम गैर-सरकारी संगठनों को अपने प्रतिवेदन प्रकाशित करने में शीघ्रता के लिये बाध्य ही कर सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री केवल संक्षेप में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में क्या सिफारिश की गई है ? आया इसे स्थापित किया जायेगा या नहीं किया जायेगा ?

†**श्री म० मो० दास** : हम ने कहा है कि प्रतिवेदन की कुछ प्रतियां केवल गत सप्ताह में ही हमें मिली हैं। अभी हम पूरा प्रतिवेदन नहीं पढ़ पाये हैं। वह काफ़ी भारी-भरकम प्रतिवेदन है और उसे पूरा पढ़ कर उस के सम्बन्ध में कुछ निर्णय करने में हमें अभी कुछ समय लगेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि इस प्रश्न पर पिछले लगभग पांच या ६ वर्षों से विचार किया जा रहा है और अभी तक केवल विचार ही किया जा रहा है ? इसलिये क्या इस सम्बन्ध में कुछ शीघ्रता से निर्णय करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

†**श्री म० मो० दास** : माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि इन विषयों में सरकार को देश के वैज्ञानिकों की सहायता, राय और सुझावों की बड़ी जरूरत है। एक गैर-सरकारी संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ़ साइन्सेज़ ने एक संगोष्ठी आयोजित की थी। उन के सुझाव हमें पिछले ही हफ्ते मिले हैं। इसलिये उस में कुछ समय लगेगा।

मूल अंग्रेजी में

विश्व युवक संगठन

†*९०६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विश्व युवक संगठन का एक सम्मेलन भारत में अगस्त, १९५८ में होने वाला है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन युवकों की विश्व सभा की भारत समिति[1] से पता चला है कि वह अगस्त, १९५८ में भारत में युवकों की साधारण सभा का अगला अधिवेशन करने वाले हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस आरगेनाइज़ेशन को क्या सहायता प्राप्त होगी और कौन कौन देश इस में शामिल हो रहे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक सरकार को मालूम है ५० देश इस संगठन में सम्मिलित हैं और मेरा ख्याल है कि सभी देशों के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे । सरकार से अभी निश्चित रूप से कोई सहायता नहीं मांगी गई है और यह लिखा गया है कि कानफरेंस के मुताल्लिक जो ज्यादातर खर्चा होगा उस को यह संगठन ही बरदाश्त करेगा ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सम्मेलन किया जा रहा है इस में युवक की क्या परिभाषा होगी क्योंकि मास्को में जो युवक समारोह हुआ था उस में बताया गया कि ५० और ५५ साल के लोग भी जवान समझे गये थे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर देने की जरूरत नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस में भाग लेने के लिये देशों को निमंत्रण संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के आधार पर भेजे जायेंगे या हमारी विदेश-नीति के सिद्धान्तों के आधार पर दिये जायेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसका तो प्रश्न ही नहीं है । यह युवकों की एक विश्व सभा है और यह राष्ट्रीय समितियों की मार्फत काम करती है और स्वाभाविक ही है कि इसके सदस्य संगठनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे ।

†**श्री पाणिग्रही** : मंत्री महोदय ने कहा है कि युवकों का विश्व संघ नाम की विशेष संस्था यह सम्मेलन आयोजित कर रही है । क्या सोवियत संघ और अन्य लोक गणतंत्रों आदि देशों को इसमें भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जा रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बताना सरकार का काम नहीं है कि उन्हें आमंत्रित किया जायगा या नहीं, यह बात तो वह संगठन बतायेगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : उनके पास सूची है, इसी लिये मैं जानना चाहता था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह उन सभी को आमंत्रित करेंगे या नहीं, यह बात तो वह संगठन बतायेगा, सरकार थोड़े ही बतायेगी !

†**श्री वासुदेवन् नायर** : भारत में इस विश्व संघ से संबद्ध कोई इकाई है या नहीं और यदि है तो उसके कितने सदस्य हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]India Committee of Assembly of World Youth.

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : तीन संगठन इस संगठन से संबंधित हैं : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का युवक विभाग, कांग्रेस सेवा-दल और अखिल हिन्दू युवक संघ ।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या सरकार को मालूम है कि सोवियत संघ और चीन के लोक गणतंत्र के युवक संगठन इस संघ से सम्बद्ध नहीं हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनकी इस प्रश्न से कोई संगति नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह जानकारी दे रहे हैं ।

†**श्री पुष्प्स** : भारत के जो संगठन इस विश्व संगठन से सम्बद्ध हैं उनकी कुल सदस्य संख्या कितनी है और क्या ऐसे युवक संगठन भी हैं जो इससे सम्बद्ध नहीं हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । मैं बता चुका हूं कि तीन संगठन ऐसे हैं जो इस संगठन से सम्बद्ध हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि उनकी सदस्य संख्या मालूम है या नहीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं उनकी सदस्य संख्या नहीं बता सकता ।

†**श्री पाणिग्रही** : भारत सरकार इस सम्मेलन के लिये किस प्रकार की सहायता प्रदान करने वाली है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : संगठन ने सरकार को कुछ सहायता देने के लिये लिखा था, लेकिन उसने अभी तक यह नहीं बताया कि उसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, और मुझे बताया गया है कि अधिकांश व्यय वह संगठन स्वयं वहन करेगा ।

श्री हेडा उठे—

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वह अपने आपको युवकों में शामिल कराना चाहते हैं ?

†**श्री हेडा** : कम से कम कुछ संगठनों से मेरा संबंध तो है ही ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है ।

†**श्री हेडा** : क्या भारत के दृष्टिकोण से भारत सरकार इस बात को वांछनीय समझती है कि भारत के कुछ संगठनों को भारत के युवकों का प्रतिनिधि मान लिया जाय, और यदि हां, तो क्या उन्होंने कुछ संगठनों को स्वीकार कर लिया है और यदि ऐसा है तो उन संगठनों के नाम क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार के अपने कोई संगठन नहीं हैं । सरकार लोकतंत्रात्मक ढंग से काम करने वाले सभी संगठनों को बढ़ावा देना चाहती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत पुनर्बीमा निगम[1]

†*९०७. श्री हेडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पुनर्बीमा निगम लिमिटेड के कार्य कलाप का अध्ययन किया है ; और

(ख) क्या वह उसके कार्य से संतुष्ट है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). भारत पुनर्बीमा निगम लिमिटेड ने, जो एक गैर-सरकारी उपक्रम है, १ जनवरी, १९५७ से काम करना आरम्भ किया । उसके पहले वर्ष के कार्य का प्रतिवेदन १९५८ के मध्य में किसी समय मिल सकेगा ।

†श्री हेडा : क्या यह निगम पुनर्बीमा निगम का सारा काम स्वयं कर लेगी अथवा कुछ काम दूसरे अभिकरणों के लिये भी बच जायेगा ?

†श्री ब० रा० भगत : अभी यह बताना कठिन है । निगम ने अभी कार्य करना शुरू किया है । यह आग, पानी तथा सामान्य प्रकीर्ण क्षेत्रों में बीमा का काम करेगा । किंतु यह कुल कार्य का कितने प्रतिशत कार्य कर पायेगा इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूं ।

†श्री बीरेन राय : अगर यह एक गैर सरकारी संस्था है तो क्या मैं जान सकता हूं कि कौन सी कम्पनियां इस पुनर्बित संगठन की सदस्य हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : भारत में सामान्य बीमा का काम करने वाली भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रकार की बीमा कम्पनियां इस संगठन की एकक हैं और उन्होंने इसका पूंजी धन जुटाने में हिस्सा लिया है ।

†श्री बीरेन राय : मैं उनके नाम जानना चाहता था मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी भारतीय कम्पनियां इसमें सम्मिलित हैं अथवा कुछ ?

†श्री ब० रा० भगत : इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

भारत का राज्य बैंक

+

†*९०९. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में अभी तक 'भारत का राज्य बैंक' ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितनी शाखाएं खोली हैं ;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं पश्चिमी बंगाल में खोली गई हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में किसानों को इस अवधि में कुल कितना ऋण दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]India Re-Insurance Corporation.

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में 'भारत का राज्य बैंक' द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखाओं की संख्या क्रमशः ५८ और ६८ है । इसमें क्रमशः ४२ और ५० शाखाएं ऐसे स्थानों पर खोली गई हैं जिनकी जनसंख्या ३०,००० अथवा उससे कम है ।

(ख) इस अवधि में पश्चिमी बंगाल में खोली गई शाखाओं की संख्या क्रमशः ३ और ५ है । इनमें से क्रमशः १ और २ ऐसे स्थानों पर खोली गई जिनकी जनसंख्या ३०,००० अथवा उससे कम की है।

(ग) इसके सही आंकड़े बताना सम्भव नहीं है । क्योंकि "किसान" शब्द का निर्वचन कई प्रकार से किया जा सकता है । अब राज्यों की सीमाएं भी बदल गई हैं । इसलिये आंकड़े इकट्ठे करने में कई प्रकार के रद्दोबदल करने पड़ेंगे । इसमें अत्यधिक समय तथा श्रम लगेगा जिसकी अपेक्षा कोई अधिक फल नहीं निकलेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पश्चिमी बंगाल में मार्च १९५८ तक और कितनी शाखाएं खोली जाने की प्रस्थापना है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्योंकि अब सहकारी बैंकों की संख्या बहुत बढ़ गई है अतः क्या यह सच है कि इस बैंक द्वारा किसानों को दिये जाने वाले अग्रिम धन की मात्रा पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी गिर गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : सहकारी बैंकों को ऋण देना 'भारत का राज्य बैंक' का मुख्य कर्तव्य नहीं है । यह कर्तव्य 'रक्षित बैंक' का है ।

'रक्षित बैंक' कुछ राज्यों में राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक को राज्य सरकार के द्वारा ऋण देता है और कुछ में सीधे । 'राज्य बैंक' का सीधे इसमें कोई संबंध नहीं ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या यह सोचा गया था 'राज्य बैंक' प्रति वर्ष १०० शाखाएं खोलेगा और क्या यह सच है कि 'राज्य बैंक' इसमें असफल रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हां, ऐसा सोचा गया था । मगर बैंक इसमें असफल नहीं रहा है । यह कार्य बड़ी द्रुत गति से हो रहा है । यह देखने के लिये कि बैंक इस कार्य में असफल रहा है अथवा नहीं हमें वह अवधि पूरी हो लेने देनी चाहिए जिसके लिये यह निश्चय किया गया था तभी हम कह सकते हैं कि यह सफल रहा है अथवा असफल ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या सरकार को राज्य बैंक आफ इंडिया की ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें खोलने तथा ग्रामीण ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करने की प्रगति से सन्तोष है और क्या वह यह समझती है कि वह प्रगति अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुरूप है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह एक लम्बा प्रश्न है । इसके पहले भाग का उत्तर मैं माननीय श्री प्रभात कार के प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं । जहां तक ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की

---

†**मूल अंग्रेजी में**

सिफारिशों का सम्बन्ध है, वह इस का सारा भार 'राज्य बैंक' पर नहीं डालती है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हम ने रक्षित बैंक के जरिये कुछ कदम भी उठाये हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि 'साख वाले किसानों' अर्थात् केवल अमीर किसानों को ही ऋण दिये जाते हैं और अन्य किसान, विशेषतया जो बटाई पर फसल करते हैं उन्हें इस ऋण में से कोई राशि नहीं दी जाती है ; यदि हां, तो क्या सरकार गरीब किसानों को भी ऋण प्राप्त करने की सुविधाएं देने के लिये नियमों में कुछ परिवर्तन करेगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कदाचित मेरे मित्र मूल प्रश्न को भूल गये हैं। यह प्रश्न 'राज्य बैंक' से संबंधित है। क्योंकि संस्थाओं के अनुसार जिन किसानों को ऋण के योग्य नहीं समझा जाता है उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य सहकारी संस्थाओं के जिम्मे है क्योंकि उनके यहां संयुक्त उत्तरदायित्व होता है इस लिये वे किसानों के व्यक्तिगत प्रतिभूति के आधार पर भी ऋण दे सकती हैं और वे उसकी सम्पत्ति आदि की क्षमता का अधिक ध्यान नहीं रखतीं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : कोई ब्रांच खोलते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या यह जन संख्या के अथवा कारोबार के आधार पर खोली जाती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जन संख्या का प्रश्न गौण होता है। मुख्य विचार तो यह होता है कि इसमें कितना कारोबार हो सकेगा तथा उस से जनता की कहां तक सेवा की जा सकेगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि कुछ स्थानों पर स्थानाभाव के कारण शाखाएं नहीं खोली जा सकी हैं ; यदि हां, तो क्या ऐसे स्थानों पर अपनी जगह लेने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं ठीक नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात कहां तक ठीक है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, यदि यह बात है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाया गया उपाय बिल्कुल सही है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : बलवन्त राय महता रिपोर्ट के अनुसार यह बात कहां तक सच है कि यह सुविधाएं केवल कागजी सुविधाएं हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ सुधार करने का प्रयास करेगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं ने अभी तक उक्त रिपोर्ट नहीं देखी है। जब तक मैं उसे देख नहीं लेता कि उसका क्या आशय है तथा उसका किस ओर निर्देश है तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

चित्तौड़ का किला

*६१२. **श्री वाजपेयी** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तौड़ का इतिहास प्रसिद्ध किला नितान्त शोचनीय स्थिति में है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि उसकी सफाई, मरम्मत और सुरक्षा की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गयी है, और

(ग) यदि हां, तो इस प्राचीन स्मारक की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि चित्तौड़ के किले में यात्रियों के निवास के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है, इसके कारण जो भी यात्री किला देखने जाते हैं, परेशान होकर वापिस होते हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, डाक बंगला है, उसमें यात्री लोग ठहर सकते हैं और मेरे ख्याल में वह काफी अच्छी सुविधा है ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि चित्तौड़ के कुछ प्रमुख नागरिकों ने वहां पर यात्रियों के निवास के लिये धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव रक्खा है और क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है अगर आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : कुछ वर्ष पहले चित्तौड़ के स्थान को और अधिक रमणीय और आकर्षक बनाने की एक योजना तैयार की गई थी, मैं जानना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यदि माननीय सदस्य चित्तौड़ जाकर देखें तो पायेंगे कि इन पिछले तीन सालों में उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल गई है और जो पुराने खंडहर थे उनकी मरम्मत कर दी गई है और काफी अच्छी हालत में उनको कर दिया गया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि मीराबाई का जो प्रसिद्ध मन्दिर चित्तौड़ के किले में है उसमें एक मूर्ति स्थापना के लिये सरकार विचार कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं ।

श्री प० ला० बारूपाल : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि डाक बंगले में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है तो क्या मैं जान सकता हूं कि डाक बंगले में किस श्रेणी के व्यक्ति ठहर सकते हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : डाक बंगले में सभी लोग ठहर सकते हैं ।

श्री प० ला० बारूपाल : किसान भी ठहर सकते हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वहां ठहरने का पैसा देना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसान भी वहां पर ठहर सकते हैं सिर्फ पैसा देना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प० ला० बारूपाल : कितना पैसा देना पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह तो बहुत मुश्किल है ।

राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

+
†*९१३. { श्री विमल घोष :
श्री तंगामणि :
श्री ग्रासर :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित बातों को दर्शाने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १८ नवम्बर, १९५७ को हुए राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की कार्यावली ;

(ख) क्या इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया है कि कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर की बजाये उन पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगा दिया जाये ;

(ग) यदि हां, तो किन वस्तुओं पर यह अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगेगा ;

(घ) सम्मेलन में अन्य क्या निश्चय किये गये हैं ; और

(ङ) सरकार इन निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १२ नवम्बर, १९५७ को हुए सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उसके सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९४]

(ग) से (ङ). सम्मेलन में अनौपचारिक चर्चा होती है । वह गोपनीय होती है । तथा सम्मेलन में कोई निश्चय नहीं किये गये, जिन विषयों की सम्मेलन में चर्चा को गई था उन के बारे में अभिव्यक्त विचारों के प्रकाश में आगे कार्य करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या खाद्यान्नों की कीमतों को कम करने के लिये उन पर जो बिक्री कर हटाने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया था, यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें इससे सहमत हो गई हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी नहीं ।

†**श्री बासप्पा** : क्या भारतीय कहवा बोर्ड ने भारत सरकार से यह सिफारिश की है कि कहवा पर बिक्री कर की बजाय अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगा दिया जाये ; यदि हां, तो भारत सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस विषय पर सम्मेलन में कोई चर्चा नहीं की गई है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या लघु बचत के प्रश्न पर चर्चा की गई थी ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अधिक प्रभावशाली योजना चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : जी हां । इस विषय पर सम्मेलन में सामान्य चर्चा हुई थी ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस लघु बचत योजना को प्रभावशाली बनाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उपलब्ध सूचना केवल इतनी ही है कि इस विषय पर चर्चा हुई थी

श्री न० रा० मनिस्वामी : करों के अपवंचन को रोकने के लिये तथा आय कर की बकाया को वसूल करने के लिये क्या मंत्रियों ने राज्यों के आय कर अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार देने के लिये कोई ठोस सुझाव रखे हैं जिनसे कि वे संघ को देय समस्त करों को अपनी ओर से जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों (सर्टिफिकेटों) द्वारा वसूल कर सकें ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : इस संबंध में हम ने अपनी कुछ कठिनाइयों को राज्यों के वित्त मंत्रियों को बताया है और उन्होंने यथासम्भव सहयोग देने के लिय आश्वासन दिया है। उनसे हमें सभी सम्भव तथा आवश्यक सहयोग मिलने की आशा है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली यह खबर सच है कि चीनी, कपड़ा और कुछ ऐसी ही वस्तुओं से बिक्री कर हटा लिया जायेगा; यदि हां, तो इस समय व्यापारियों के पास जो स्टाक पड़े हैं उन का क्या होगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जब कोई ऐसा निश्चय होगा तभी यह प्रश्न उठाया जाना चाहिये ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या राज्यों के वित्त मंत्रियों को नये करों द्वारा अपना राजस्व बढ़ाने के लिये कहा गया था, यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न के अन्तर्गत यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है ।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि कई राज्य वित्त मंत्रियों ने यह कहा है कि अगर बिक्री कर की बजाय अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगा दिया जायें तो बिक्री कर से वसूल होने वाले राजस्व की मात्रा की अपेक्षा उस का ५ गुणा अधिक राजस्व बढ़ सकता है, यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कुछ कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, इस विषय पर सामान्य चर्चा की गई थी क्या राजस्व बढ़ेगा अथवा नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या उपाय करते हैं। इस समय इस विषय पर कुछ कहना बहुत अपरिपक्व होगा ।

†**चौ० रणबीर सिंह** : क्या सम्मेलन में पुरानी अनुपयुक्त भू-राजस्व सम्बन्धी पद्धति के बजाय कोई नई प्रगतिशील कराधान नीति अपनाने के बारे में भी चर्चा हुई थी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां, बिक्री कर की बजाय कुछ अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की चर्चा हुई थी । अगला प्रश्न ।

अफीम फैक्टरी, गाजीपुर

*६१४. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर जिले की अफीम फैक्टरी के पास कितनी एकड़ भूमि है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि पोलीटैक्नीक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इंस्टीट्यूट के विस्तार के लिये भूमि देने के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी ;

(ग) यदि हां, तो कितनी एकड़ भूमि की मांग की गयी थी और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार अफीम फैक्टरी की बेकार जमीन पर कोई फैक्टरी निर्माण करने का विचार कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) ११५ एकड़ ।

(ख) पोलीटैक्नीक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के पास से सीधे कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया था । उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशक (डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज) ने उत्तर प्रदेश सरकार की मार्फत केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह पोलीटैक्नीक के विस्तार के लिये, गाजीपुर अफीम डिवीजन की बेकार भूमि और इमारतें उक्त संस्था को दे दे ।

(ग) जितने एकड़ भूमि मांगी गयी थी उस का विवरण इस प्रकार है :

(१) कार्यालय भवन और गोदान	२८२२६.८८ वर्ग फुट
(२) भवन के साथ छोड़ी जाने वाली भूमि	६.३७ एकड़

राज्य सरकार को भूमि तथा इमारतें सौंप देने की बात को अन्तिम रूप दिया ही जाने वाला था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, गाजीपुर के जिला इंजीनियर ने गाजीपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट और कलक्टर को यह सुझाव दिया कि टूटी फूटी दशा में होने के कारण ये इमारतें पोलीटैक्नीक इंस्टीट्यूट के लिये न ली जायें । गाजीपुर के कलक्टर ने यह सुझाव अवश्य रखा कि राज्य सरकार इन इमारतों को केवल इस शर्त पर खरीद सकती है कि केन्द्रीय सरकार इनकी कोई कीमत न मांगें क्योंकि, उनके विचार से, ये इमारतें, टूटी फूटी होने के कारण, बोझ ही अधिक हैं, गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर का यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इमारतों को कोई कीमत लिये बिना ही इन इमारतों और भूमि का हस्तान्तरण कर दिया जाय, क्योंकि केन्द्रीय सरकार को इमारतों को, मूल्य लिये बिना किसी राज्य को दे देने की अनुमति नहीं है ।

(घ) नहीं । उस बेकार भूमि पर कोई कारखाना खोलने का केन्द्रीय सरकार का विचार नहीं है ।

श्री सरजू पांडे वहां पर जो जमीन है, क्या केन्द्रीय सरकार ने उसमें से कुछ हिस्सा पोलीटैक्नीक इंस्टीट्यूट के लिये दे दिया है ?

श्री ब० रा० भगत : मकान के साथ जो जमीन है वह पोलिटैक्नीक इंस्टीट्यूट को किराये पर दे दी गई है ।

†**श्री सरजू पांडे**: जो जमीन वहां पर थी, उस में से सरकार ने कोई प्लाट दिया है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कहा तो गया है कि एक हिस्सा दे दिया गया है ।

श्री ब० रा० भगत : मकान के साथ जो जमीन थी, वह दी गई है, अलग कोई जमीन नहीं दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सरजू पांडे : उस का मुआवजा अभी लगा या नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या मुआवजे की रकम का निश्चय किया जा चुका है ?

श्री ब० रा० भगत : कम्पेन्सेशन किस लिये ? इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता ।

व्यावहारिक अर्थशास्त्र गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद्

+

†*९१६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या व्यावहारिक अर्थशास्त्र गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद् ने सरकार को भारत के कराधान के ढांचे के वर्तमान तथा भावी विनियोजन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तृत अध्ययन के परिणामस्वरूप कुछ सुझाव तथा सिफारिशें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या इन सिफारिशों पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ङ) क्या सरकार उनमें से किसी सिफारिश को कार्यान्वित करना चाहती है, यदि हां, तो किसे सिफारिश को ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) तथा (ख). व्यावहारिक अर्थशास्त्र गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद् ने भारत की कर विधियों के विदेशी विनियोजन पर प्रभाव के संबंध में अपने अध्ययन की एक प्रति सरकार को भेजी है। इसकी सिफारिशों का सारांश पृष्ठ १५४ से १५७ पर दिया हुआ है जिसका उद्धरण लोक-सभा के पटल रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९५]**

(ग) से (ङ). जब कभी भारत सरकार अपनी वित्तीय नीति का पुनरीक्षण करेगी, वह निश्चित रूप से इन सिफारिशों का ध्यान रखेगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या जो सुझाव सरकार को मान्य होंगे उन को कार्यान्वित करने के लिये इस सभा में कोई बिल रखा जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** मैं ने अभी इन सुझावों का अवलोकन नहीं किया है। मैं कह नहीं सकता कि वे सरकार को मान्य होंगे या नहीं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या यह सच है कि जो प्रतिनिधिमंडल अभी योरूप गया था उसने भी इस विषय संबंधी कुछ सुझाव दिये थे जो कि इन में भी दिये गये हैं। इस को देखते हुए क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर सकती है ?

†**श्री ति०त० कृष्णमाचारी :** मैं ने अखबारों में पढ़ा था कि जो प्रतिनिधिमंडल विदेश में गया था उसने भी कुछ सुझाव दिये हैं, किन्तु मैं ने अभी तक वे सुझाव नहीं देखे हैं। स्वभावतः

---

†मूल अंग्रेजी में

किन्हीं भी जिम्मेदार संस्थाओं द्वारा दिये गये सुझावों पर उचित समय पर अवश्य विचार किया जायेगा। मगर अगर कोई ऐसा समय आया तब।

†श्री राधा रमण : यदि सरकार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करे तो राजस्व पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं ने अभी तक किसी सुझाव को नहीं देखा है। इसलिये मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूं।

†श्री श्रीनारायण दास : अखबारों में बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि देश में विदेशी विनियोजन के लिये उचित परिस्थितियां नहीं हैं। क्या वित्त मंत्री ने अपने विदेश के दौरे में ऐसी कोई भावना पाई है कि सचमुच भारत में विदेशी पूंजी के लिये उचित परिस्थितियां नहीं हैं।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरी यह धारणा है कि इस समय हम विदेशी पूंजी विनियोजन के लिये जो रियायतें दे रहे हैं वे लोगों को भली भांति विदित नहीं हैं, हालांकि वे पर्याप्त हैं। इसलिये मैं लोगों को उनके बारे में बताना चाहता था। वास्तव में हम जैसी रियायतें दे रहे हैं वैसी रियायतें अधिक देशों द्वारा नहीं दी जा रही हैं। हो सकता है कुछ ऐसे प्रक्रिया संबंधी मामले भी हों जिनके लिये हमें अभी विभिन्न देशों के लोगों से बात चीत करनी पड़े जैसे दोहरा कर आदि और हम परस्पर समझौतों के आधार पर इस प्रकार की बातचीत चला भी रहे हैं। यह चीजें चलती रहती हैं। किन्तु यदि वर्तमान स्थिति के बारे में कोई अन्य सुझाव दिया जाये तो हम उस पर भी विचार करने को तैयार हैं। मगर मैं समझता हूं कि इसमें परिवर्तन करने की अधिक गुंजाइश नहीं है। किसी सुझाव के बारे में उस पर विचार करने के बाद ही कहा जा सकता है।

काश्मीर में लिगनाइट के निक्षेप

†*९१८. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर की हन्दवारा तहसील के निछमा नामक स्थान में लिगनाइट के निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों से लिगनाइट निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है। अब तक दो छिद्र किये जा चुके हैं। काम जारी है।

†श्री रामेश्वर टांटिया : वहां उपलब्ध लिगनाइट निक्षेपों की मात्रा कितनी है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मोटे तौर पर अनुमान १४० लाख टन है।

†श्री रामेश्वर टांटिया : वनों पर इसका क्या प्रभाव होगा और क्या सरकार इसे ऐसे तरीके से निकालने का यत्न कर रही है जिससे उर्वरक भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : अधिक लिग्नाइट की खोज करने का कार्यक्रम बनाया गया है : परन्तु यह कहना असम्भव है कि इस खोज का वन परिरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

डा० बी० आर० अम्बेडकर के निधन सम्बन्धी जांच

†*६१९. { श्री बा० चं० कामले :
श्री द० अ० कट्टी :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री दिगे : }

क्या गृह-कार्य मंत्री २६ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० बी० आर० अम्बेडकर के निधन सम्बन्धी जांच के प्रतिवेदन की एक सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली के डिप्टी इन्स्पैक्टर जनरल आफ पुलिस ने जो गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसकी प्रति सभा-पटल पर रखना मैं मुनासिब नहीं समझता। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि पुलिस पदाधिकारी बड़े ध्यान से पूछताछ करने और डाक्टरों आदि के साक्ष्य लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस में तनिक भी सन्देह नहीं है कि डा० अम्बेडकर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिस से किसी गड़बड़ी का शक किया जा सके। पुलिस के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ने बम्बई के डा० तिरोदकर और डा० तुलपुले की भी गवाही प्राप्त की। डा० तिरोदकर ने १९४६ से १९५६ तक कई बार डा० अम्बेडकर की स्वास्थ्य परीक्षा की थी। उन्होंने यह कहा :

"पिछली बार जब मैं ने उन्हें १९५६ में देखा तब उनमें रक्तसंकुल हृद्विफलता[१] के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। उनके पुराने रोग और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जिस समय मैं ने उन्हें देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी देर तक कैसे जीवित रहे।"

डा० तुलपुले ने यह साक्ष्य दिया :

"गत तीन-चार वर्ष में मैं ने कई बार डा० अम्बेडकर का स्वास्थ्य परीक्षण किया। १९५३ में वह रक्तसंकुल हृद्विफलता से पीड़ित थे और बाद में उन्हें ब्रांको निमोनिया[२] भी हो गया था। उनके कार्डियोग्राम[३] से पता चलता था कि उनकी हालत खराब होती जा रही है और जब उनकी मृत्यु से कुछ मास पूर्व जब कार्डियोग्राम देखे गये तो पता चला कि उन्हें हृद्-दमा[४] हो गया है। उनकी आयु, पुराना मधुमेह[५] और दिल की कमजोरी के साथ कभी-कभी हृद्विफलता से उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो चुका था।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Congestive Cordiac Failure.
[२] Broncho Pneumonia.
[३] Cardio grams.
[४] Cardiac Asthama.
[५] Diabetes.

भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर जनरल द्वारा आयोजित एक विशेष चिकित्सा बोर्ड ने डा० अम्बेडकर के पांच इलैक्ट्रो-कार्डियोग्रामों का परीक्षण किया और उसकी राय यह है :

"हम सब की यह राय है कि डा० बी० आर० अम्बेडकर को १९५३ में कोरोनरी-थ्रोम्बोसिस हुआ था। इलैक्ट्रो-कार्डियोग्रामो में हृद् परिवर्तनों से पता चलता है कि १९५४ में एक और आक्रमण हुआ था। यह देखते हुए कि उन्हें मधुमेह रोग और मिपोकार्डियल डीजैनरेशन[1] था, यह सम्भव है कि उन्हें मृत्यु से पूर्व कोरोनरी-थ्रोम्बोसिस का आक्रमण हुआ हो।"

†श्री बा० चं० कामले : क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित डाक्टरों के अतिरिक्त किसी अन्य डाक्टर क गवाही भी प्राप्त की गई और यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं और क्या उनके प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

†पंडित गो० ब० पन्त : एक और डाक्टर हैं जिन के बारे में प्रश्न पूछने वाले व्यक्तियों और कुछ अन्य लोगों को शक था इसलिये उनकी गवाही पेश करने से कोई लाभ नहीं जबकि उसे उन सदस्यों ने विश्वासनीय नहीं माना जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : सम्बन्धित पदाधिकारी ने कितने गवाहों का परीक्षण करके उनके वक्तव्य अभिलिखित किये ?

†पंडित गो० ब० पन्त : बहुत से संसद् सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के।

†श्री नौशीर भरूचा : सारे प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में क्या आपत्ति है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : क्योंकि पुलिस जांच के प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किये जाते।

†श्री नौशीर भरूचा : ऐसे मामले में अपवाद होना चाहिये।

†पंडित गो० ब० पन्त : ऐसा करना ठीक नहीं समझा गया क्योंकि संसद् के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों की गवाहियां ली गईं थीं और पुलिस पदाधिकारी प्रतिवेदन देते समय साक्षी के बारे में अपनी टिप्पणियां करता है और वैसी ही भाषा का प्रयोग करता है जिसे वह प्राय: प्रयोग करता है। मैं ने मूल तथ्य आपके सामने रख दिये हैं और मेरा ख्याल है कि कोई भी व्यक्ति यदि निष्पक्ष रूप से इस प्रश्न को देखे तो उसे स्पष्ट मालूम होगा कि मृत्यु के असल कारण में सन्देह करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

†डा० सुशीला नायर : सब जानते हैं कि डा० अम्बेडकर काफी समय से बीमार थे और उनकी मृत्यु साधारण और स्वाभाविक तरीके से हुई विशेषत: जबकि उनका स्वास्थ्य इतना गिर चुका था फिर भी उसमें सन्देह करने और जांच करने की क्या आवश्यकता थी ?

†पंडित गो० ब० पन्त : जब हमें अनुसन्धान करने के लिये कहा गया तब हम इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते थे। परन्तु संसद् के कई सदस्यों ने इसकी मांग की तब हम ने जांच करना आवश्यक समझा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coronary Thrombosis.
[2]Myocardial degeneration.

†**श्री बा० चं० कामले :** इस मामले की जांच करने वाले पदाधिकारी को यदि गृह-कार्य मंत्रालय ने जांच आरम्भ होने के आदेश दिये जाने से लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक कोई पत्र भेजा तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मेरा ख्याल है कि उन्हें जांच आरम्भ करने का आदेश भेजने के अतिरिक्त और कोई पत्र नहीं भेजा गया या सम्भव है कि प्राप्त हुए कुछ अभ्यावेदन भी भेजे गये हों । सरकार और इसके कर्मचारियों में जो पत्र-व्यवहार होता है उसे प्रकाशित नहीं किया जाता ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** जब डा० अम्बेडकर की मृत्यु हुई उस समय उनके पास कौन सा डाक्टर था और उसने क्या साक्षी दी है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** उनकी पत्नी भी डाक्टर थी । वह वहां थी । इस मामले में शक किया जा रहा है । अतः इस मामले में उसे डाक्टर माना जायेगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता । परन्तु अन्य डाक्टरों को उनकी मृत्यु के बाद बुलाया गया था । परन्तु उस समय किसी को शक नहीं हुआ कि दाल में कुछ काला है ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या किसी डाक्टर ने ऊपर वर्णित रिपोर्टों के खिलाफ राय दी थी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जहां तक मुझे मालूम है, किसी ने नहीं ।

†**श्री नौशीर भरूचा :** क्या वे संसद् सदस्य प्रतिवेदन देख सकेंगे जिन्हों ने जांच करने के लिये अभ्यावेदन भेजा था ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** उन संसद् सदस्यों को आवश्यक जानकारी दी जा चुकी है । मैंने जो तथ्य बताये हैं वे सब सदस्यों की जानकारी के लिये ही हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** माननीय मंत्री ने कहा कि शक के कारण ही जांच करने का आदेश दिया गया था और जांच की उपपत्तियां और निष्कर्ष. . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह नहीं कि सरकार को शक था बल्कि संसद् के १९ सदस्यों ने अभ्यावेदन भेजा था ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** जी हां, संसद् सदस्यों को शक था और जांच की गई थी । और सरकार ने सभा के समक्ष निष्कर्ष रखे . . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सीधा प्रश्न पूछा जाये ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** जांच के निष्कर्ष और साक्ष्य का केवल वही भाग सभा के समक्ष रखा गया जो उन निष्कर्षों का समर्थन करता था । क्या सरकार अन्य भाग और सन्देह को कम करने के लिये साक्षी के उस भाग को भी संसद् सदस्यों के समक्ष रखेगी जो इन निष्कर्षों के प्रतिकूल हैं ताकि वे स्वयं देख सकें कि निष्कर्ष ठीक है या नहीं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** निष्कर्ष तो सभा के समक्ष रखे जा चुके हैं । उपपत्ति तो स्पष्ट है कि मृत्यु स्वाभाविक तरीके से हुई और इसमें इस शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि किसी प्रकार की चाल बाज़ी की गई ।

†**श्री बा० चं० कामले :** माननीय गृह-कार्य मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर में कहा कि जांच से पता चलता है कि डा० अम्बेडकर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई उसे देखते हुए माननीय मंत्री यह कैसे कहते हैं कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यदि मैंने अपनी बात को बदला होता तो भी यह प्रश्न पूछा जा सकता था। मैंने जो पहले कहा था वही अब कह रहा हूं। सच तो यह है कि जिन १९ सदस्यों ने अभ्यावेदन भेजा था उनमें से कोई भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दे सका कि क्या किसी ने जहर दिया था या किसी व्यक्ति ने जहर खरीदा था या कोई सन्देहास्पद कार्य किया था। और डा० अम्बेडकर का दाह संस्कार होने के काफी समय बाद उनमें से कुछ लोगों को शक हुआ। डा० अम्बेडकर का लड़का भी वहां था। कुछ नेता भी वहां थे। वे सब बम्बई में जमा हुए थे। इस प्रकार की कोई बात उस समय नहीं कही गई और न ही कोई सुझाव दिया गया। इन सब तथ्यों का महत्व है और डाक्टरों की साक्षी भी मौजूद है।

आखिर, डा० अम्बेडकर हमारे साथी थे जिनका हम सम्मान करते थे (**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : धन्यवाद) यदि मैं उनका आदर करता था अथवा उनके लिये मेरे मन में सदभावनायें थीं तो इसके लिये किसी को धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। ये भावनायें एक साथ रह कर सार्वजनिक कार्य करने से पैदा होती हैं और यदि थोड़ा सा भी शक होता तो मैं स्वयं ही अविलम्ब इसकी जांच कराता।

श्री भा० कृ० गायकवाड़ उठे—

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न लेने वाला हूं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : आप अगला प्रश्न पूछने के लिये भले ही कह दें परन्तु हम सरकार के बर्ताव का विरोध करते हैं .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। आप चाहें तो विरोध करते रहें .....

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : हम सभा का त्याग करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे जो चाहते हैं करें, परन्तु सभा के कार्य में अड़चन न डालें। अगला प्रश्न।

(इस समय श्री भा० कृ० गायकवाड़ और कुछ अन्य सदस्य सभा से बाहर चले गये)

†**श्री रघुनाथ सिंह** : साम्यवादी सदस्य क्यों बाहर जा रहे हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति : मैं अगले प्रश्न के लिये कह चुका हूं। श्री शर्मा।

दिल्ली के कालेजों में प्रवेश

†***९२०. श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में उन कालेज जाने योग्य छात्रों की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिन्हें किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश नहीं मिलता ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९६]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में कहा गया है कि जहां तक विश्वविद्यालय शिक्षा का संबंध है उपलब्ध संसाधनों को शिक्षा के विकास पर खर्च किया जायेगा न कि इस के विस्तार पर। क्या सरकार ने समस्त भारत के लिये यह नीति बनाई है या केवल दिल्ली के लिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह नीति सारे देश के लिये है ।

†**श्री राधा रमण** : दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने यह घोषणा की थी कि उन छात्रों की संख्या को देखते हुए, जो विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, वह कोई काम चलाऊ प्रबन्ध करने वाले हैं । क्या वह प्रबन्ध कर दिया गया है या कि अभी विचाराधीन है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : एक कालेज खोला जा चुका है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : विवरण से पता चलता है कि सरकार इसका विस्तार करना आवश्यक नहीं समझती । विस्तार के बिना छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा । क्या सरकार पारी प्रणाली कार्यान्वित करने के बारे में विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में बताया गया है कि चार सायंकाल कालेज खोले जा रहे हैं । क्या वे चालू हो गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह सुझाव विचाराधीन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दिल्ली के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में विश्वविद्यालय शिक्षा के विस्तार को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही कर सकते हैं । यह सम्भव नहीं है कि सरकार बिना सोचे समझे विश्वविद्यालय शिक्षा का विस्तार होने दे । विश्वविद्यालय शिक्षा केवल उन्हीं लोगों के लिये है जो इससे लाभ उठा सके । विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान के द्वारा ही हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई है कि इस वर्ष कितने विद्यार्थियों को दिल्ली के कालेजों में स्थान नहीं मिल पाया ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: जी हां । लगभग ८,८०० विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इन्कार कर दिया गया था ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि माननीय मंत्री ने कहा कि प्रवेश को सीमित किया जा रहा है क्या सरकार रूस गये भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की सिफारिश के अनुसार यह प्रतिबन्ध माध्यमिक शिक्षा के पूर्व की अवस्था पर लगायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य प्रश्न के क्षेत्र से बहुत बाहर जा रहे हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या योग्यता के आधार पर प्रवेश देने का प्रभाव अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रवेश पर भी पड़ेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन पर प्रभाव पड़ना तो नहीं चाहिये ।

†**श्री राधा रमण** : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि ८००० विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इन्कार किया गया । केवल एक नया कालेज खोला गया है और तीन कालेज और खोलने के बारे में विचार

---

†मूल अंग्रेजी में

किया जा रहा है। क्या इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय इस शिक्षा सम्बन्धी वर्ष में कोई विस्तार करेगी ?

†**श्री का० ला० श्रीमाली :** केवल सांयकाल कालेज की प्रस्थापना विचाराधीन है।

पुरातत्ववेत्ताओं का प्रशिक्षण[1]

+

†*९२१. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण : }

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रस्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय हो गया है जिस के अनुसार पुरातत्ववेत्ताओं को दो वर्ष का प्रशिक्षण देने की एक संस्था स्थापित की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार का था ; और

(ग) प्रस्तावित संस्था की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या यह पता लगाने के लिये पूछताछ की गई है कि क्या किसी विश्वविद्यालय में इन विषयों का प्रबन्ध नहीं है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कुछ विश्वविद्यालयों में पुरातत्व के अध्ययन की व्यवस्था की गई है परन्तु जहां तक मुझे मालूम है किसी विश्वविद्यालय में व्यावहारिक पुरातत्व के लिये व्यवस्था नहीं है।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार ने देश भर में विद्यार्थियों की पुरातत्व गवेषणा सम्बन्धी मांग का सर्वेक्षण किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे ख्याल से ठीक तरीके से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है परन्तु यह देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिन्हें व्यावहारिक पुरातत्व का ज्ञान होता है और जो इसे समझते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Training of Archaeologists

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९

†*९०५. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग समवाय संशोधन अधिनियम, १९५६ के लागू होने के बाद किसी बैंक के खिलाफ बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ (यथा संशोधित) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से बैंक हैं और उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की गई थी ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें उन बैंकों के नाम दिये गये हैं जिन्हें बैंकिंग समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के लागू होने के बाद लाइसेंस देने से इनकार किया गया सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७] लाइसेंस देने से इनकार करने के अतिरिक्त इस अवधि में किसी बैंक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। विशेष विवरणियां तथा प्रमाणपत्र और कुछ शर्तें लगाने की कार्यवाही अवश्य की गई है।

युवक समारोह

†*९१०. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री तंगामणि :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भविष्य में देश के अन्य भागों में युवक समारोह करने का विचार है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में मंदिर

९११. श्री पद्म देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे सैकड़ों मंदिर और अन्य धार्मिक स्थान हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश प्रशासन की ओर से सहायता अनुदान तथा अन्य रियायतें दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मंदिरों की इस आय का दुरुपयोग होता है ; और

(ग) क्या सरकार इस आय की व्यवस्था और उसके उचित उपयोग के लिये कोई योजना बनायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) इस क्षेत्र में बहुत से मन्दिर हैं। अधिकाश मंदिरों को अनुदान के रूप में प्रशासन द्वारा सहायता दी जाती है और उनका प्रबन्ध तत्कालीन हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक जिले में बनाई गई समितियों द्वारा किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर इस समिति का अध्यक्ष होता है। जिन मन्दिरों को प्रशासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, उनकी देखभाल मन्दिरों की समितियां स्वयं करती हैं। ऐसे मन्दिर जनता से प्राप्त होने वाले दान से चलाए जाते हैं।

(ख) मन्दिरों की आय के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्रशासन को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) सारे देश के लिए उपयुक्त कानून बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली के साहूकार[1]

†*९१५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व दिल्ली राज्य सरकार ने साहूकारों द्वारा अपनाई जाने वाली कुत्सित प्रवृत्तियों की जाँच की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस जाँच की उपपत्ति की मोटी-मोटी बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**गृह-कार्य मंत्री पण्डित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पंजाब में चूने के पत्थर का निक्षेप

†*९१७. **श्री हेम राज :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के किन भिन्न-भिन्न स्थानों में चूने के पत्थर के निक्षेप निकले हैं;

(ख) इसकी मात्रा और किस्म क्या-क्या हैं;

(ग) क्या कांगड़ा पहाड़ियों में धर्मकोट क्षेत्र का चूने के पत्थर के निक्षेप के सम्बन्ध में किया जाने वाला सर्वेक्षण पूरा हो गया है और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका व्यावसायिक महत्व क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९८**]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Money-lenders in Delhi.

(ग) और (घ). धर्मकोट क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रगति पर है। इसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन मार्च, १९५८ तक पूरा होने की संभावना है। वहां पर मिलने वाले चूने के पत्थर के निक्षेप का अनुदान जाँच पूरी होने पर ही लगाया जायेगा।

संयुक्त स्कंध समवाय

†*९२२. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय अधिनियम की धारा २४७ के अधीन कितने संयुक्त स्कन्ध समवायों के स्वामित्व की जाँच की गई थी;

(ख) क्या इस जाँच का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार लोक-सभा के पटल पर उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति रखेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) दो।

(ख) जी, हाँ। एक मामले में।

(ग) जी, हां। जब भी प्रतिवेदन प्रकाशित हो।

छावनियों का स्थानीय निकायों में विलीनीकरण

†*९२३. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनियों को नगरपालिकाओं अथवा निगमों में विलीन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक करने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभासचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़)** : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्राक्कलन समिति ने अपने छियालीसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि सामान्य अर्थ में छावनियां कहलाये जाने वाले स्थानों को न्यूनतम अवधि में उन्मूलन करना ही हमारा ध्येय होना चाहिये। यह सिफारिश अभी विचाराधीन है।

पंजाब में खानों का बन्द किया जाना

†*९२४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५६-५७ में बंद होने वाली खानों की संख्या और नाम क्या-क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें फिर से चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पंजाब में मोहिन्द्रगढ़ जिले की एक लौह अयस्क खान "जो छपड़ा बिहारीपुर" कहलाती है और इण्डिया लाइम स्टोन कम्पनी जिसकी मालिक है, ३० जून, १९५७ को बंद की गई थी।

(ख) उसे बंद करने का कारण यह था कि उपरोक्त कम्पनी अयस्क के विपणन में समर्थ नहीं हुई।

(ग) भारत राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड इस अयस्क को बेचने का भरसक प्रयत्न कर रही है किन्तु इस में फासफोरस अधिक है।

श्री वी० वी० गिरि का निर्वाचन

†*९२५. **श्री वाजपेयी :**
श्री संगण्णा :
श्री रा० च० माझी :
श्री वें० च० मलिक :
श्री इ. नै.त बेक :
श्री कुम्भार :
श्री बा० चं० कामले:
श्री माने :
श्री द० अ० कट्टी :
श्री बालासाहेब सालुंके :
श्री दिगे :
श्री जयपाल सिंह :
श्री फ्रैंक एंथनी :
श्री बैरो :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री वी० वी० गिरि के लोक-सभा की सदस्यता सम्बन्धी घोषित निर्वाचन की संवैधानिक उपलक्षणाओं का परीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के निष्कर्ष क्या हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) यह विषय अभी विधि मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

आणविक युद्धकला का प्रशिक्षण[१२]

†*९२६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को आणविक युद्धकला में प्रशिक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा युद्धास्त्र की नवीनतम टैकनीक और प्रतिरक्षा विज्ञान के परिपूर्ण कोई न्यूजलेटर अथवा मैगजीन प्रकाशित की जाती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को आणविक युद्धकला का प्रशिक्षण देने के लिये कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। किन्तु आणविक, रोगाणु और रासायनिक युद्ध के टेकनीक का सैद्धान्तिक अध्ययन सैन्य प्रशिक्षण स्कूल में कराया जाता है ।

(ख) जी, हां ; प्रतिरक्षा सेनाओं की ओर से अनेक पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं जिन में उदजन अस्त्रों के प्रयोग सहित युद्धकला के नवीनतम विकास की जानकारी रहती है ।

यह स्मरणीय है कि आणविक युद्धास्त्रों का प्रयोग न करने के बारे में भारत सरकार ने अपनी नीति घोषित कर दी है ।

वरिष्ठ सेवा समिति[११] **प्रतिवेदन**

†*९२७. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्री राम शंकर लाल :
श्री जाधव :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री प्रभात कार :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम सम्बन्धी वरिष्ठ सेवा समिति, जो निगम द्वारा कार्य भार संभाली गई भूतपूर्व बीमा कम्पनियों के अधिकारियों का समुचित वर्गीकरण करने के लिये बनाई गई थी, के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णयों का क्या स्वरूप है ; और

(ग) अधिकारियों की वरिष्ठता का प्रश्न कब तक हल कर दिया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). मेरा अनुमान है कि प्रतिवेदन पर काफी अवस्था तक विचार कर लिया गया है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१२ Training in Atomic Warfare.

११ Senior Services Committee.

पिछड़ी जातियां

†*९२८. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री बा० चं० कामले :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पिछड़ी जातियों के वर्गीकरण के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले तदर्थ सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : मद्रास, बम्बई और पश्चिमी बंगाल राज्यों में केवल प्रयोग रूप में किया जाने वाला सर्वेक्षण फरवरी, १९५८ तक पूरा होने की सम्भावना है ।

रूस को भारतीय शिक्षाशास्त्रियों का प्रतिनिधिमण्डल

†*४८७. { श्री हरिश्चन्द्र मायुर :
श्री विभूति मिश्र :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस सरकार के निमंत्रण पर सितम्बर, १९५६ में रूस जाने वाले भारतीय शिक्षा-शास्त्रियों के दल द्वारा भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य सिफारिशें अथवा सुझाव क्या हैं ;

(ख) भारत सरकार ने इस प्रतिवेदन से कोई लाभ उठाये हैं तो वे क्या हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) प्रतिनिधिमंडल ने कोई सिफारिशें अथवा सुझाव नहीं दिये हैं ।

(ख) सरकार द्वारा प्रकाशित शिक्षा-साहित्य में यह रिपोर्ट एक योग है ।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

†१२९३. श्री ले० अचौ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में १९५७-५८ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की ब्रांच खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खुलेगी ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) . आवश्यक आवास उपलब्ध होते ही स्टेट बैंक आफ इंडिया की एक ब्रांच इम्फाल में आरम्भ की जायेगी । यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि यह ब्रांच १९५७-५८ में ही स्थापित कर दी जायेगी ।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

†१२९४. श्री ले० अचौ सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को विगत तीन महीनों से मासिक वेतन नहीं मिला है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन का वेतन डाक से मनीआर्डर द्वारा भेजा जाता है ;

(ग) उन को वेतन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० सा० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इम्फाल से पांच मील की दूरी से अधिक वाले प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन डाक से मनीआर्डर द्वारा भेजा जाता है ।

(ग) डाक विभाग में मनीआर्डर भेजने में कुछ समय लग जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में डाक सेवा में देर हो जाती है ।

(घ) आसाम के डाक तथा तार निदेशक से मनीआर्डर भेजने में शीघ्रता करने के लिये कहा गया है ।

लाहौल और स्पिति[१४] क्षेत्रों का विकास

†१२९५. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में लाहौल और स्पिति अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये कितनी रकम स्वीकृत की गई है और इस में से कितनी खर्च हो चुकी है ;

(ख) व्यय के विभिन्न मदों के अन्तर्गत इस अवधि में कितनी रकम व्यपगत हुई ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी रकम खर्च की जायेगी ;

(घ) १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितनी रकम स्वीकृत की गई थी ; और

(ङ) १९५६-५७ में कितनी रकम खर्च की गई और विभिन्न मदों के अन्तर्गत उस वर्ष कितनी रकम व्यपगत हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में लाहौल और स्पिति के विकास पर १९ लाख १३ हजार रुपये स्वीकृत किये गये थे । इस में से १७ लाख ५३ हजार रुपये खर्च हुए और शेष व्यपगत हो गये । विभिन्न मदों के अन्तर्गत व्यपगत रकम १ लाख ६० हजार रुपये का अलग-अलग वितरण उपलब्ध नहीं है ।

(ग) से (ङ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

शिलांग में जल संभरण

†१२९६. **श्री अमजद अली** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग के छावनी बोर्ड को शिलांग म्युनिसिपल बोर्ड के साथ हुए एक समझौते के अन्तर्गत जल सम्भरण होता है और क्या यह समझौता म्युनिसिपल बोर्ड को हर वर्ष समेकित धन देकर नवीकरण करना पड़ता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[१४]Lahaul

(ख) क्या यह सच है कि म्युनिसिपल बोर्ड को शर्तों और अवस्थाओं के अनुसार १९५६-५७ के लिये समझौते का नवीकरण न करने पर छावनी बोर्ड को किसी वकील के मार्फत एक नोटिस मिला है ;

(ग) क्या यह सच है कि शिलांग के सैन्याधिकारी शिलांग में वाह–दींगलिंग जलस्रोत को पुनः लौटाने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं जबकि सैनिक अधिकारियों को उक्त जलस्रोत इस स्पष्ट शर्त पर दिया गया था कि युद्ध समाप्त होने के एक वर्ष पश्चात् यह म्युनिसिपल बोर्ड को लौटा दिया जायेगा ; और

(घ) क्या यह सच है कि शिलांग के सैन्याधिकारियों द्वारा वाह–दींगलिंग जलस्रोत शिलांग नगरपालिका बोर्ड को वापस न करने के परिणामस्वरूप अम्पलिंग में शरणार्थी बस्ती आरम्भ करने का कार्य अवरुद्ध हो रहा है जबकि भारत सरकार द्वारा इस पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च किया जा चुका है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** :(क) जी हां । यह समझौता प्रतिवर्ष नहीं अपितु कालावधिक रूप में समय समय पर नवीकरण किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वाह–दींगलिंग जलस्रोत का निर्वहन उस के आरम्भ से ही सैन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और युद्ध समाप्ति के एक वर्ष पश्चात् इसे लौटा देने के बारे में कोई समझौता नहीं था ।

(घ) अम्पलिंग के निकट ही जल संभरण का एक अन्य स्रोत है । उस से बस्ती में रहने वाले विस्थापित परिवारों की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है ।

शिक्षा सम्बन्धी अनुदान

†१२९७. **श्री मं० वे० कृष्ण राव** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को शैक्षणिक सुधार कार्यक्रम के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में तत्कालीन आंध्र राज्य को ३६,७३,११० रुपये दिये गये थे । भूतपूर्व हैदराबाद राज्य का वह भाग जो अब आंध्र प्रदेश में विलीन हो गया है, के बारे में सहायता सम्बन्धी अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग के परामर्श से निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर ही शैक्षणिक विकास के लिये सहायता दी जाती है । १९५६–५७ में दी गई सहायता में और १९५७–५८ में उस सहायता के सम्बन्ध में आवंटन इस प्रकार है :

१९५६–५७ .	२२,३८,४५१ रुपये
१९५७–५८	६९,००,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये भी अनुदान दिये जाते हैं । योजना अवधि के शेष भाग के लिये आंध्र प्रदेश को अनुदान स्वरूप ४३,८३,२२० रुपये निर्धारित किये गये हैं ताकि वे केन्द्र द्वारा आरम्भ किये गये निम्न-लिखित कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सकें :—

टेक्नीकल शिक्षा के प्रकार की योजना	४२,५९,०००
डिस्ट्रिक्ट गैजेटियरों का पुनरीक्षण	१,२४,२२०

आग बुझाने के उपकरण

१२९८. श्री भ० दी० मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आग बुझाने के उपकरणों में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : देश में इस समय आग बुझाने के लिये प्रयुक्त होने वाले सब उपकरण विदेश में बने हुए हैं, इसलिए उनमें सुधार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

भविष्य के लिये, गृह-मंत्रालय ने अग्नि-शमन विशेषज्ञों की एक डिजाइन तथा डेवलेपमेंट समिति बनाई है जिसका एक काम आग बुझाने के उपकरणों का मानीकरण करना भी होगा । समिति ने ऐसे उपकरणों के ३७ मदों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं । और उन पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट शीघ्र ही अपना अन्तिम निर्णय दे देगा । ये मानीकृत विशिष्टताएं देश में ही निर्माणकर्ताओं के पास अपनाने के लिये भेज दी जायेंगी जिससे यह निश्चय हो जायेगा कि बनने वाले उपकरण अच्छी किस्म के होंगे। राज्य सरकारों को भी सलाह दी जाएगी कि वे केवल ऐसे ही मानीकृत उपकरण प्राप्त करके प्रयोग में लाएं ।

भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, आबू

१२९९. श्री भ० दी० मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आबू स्थित भारतीय पुलिस सेना प्रशिक्षण केन्द्र में कितने परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है ;

(ख) प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ;

(ग) इस केन्द्र में प्रशिक्षण के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थियों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ; और

(घ) इस केन्द्र में कितने प्रशिक्षक कार्य करते हैं और उनकी योग्यतायें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : (क) ७० ।

(ख) केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालिज में १२ महीने के प्रशिक्षण के अलावा लगभग दो महीने का सैनिक प्रशिक्षण ।

(ग) परिवीक्षाधीन व्यक्ति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर चुने जाते हैं जिसमें लिखित तथा व्यक्तित्व-परीक्षा होती है ।

(घ) कमांडेन्ट, डिप्टी कमांडेन्ट और एसिस्टेन्ट कमांडेन्ट, जो क्रमशः इंस्पैक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल, और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की श्रेणियों के होते हैं । इन के अतिरिक्त प्रशिक्षकों की और उनकी योग्यताएं नीचे दी गई हैं :—

(१) पैदल सेना के प्रशिक्षण, शस्त्र प्रशिक्षण और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक जो पैदल सेना, शस्त्र और शारीरिक प्रशिक्षण की योग्यताएं रखते हैं । इनमें छः सब-इंस्पैक्टर पुलिस तथा छः हैड कांस्टेबिल की श्रेणियों के हैं ।

(२) मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट प्रशिक्षक।वायरलेस प्रशिक्षक—एक । सिगनल्स में से पुलिस इंस्पैक्टर की श्रेणी का एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी ।

(३) घुड़सवारी जिसमें अस्तबल का प्रबन्ध भी शामिल है—एक राइडिंग मास्टर और दो पुलिस दफादार जो क्रमशः पुलिस इंस्पैक्टर और हैड कांस्टेबिल की श्रेणी के हैं ।

(४) कानून के लिए—पांच पुलिस अधिकारी जो कानून के स्नातक हैं । इनमें से एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की श्रेणी का और चार इंस्पैक्टरों की श्रेणी के हैं ।

(५) अपराध का पता लगानें के लिए वैज्ञानिक सहायता—एक पुलिस इंस्पैक्टर जो विज्ञान का स्नातक है ।

(६) भवन निर्माण के लिए—केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक सैक्शनल आफीसर ।

(७) चिकित्सा कानून विज्ञान और प्राथमिक चिकित्सा—ऐसिस्टेन्ट सर्जन की श्रेणी का एक चिकित्सा स्नातक (मेडीकल ग्रेजुएट)।

(८) हिन्दी—एक । प्रशिक्षित स्नातक/दसवीं पास अध्यापक ।

श्रेणी तीन की नियुक्तियां

१३००. श्री भ० दी० मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा—श्रेणी ३ में १९५३ से अब तक अलग अलग (१) सीधी भर्ती द्वारा (२) विभागीय परीक्षाओं द्वारा और (३) वरिष्ठता के आधार पर कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ;

(ख) उपरोक्त तीनों श्रेणियों में से किस श्रेणी में शिक्षा की दृष्टि से उच्चतम योग्यता वाले लोग हैं ; और

(ग) अब सीधी भर्ती के लिये कब परीक्षा ली जायेगी और उसमें कितने व्यक्ति लिये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : (क)

(१) ५१ ।

(२) १९४ ।

(३) १९४ ।

(ख) ग्रेड ३ में केवल सीधी भर्ती के लिए ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं । लेकिन उस ग्रेड में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये ऐसी कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं । अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यताओं का कोई तुलनात्मक रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ग) १९५८ । इसमें से नौ व्यक्तियों की भर्ती करने का विचार है उनकी अस्थायी संख्या ४० है ।

दण्डित व्यक्तियों की नियुक्ति

१३०१. श्री श्रीनारायण दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६ और १९५७ में अब तक अनैतिक व्यवहार के कारण दण्डित हुए किन्हीं व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार के पदों पर नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर नियुक्त करने के योग्य समझा गया ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : (क) गृह-कार्य मंत्रालय की १९५६–५७ की रिपोर्ट के पैरा १९ के अनुसार हिदायतें जारी कर दी गई थीं कि उचित मामलों में उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है जिनको अनैतिक व्यवहार के अपराध में दण्डित किया गया था । अभी यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इन हिदायतों के अनुसार कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है । यह सूचना एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ऐसे हर एक मामले का निश्चय उसके गुण अवगुण के आधार पर किया जाता है । इसमें मुख्य विचार यह रहता है कि सम्बन्धित व्यक्ति में कुछ विशेषताएं हैं और उसने अपने आपको सुधार लिया है ।

सेवा नियम

१३०२. श्री श्रीनारायण दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित नियमों को तैयार और लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है :

(१) अखिल भारतीय सेवाएं (अध्ययन अवकाश) विनियम ;

(२) अखिल भारतीय सेवाएं (असाधारण निवृत्ति वेतन) नियम ;

(३) अखिल भारतीय सेवाएं (वार्षिकी का सारांशीकरण) विनियम ;

(४) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को संस्कृत, हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का अध्ययन के लिये प्रोत्साहित करने के नियम ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : (१) और (४). इन नियमों के मसविदे, विचार तथा टीका टिप्पणी के लिये, सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास भेज दिए गए हैं ।

(२) और (३). इन नियमों के मसविदे तैयार हो रहे हैं ।

निगमों में भर्ती

१३०३. श्री रा० स० तिवारी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जो सीमित निगम बनाय जा रहे हैं, उनमें कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार की जाती है ; और

(ख) क्या उनकी भर्ती के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों और संघ लोक सेवा आयोग की सहायता ली जाती है ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : (क) कर्मचारियों की भर्ती के लिये स्व-शासित निगमों के अपने ही नियम होते हैं । निगमों के सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति के लिये आम तौर से सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है ।

(ख) निगमों को सलाह देते हुए ऐसी हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि जहां तक सम्भव हो वे काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग करें । संघ लोक सेवा आयोग नियुक्तियों के सम्बन्ध में सिफारिशें नहीं करता, वह केवल सरकार के आधीन पदों पर नियुक्ति के लिये ही सिफारिश करता है ।

भाषाई अल्पसंख्यक

१३०४. श्री हेडा :
श्री बलराम कृष्णैया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये जो निर्णय किये गये थे उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर एक ज्ञापन ४ सितम्बर, १९५६ को लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया था । ज्ञापन में दिए हुए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये उसकी प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं । भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये एक आयुक्त नियुक्त किया गया है जिसका यह कर्त्तव्य होगा कि संविधान के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को जो संरक्षण प्राप्त हैं उनसे सम्बन्धित सब विषयों की जांच करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे ।

केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड

१३०५. श्री हेडा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आदि जाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड द्वारा आदिमजातियों के कल्याण के लिये जो योजनायें तैयार अथवा मंजूर की गयी हैं, उनका स्वरूप क्या है ;

(ख) वे किस हद तक कार्यान्वित की गयी हैं ; और

(ग) उपरोक्त बोर्ड की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) तथा (ख). बोर्ड की २९–११–५६ और १३–१०–५७ की बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतियां तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ और १०४ के उत्तर में लोक-सभा के पटल पर क्रमशः २४–५–५७ और १३–११–५७ को पहले ही रखी जा चुकी हैं । बोर्ड द्वारा तैयार अथवा स्वीकृत की गई योजनाओं और उन पर की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००**]

क्लर्कों की भर्ती

१३०६. श्री राधा रमण : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों के जिन १४५ क्लर्कों को १९५६ में टाइप-राइटिंग की ट्रेनिंग दी गयी थी वे कब भर्ती किये गये थे ,

(ख) क्या भर्ती के समय इन क्लर्कों के लिये टाइप-राइटिंग जानना आवश्यक माना गया था; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) १४५ अस्थायी क्लर्कों को विभिन्न मंत्रालयों ने पिछले वर्षों में विभिन्न तारीखों पर नियुक्त किया था ।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार में क्लर्क के रूप में रहने की यह शर्त है कि वह व्यक्ति उचित समय में टाइप-राटिंग में विशेष योग्यता प्राप्त कर ले । ऐसा माना जाता है कि नियुक्त होने वाले हर एक क्लर्क को अपनी सेवा की शर्त की जानकारी होती है ।

त्रिपुरा में भूमि का सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त

१३०७. **श्री राधा रमण :**
श्री दशरथ देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में भूमि के सर्वेक्षण और बन्दोबस्त का काम किस हद तक पूरा हो गया है ; और

(ख) काम की प्रगति धीरे होने के यदि कोई कारण हों, तो वे क्या हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) सदर सब डिवीजन के २४९.४७ वर्ग मील क्षेत्र में फैले गांवों की सीमा निर्धारण का कार्य पूरा हो चुका है जिसमें ६६ सीमा निर्धारित किए हुए गांव हैं (इसमें २१६ भूतपूर्व गांव तथा बस्तियां आती हैं)। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिए गये ९८३ कंट्रोल प्वाइंट के आधार पर ८६ वर्ग मील में फैले २२ गांवों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। ३२ वर्ग मील क्षेत्र में फैले १० गांवों का भूमि-कर सर्वेक्षण और लगभग २१ मील में खानापुरी का काम भी पूरा हो चुका है।

(ख) प्रशिक्षित व्यक्तियों का न मिलना ही इस काम में मुख्य बाधा है। इसके लिये पर्याप्त अधिकारियों की स्वीकृति दे दी गई है और एक डिप्टी डायरेक्टर ने तो कार्यभार संभाल भी लिया है। स्थानीय व्यक्तियों को सर्वेक्षण के काम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे काम जल्दी पूरा हो।

हिन्दी की परीक्षायें

१३०८. श्री राधा रमण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी प्रबोध और हिन्दी प्रवीन की अक्तूबर, १९५७ में होने वाली परीक्षाओं की व्यवस्था के लिये कितने व्यक्ति रखे गये थे ;

(ख) इन कर्मचारियों पर कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या इन परीक्षाओं के काम को किसी बोर्ड को सौंप देने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उस बोर्ड का नाम क्या है और उसे सौंपने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की योजना के अन्तर्गत निर्धारित हिन्दी परीक्षाएं लेने का काम मई १९५७ से सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर सैकिन्ड्री एजुकेशन, अजमेर, को सौंप दिया गया है। अक्तूबर, १९५७ में बोर्ड ने पहली बार १७ केन्द्रों पर प्रबोध, प्रवीन और प्राज की हिन्दी परीक्षायें लीं। चूंकि परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध बोर्ड करता है इसलिये यह विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि कितने प्रशासनिक, निरीक्षक तथा क्लर्क कर्मचारी रखे गये और कितना खर्च हुआ ; किन्तु ३४ केन्द्रों पर परीक्षा लेने में लगभग ५०,००० रुपये का अनुमानित खर्चा हुआ है जो सरकार द्वारा बोर्ड को दे दिया जायेगा।

पंचांग सुधार समिति की रिपोर्ट

१३०९. श्री राधा रमण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचांग सुधार समिति की रिपोर्ट अब तक कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है ; और

(ख) कितनी भाषाओं में अभी यह प्रकाशित होनी शेष है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) तथा (ख). रिपोर्ट अभी तक अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। इसे भारत की सब मुख्य भाषाओं तथा संस्कृत में प्रकाशित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिये मिट्टी

१३१०. **श्री राजाराम मिश्र** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिये उपयुक्त मिट्टी का निश्चय करने की दृष्टि से जो सर्वेक्षण किया गया था, उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य में कितने प्रकार की मिट्टी का पता चला है ; और

(ख) सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त नई प्रकार की मिट्टियों का उपयोग करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). चीनी के बर्तन बनाने के लिये केवल मिट्टी की उपयुक्तता निश्चित करने को राज्यों में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया। फिर भी भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने कुछ राज्यों में मिट्टी के अनेकों भूभंडार खोज लिये हैं। खोजे गये भूभंडारों की किस्म और स्थान का विवरण लोक-सभा के पटल पर रखे विवरण पत्र में दिया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०१]

१९५१ की जनगणना

१३११. **श्री चांडक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ की जनगणना के सम्बन्ध में अब तक क्या सामग्री प्रकाशित की गयी है ;

(ख) जिला जनगणना पुस्तिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) भविष्य में उनके प्रकाशन में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : (क) पेपर नम्बर, ६—"जन्म स्थान के अनुसार आर्थिक वर्गीकरण और शिक्षा स्तर—कलकत्ता" के अलावा १९५१ की जनगणना की सब पुस्तिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। यह पेपर छप रहा है और उसके शीघ्र ही प्रकाशित हो जाने की आशा है। १९५१ की जनगणना की पुस्तिकाओं की सूची की एक प्रति, जिस में हर एक पुस्तिका का मूल्य दिया हुआ है. सदन के पुस्तकालय में पहले से ही मौजूद है।

(ख) सब राज्यों के समस्त जिलों की जिला जनगणना पुस्तिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उड़ीसा की जिला जनगणना पुस्तिकाओं की केवल साइक्लो स्टाइल प्रतियां ही उपलब्ध हैं क्योंकि वह राज्य सरकार इनको छपवाने के लिये सहमत नहीं थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस फ्लाइंग स्क्वैड

१३१२. **श्री चांडक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता की सेवा करने के लिये दिल्ली में पुलिस का जो फ्लाइंग स्क्वैड बनाया गया है उसने अब तक क्या कार्य किया है ;

(ख) इस स्क्वैड में कितने सिपाही कार्य करते हैं; और

(ग) किन-किन केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में ऐसे स्क्वैड बनाये गये हैं ?

गृह–कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : (क) दिल्ली फ्लाइंग स्क्वैड १२ फरवरी १६५७ को बना ; तब से यह ३१४७ बार जनता के बुलाने पर गया। सूचना मिलते ही वह घटना-स्थल पर पहुंच जाता है।

(ख) ६०।

(ग) ऐसा स्क्वैड और किसी केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में नहीं है।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का इतिहास

१३१३. श्री चांडक : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की सेवाओं के इतिहास का जो नया संस्करण तैयार किया जा रहा है, उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस इतिहास प्रकाशन का क्या उद्देश्य है ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त) : (क) वह छप रहा है।

(ख) इस में अधिकारियों के शैक्षणिक जीवन तथा उनकी सेवा का विस्तृत विवरण होगा जिसकी सरकार को, उनकी विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिये, समय समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है। यह अकाउन्टेन्ट जनरल के लिये भी उपयोगी होगा। इस प्रकाशन को एक विस्तृत निर्देश पुस्तक के रूप में बनाने का विचार है जो उस समय और श्रम को बचाएगी जो आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सूचना को एकत्र करने में लगता है।

गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस की कागज सम्बन्धी आवश्यकता

†**१३१४. श्री जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस में करंसी नोट, स्टाम्प और अन्य आवश्यक वस्तुयें छापने के लिये प्रति वर्ष कितने कागज की आवश्यकता होती है ;

(ख) प्रत्येक किस्म के करेंसी पेपर की प्रति पौंड कितनी कीमत है ;

(ग) कितना करेंसी कागज रोजमर्रा रद्दी के रूप में जला दिया जाता है ;

(घ) १६५१ के पूर्व प्रतिदिन कितना कागज बेकार होता था ; और

(ङ) क्या सरकार ने रद्दी कागज जलाने के बजाये वहां निकट ही कागज का गूदा तैयार करने वाला संयंत्र प्रतिष्ठापित करने पर विचार किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) लगभग १,४५० टन कागज करेंसों नोट के लिये और ५,००० टन कागज स्टाम्प तथा अन्य वस्तुएं छापने के लिये।

(ख) करेंसी नोट के कागज की वर्तमान कीमत ४.५६ रुपये प्रति पौण्ड है।

(ग) जितना कागज प्रयुक्त होता है उस का लगभग ३ और ४ प्रतिशत भाग रद्दी के रूप में जला दिया जाता है।

(घ) प्रयुक्त होने वाले कागज का लगभग उतना ही जितना आजकल रद्दी के रूप में जलाया जाता है।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ङ) सम्पूर्ण रद्दी नहीं जलाई जाती है लगभग २ लाख रुपये की कीमत पर कागज की कतरनें हर वर्ष बेच दी जाती हैं । कुछ समय पूर्व गूदा बनाने वाला संयंत्र प्रतिष्ठापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था किन्तु मितव्ययतारहित होने के आधार पर इस का परित्याग कर दिया गया । कागज के रंगीन टुकड़े छापने वाली छोटी छोटी मशीनें[१५] लगाने की उपयोगिता के बारे में प्रयोग किया जा रहे हैं ।

गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस में सेवाओं की अवधि में वृद्धि

†**१३१५. श्री जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस में, करेंसी नोट प्रेस और सेन्ट्रल स्टाम्प प्रेस सहित, १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ में अभी तक रिटायर हुए अथवा रिटायर होने वाले कितने कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की गई है अथवा उन की सेवाओं की अवधि में वृद्धि की गई है ;

(ख) इन पुनर्नियुक्तियों और सेवा में विस्तार करने का क्या आधार है ;

(ग) क्या सेवा अवधि में वृद्धि करने के पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो लोक सेवा की किन आपात् स्थितियों के परिणामस्वरूप सरकार को इन की सेवा अवधि में वृद्धि करने के लिये बाध्य होना पड़ा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) १९५४, १९५५ और १९५६ में ऐसा नहीं किया गया था किन्तु १९५७ में सेवा अवधि में वृद्धि का एक मामला हुआ है ।

(ख) लोक सेवा के हित में अवधि वृद्धि की गई है ।

(ग) इस मामले में नियम के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं था ।

(घ) दशामिक प्रणाली के स्टाम्प छापने और करेंसी नोट प्रेस के विस्तार आदि के महत्व-पूर्ण विषयों की दृष्टि से सेवा अवधि बढ़ाना आवश्यक हो गया था ।

गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस में तलाशी लेने वाले चपरासी[१६]

†**१३१६. श्री जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नमट सीक्योरिटी प्रेस, नासिक में तलाशी लेने वाले चपरासियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या यह सच है कि प्रेस की आवश्यकता देखते हुए ये कर्मचारी कम हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ११० ।

(ख) जी, नहीं । चपरासियों की वर्तमान संख्या उपयुक्त है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१५]Confetti machines.

[१६]Search peons.

पाकिस्तान से प्रतिभूति-निक्षेपों के धन का हस्तांतरण

†१३१७. **श्री हेम राज :**
श्री पद्म देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के पूर्व के पंजाब में विभिन्न श्रेणियों के भारतीय ठेकेदारों ने प्रतिभूति धन के जो निक्षेप किये थे, पाकिस्तान सरकार द्वारा उन के हस्तांन्तरण के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) पाकिस्तान सरकार से कितनी राशि का समायोजन करना है ; और

(ग) यह धन किस समय तक संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध हो सकेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) विभाजन के समय दोनों पंजाबों के बीच जो व्यवस्था तय हुई थी, निक्षेपों को जिन में ठेकेदारों द्वारा किये गये निक्षेप भी शामिल हैं, वापिस करने के दायित्व का बंटवारा इस आधार पर किया गया था कि वह निक्षेप किस स्थान पर हैं और भारत स्थित दावेदारों को पश्चिमी पाकिस्तान में किये गये निक्षेपों की वापसी के लिये सीधे वहीं अपनी अर्जी भेजनी पड़ती थी । इस व्यवस्था के ठीक ढंग से न चलने के कारण इस मामले पर पंजाब क्रियान्विति समिति की अगस्त, १९५७ में चण्डीगढ़ में हुई बैठक में और आगे विचार किया गया था और उस में पंजाब (भारत) सरकार के कहने से यह बात तय हुई थी कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की जाय जो क्रियान्विति समिति की अगली बैठक में अपना प्रतिवेदन उपस्थित करे । पंजाब सरकार पश्चिमी पाकिस्तान सरकार की सलाह से इस मामले में और आगे आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

(ख) दावे सीधे पश्चिमी पाकिस्तान सरकार के पास भेजे जाने के कारण पंजाब सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कुल दावे कितने हैं और कितनी राशि के लिये हैं ।

(ग) ऊपर (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बता सकना संभव नहीं है कि इन दावों के कितनी अवधि के भीतर निबटा दिये जाने की आशा है ।

मराठवाड़ा में कल्याण प्रसार परियोजनायें

†१३१८. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ के लिये अब तक बम्बई के मराठवाड़ा क्षेत्र को कुल कितनी कल्याण प्रसार परियोजनायें आवंटित की हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: १९५६-५७—एक भी नहीं ।

१९५७-५८—एक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मराठवाड़ा में पुस्तकालय –आन्दोलन

†१३१९. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये बम्बई के मराठवाड़ा क्षेत्र को १९५६-५७ में कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) उपर्युक्त सहायता से वहां १९५६-५७ में कुल कितने पुस्तकालय खोले गये थे ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कुछ भी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई का उच्च न्यायालय

†१३२०. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के उच्चन्यायालय में १९५६ के नवम्बर के बाद से कुल कितने न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) इस समय उच्चन्यायालय में कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ?

†**गृह–कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) बम्बई उच्चन्यायालय की बेंच पर १ नवम्बर, १९५७ से ५ जनवरी, १९५७ तक १७ न्यायाधीशों ने ; ६ जनवरी, १९५७ को २० न्यायाधीशों ने ; ७ जनवरी, १९५७ से १६ जनवरी, १९५७ तक १९ न्यायाधीशों ने ; १७ जनवरी से २८ फरवरी, १९५७ तक १८ न्यायाधीशों ने ; १ मार्च से २२ मार्च, १९५७ तक १९ न्यायाधीशों ने ; २३ मार्च से १६ अगस्त, १९५७ तक २० न्यायाधीशों ने ; १७ अगस्त से १५ सितम्बर, १९५७ तक १९ न्यायाधीशों ने काम किया है और उस तारीख के बाद से २० न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं ।

(ख) १२ नवम्बर, १९५७ को १६,१९२ मामले उच्चन्यायालय में विचाराधीन थे ।

दया याचिकायें

†१३२१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मृत्यु-दण्ड के लघुकरण[१७] के सम्बन्ध में इस समय कुल कितनी दया-याचिकायें विचाराधीन हैं ;

(ख) १९५६ और १९५७ के दौरान में (१ नवम्बर, १९५७ तक) कुल कितनी याचिकाओं को निबटाया गया ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में कुल कितने मृत्यु-दण्डों का लघुकरण किया गया ?

†**गृह–कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) चौबीस ।

(ख) १९५६ में १९२ याचिकायें निबटाई गई थीं और १ जनवरी से १ नवम्बर, १९५७ की अवधि में १७२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१७]Commutation.

(ग) वर्ष १६५६ में १६८ बन्दियों के और १ जनवरी से १ नवम्बर, १६५७ की अवधि में ६८ बन्दियों के मामले में मृत्यु दण्ड का लघुकरण कर उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है ।

युद्ध सामग्री कारखानों में शिक्षार्थी

†१३२२. **श्री स०म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न युद्ध-सामग्री कारखानों में कुल कितने शिक्षार्थी काम कर रहे हैं; और

(ख) १५ अगस्त, १६४७ से लेकर १५ अगस्त, १६५७ तक की अवधि के बीच कितने शिक्षार्थियों को शिक्षार्थी-काल पूरा कर लेने पर नौकरियां दी गयी हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १८६ ।

(ख) २६७ ।

बन्दियों की रिहाई

†१३२३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयन्ती अवसर पर १५ अगस्त, १६४८ से लेकर १५ अगस्त, १६५७ तक की अवधि में संघ राज्य-क्षेत्रों की विभिन्न जेलों से कुल कितने बन्दी रिहा किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

रियायती टिकट (पी० टी० ओ०)

†१३२४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) १ नवम्बर, १६५७ तक उनमें से कितनों ने रियायती टिकटों की सुविधा का लाभ उठाया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल रख दी जायगी ।

राजस्थान में अनुसूचित जातियों का कल्याण

१३२५. **प० ला० बारूपाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये राजस्थान सरकार को अब तक कितनी राशि दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये राजस्थान सरकार को (जिसमें अजमेर क्षेत्र भी शामिल है) अभी तक २१.०९ लाख रुपए दिए गये हैं।

नाविक प्रशिक्षण[१८]

†**१३२६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में (३० नवम्बर, १९५७ तक) नाविक प्रशिक्षण के लिये कुल कितने भारतीयों को विदेश भेजा गया है, और;

(ख) इन्हें किन-किन देशों में भेजा गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)**: (क) पैंतीस अफसर — ७

खलासी	२५
असैनिक	३
जोड़	३५

(ख) ब्रिटेन ।

हिमाचल प्रदेश में बहु प्रयोजनीय स्कूल

†**१३२७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक कुल कितने बहु प्रयोजनीय स्कूल खोले गये हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये १९५६-५७ और १९५७-५८ में (३० नवम्बर, १९५७ तक) कुल कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी और दी गयी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). कुछ भी नहीं।

पत्रकार कला का पाठ्यक्रम

†**१३२८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन किन विश्वविद्यालयों ने अपने यहां पत्रकार-कला का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये १९५७-५८ में अब तक उन्हें कितने अनुदान दिये गये हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अब तक मिली जानकारी दे दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[१८]Naval Training.

(ख) पत्रकार–कला की किसी योजना को चलाने के लिये १६५७–५८ में अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी विश्वविद्यालय को कोई अनुदान नहीं दिया है।

फतेहपुर सीकरी के स्मारक

†१३२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फतेहपुर सीकरी के स्मारकों की देखभाल पर १६५६–५७ में कितनी राशि व्यय की गयी थी; और

(ख) १६५७–५८ में कितनी राशि व्यय की जाने वाली है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) २५,८६२ रुपये।

(ख) १६,३५० रुपये।

पंजाब में प्रादेशिक भाषाओं का विकास

†१३३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये सहायक अनुदानों के रूप में पंजाब सरकार को १६५७–५८ में कितनी राशि दी जाने वाली है; और

(ख) उसका इस्तेमाल किन शीर्षों के अधीन किया जाने वाला है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

(क) और (ख) : मामला विचाराधीन है।

पूर्वी हिमालय का वैज्ञानिक अनुसन्धान

†१३३१. **श्री सुबोध हांसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् के बोर्ड ने अपनी मार्च, १६५५ की बैठक में यह सिफारिश की थी कि दार्जिलिंग के पर्वतारोहण स्कूल से पूर्वी हिमालय के अनुसन्धान के लिये सुविधायें प्रदान करने का अनुरोध किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो (१) पर्वतारोहण स्कूल ने इस अनुरोध का क्या जवाब भेजा है, और (२) यदि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की हो, तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) (१) पर्वतारोहण स्कूल ने सहयोग और प्रत्येक संभव सहायता करने की इच्छा प्रगट की है।

(२) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् को इस संबंध में और आगे कुछ भी कार्यवाही नहीं करनी थी। यदि कोई वैज्ञानिक कार्यकर्त्ता दार्जिलिंग में काम करना चाहे तो वह सुविधायें प्राप्त करने के लिये पर्वतारोहण स्कूल से सम्पर्क स्थापित कर सकता है

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

†१३३२. **श्री सुबोध हासदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कृत्य क्या हैं ;

(ख) इस परिषद् के लिये कितना वार्षिक संस्थापन व्यय किया जाता है ;

(ग) परिषद् में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) उन्हें भरती करने का तरीका क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). लोक–सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०३**]

सर्वेक्षण कार्य और नक्शे तैयार करना

†१३३३. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हासदा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री लोक–सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) भारतीय भूपरिमाप को भारत सरकार के अतिरिक्त प्राधिकारियों ने सर्वेक्षण और नक्शे तैयार करने का जो कार्य सौंपा था, क्या उसने उसे आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्राधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार का कार्य किन शर्तों और निबंधनों के आधार पर किया जाता है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जीहां ।

(ख) और (ग). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता ह जिसमें उपलब्ध जानकारी दे दी गयी है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०४**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) व्यादेशक[१९] उस कार्य का पूरा खर्च और विभागीय उपरि-प्रभार अदा करता है; केवल राज्य-सरकारों के लिये की गयी लीथो-छपाई के लिये विभागीय उपरि-प्रभार और ५ प्रतिशत लाभ नहीं वसूल किया जाता गैर-सरकारी व्यादेशकों से सर्वेक्षण और छपाई का पूरा खर्च पेशगी ले लिया जाता है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय

†१३३४. **श्री वर्मन:**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी वित्त समिति ने विश्वविद्यालव अनुदान आयोग के एक प्रतिनिधि को रखने से इंकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस इंकार के लिये विश्वविद्यालय ने कुछ कारण बताये हैं ; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १६५६-५७ और १६५७-५८ में इस विश्वविद्यालय को कितनी राशि के अनुदान दिये हैं ?

†**शिक्षा और गवेषणा वैज्ञानिक मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं। अपनी वित्त समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक प्रतिनिधि के लिये स्थान बनाने की दृष्टि से दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद् ने हाल में विजिटर द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों की संख्या बढ़ा कर तीन कर देने का सुझाव स्वीकार कर लिया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १६५६–५७ ४४,५१,५४३.६२ रुपये ।
१६५७–५८ २६,६५,०८६.१६ रुपये ।

उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

१३३५. श्री भक्त दर्शन : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६–५७ में भूगर्भ-शास्त्रियों ने उत्तर प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों यथा अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, देहरादून और टिहरी गढ़वाल के किन किन स्थानों का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) उन स्थानों के खनिज निक्षेपों के बारे में उन के द्वारा दी गई रिपोर्टों का सार क्या है;

(ग) इन खनिज निक्षेपों की खुदाई के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(घ) वर्ष, १६५७–५८ के लिये कौन-सा कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख).

जिला अल्मोड़ा

(१) **चन्खुतिया** :—भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने चन्खुतिया के पास ४० मील लम्बी और २ १/२ मील चौड़ी डोलोमैटिक[२०] चूना पत्थर की एक बैल्ट खोज ली है । इस बैल्ट के कुछ हिस्सों में अधिक खड़िया (कैशिल्यम कारबोनेट)[२१] है । इस पर १६५७–५८ के क्षेत्र में कार्य करने के समय में अधिक विस्तृत कार्य किये जाने का प्रस्ताव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[१९] Indentor.
[२०] Do omitic.
[२१] Calcium Carbonate.

(२) **देवालधर** :—देवालधर के तांबा भूभंडार खोजे गये लेकिन ये भूभंडार किस्म और तादाद में अच्छे नहीं पाये गये ।

(३) **पगना** :—पगना के पाईराइट भूभंडारों की जांच की गई लेकिन उस जगह कोई नाली नहीं देखी गई । इस क्षेत्र में भूभंडार की मौजूदगी साबित करने के लिये आगे कार्य करना पड़ेगा ।

(४) **शीशखानी** :—शीशखानी के सीसा भूभंडारों की जांच की गई और इन भू-भंडारों की ठीक कीमत आंकने के लिये आगे खोज आवश्यक होगी ।

जिला गढ़वाल

(१) **सुतोल** :—गंधक भूभंडारों की खोज की गई । कोई भी भूभंडार आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं पाया गया ।

(२) **खन्सार** :—खन्सार के समीप सुई की तरह खड़िया मिट्टी[२२] के भूभंडार देखे गये । यह भूभंडार आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं हैं ।

(३) **मौख और घाट** :—मौख और घाट के समीम हैमाटाइट[२३] के छोटे छोटे लैन्स खोजे गये परन्तु इन का कोई महत्व नहीं देखा गया ।

(४) **ग्वालदाम** :— भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के भौवृत्तिकी शास्त्रज्ञों ने कच्चे तांबे के लिये ग्वालदाम के समीप एक पुराने खनि मुख[२४] की जांच की लेकिन कच्चे तांबे के कोई चिन्ह नहीं पाये जा सके । भू भंडारों पर अच्छी प्रकार कार्य कर लिया गया है ।.

नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और देहरादून

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के १९५६–५७ के क्षेत्रीय-कार्यक्रम में जो इन जिलों में की जाने वाली कुछ खोजें सम्मिलित की गयी थीं वे अन्य स्थानों की अधिक आवश्यक खोज के कारण पूरी नहीं की जा सकीं ।

(ग) संचित मात्रा को साबित करने के लिये जो खोजें की जा रही हैं उन के समाप्त हो जाने के बाद खनिज भूभंडारों के खनन के लिये आगे बढ़ने का कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

(घ) १९५७–५८ के क्षेत्र में काम करने के समय में जो खोजें करने का प्रस्ताव है उन का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०५]**

संयुक्त स्कन्ध समवाय

†१३३६. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा २३५ और २३७ के अधीन अब तक कुल कितने संयुक्त स्कन्ध समवायों के कार्य-कलाप की जांच की गयी है;

(ख) क्या उपर्युक्त जांच संबंधी प्रतिवेदन दिये जा चुके हैं; और

(ग) इन प्रतिवेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[२२]Gypsum
[२३]Hematite
[२४]Adit

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ११ समवायों की, ६ की धारा २३५ के अधीन और २ की धारा २३७ के ।

(ख) ८ मामलों के विषय में निरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ।

(ग) २ मामलों में मुकदमा दायर करने के लिये हिदायतें दी जा चुकी हैं और २ और मामलों में इसी आशय की हिदायतें दी जा रही हैं । एक मामले में कुछ भी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई और दूसरे में पायी गयी अनियमितताओं की शुद्धि के लिये उन की ओर समवाय का ध्यान आकृष्ट किया गया है । शेष २ मामलों में, प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

संयुक्त स्कन्ध समवाय

†१३३७. **श्री मुरारका:**
श्री नथवानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय अधिनियम की धारा ३६७ और ३६८ के अधीन कथित अत्याचार और कुप्रबन्ध के कितने मुकदमे अदालतों में दायर किये गये हैं;

(ख) कितने मामलों में सरकार ने अदालत को अपने अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) इन मुकदमों का क्या परिणाम हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) सैंतीस ।

(ख) ग्यारह ।

(ग) ग्यारह में से दो मामलों में समवायों का कार्य चलाने की व्यवस्था करते हुए अन्तरिम आदेश निकाल दिये हैं; सात मामलों में अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है शेष दो मामलों में संबंधित पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है और मुकदमे वापिस ले लिये हैं ।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

१३३८. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में बसने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधायें जैसे शैक्षणिक, नौकरियों में सुरक्षित स्थान, नलकूपों का उपबन्ध, कान व कृषि सम्बन्धी सुविधायें आदि, नहीं मिल रही हैं ?

गृह–कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : जी नहीं; यह सच नहीं है । सारे राजस्थान में बसने वाली अनुसूचित जातियों को एक सी ही सुविधायें मिलती हैं चाहे वे आदिवासी क्षेत्रों में रहती हों या उस से बाहर ।

बीकानेर के भूतपूर्व सैनिक

१३३९. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को जिला गंगानगर के नहरी क्षेत्र की भूमि में बसाया गया ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक हैं, और प्रत्येक को कितनी जमीन दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन सैनिकों में कितने मोची, भंगी, नाई, धोबी, आदि अनुसूचित जाति के लोग हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां ।

(ख) ११७ भूतपूर्व सैनिकों को इस प्रकार से भूमि बांटी गई है :—

भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	लगभग एकड़ भूमि
८१	प्रत्येक को १० एकड़ ।
९	प्रत्येक को १७ और २१ एकड़ के दर्मियान
२७	प्रत्येक को ५ और ८ एकड़ के दर्मियान ।

(ग) सूचना सहज-प्राप्य नहीं है ।

अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास सम्मेलन, सानफ्रांसिस्को

१३४०. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सानफ्रांसिस्को में हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ;

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वाले सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधियों का चुनाव किस ढंग से हुआ था;

(घ) क्या भारतीय प्रतिनिधियों ने सम्मेलन से लौटाने के बाद सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस के मुख्य पहलू क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). भारत सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया । हां, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास सीधे निमंत्रण आया था, जिसे उन्होंने भारत सरकार से परामर्श कर के स्वीकार कर लिया । सरकार को मालूम है कि सम्मेलन के संयोजकों ने भारत के कुछ प्रमुख व्यापारियों के पास भी सीधे निमंत्रण भेजे थे, जिनमें से कुछ ने सम्मेलन में भाग लिया ।

(घ) और (ङ). सम्मेलन में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात के लिये बाध्य नहीं हैं कि वह सम्मेलन के सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट दे । लेकिन वित्त मंत्री को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीयों में से कुछ के भाषणों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं ।

इन्फ्लुएंजा का टीका[२५]

†१३४१. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक चिकित्सा अधिकारीगण इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिये आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज, पूना में कोई प्रामाणिक टीका बना रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[25]Anti Influenza Vaccine.

(ख) इस रोग की रोकथाम में इस टीके की उपयोगिता और प्रभाव शक्ति की परीक्षा कर ली गयी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या इसमें से कुछ टीके असैनिक उपयोग के लिये दिये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) इन्फ्लुएंजा के जिस विष के फलस्वरूप हाल ही में भारत में जो इन्फ्लुएंजा महामारी फैली थी, पूना के आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज में जून, १९५७ से ही उसके लिये इन्फ्लुएंजा का टीका बनाया जा रहा है।

(ख) जी, हां ।

(ग) परीक्षण सफल हुए हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

छात्रवृत्तियां

†१३४२. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ के दौरान में प्रत्येक राज्य से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिये कुल कितने कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य के कितने कितने आवेदन स्वीकार किये गये ; और

(ग) इन आवेदनों पर १९५७–५८ के लिये कितनी कितनी राशि की छात्रवृत्तियां मंजूर की गयी हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के बारे में पृथक्-पृथक् जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०६]**

(ग) मंजूर की गयी छात्रवृत्तियों की राशि .	१,१०,८२,०००	रुपये
मंजूर की जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि .	८९,१८,०००	रुपये
कुल जोड़	२,००,००,०००	रुपये

जीवन बीमा निगम

†१३४३. **श्री जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकक "ओरियंटल" ने १९ जनवरी, १९५६ के बाद में और १ सितम्बर, १९५७ के पहले अपने पदाधिकारियों की विशेष पदोन्नति की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेगी जिसमें इन पदाधिकारियों का नाम, विशेष पदोन्नति का स्वरूप, उनकी अर्हतायें और सेवा की अवधि आदि दी हुई हो ;

(ग) क्या ऐसी विशेष पदोन्नति करने से पहले उसके लिये सरकार की मंजूरी ले ली गयी थी ; और

(घ) क्या यह सच है कि मुख्य पदाधिकारियों के लिये विशेष वेतन वृद्धि मंजूर करने के अनुरोध कुछ अन्य एककों के अभिरक्षक से भी प्राप्त हुए थे और इन्हें अस्वीकार कर दिया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) किसी अभिरक्षक से किसी भी एकक के मुख्य अधिकारियों के लिये वेतन वृद्धि मंजूर करने के अनुरोध नहीं प्राप्त हुए ।

मनीपुर प्रशासन

†१३४४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच स्थानीय मनीपुर दैनिक पत्रों को १९५५–५६, १९५६–५७ और अप्रैल, १९५७ से अक्तूबर, १९५७ तक के दौरान में कुल कितने विज्ञापन दिये गये और मनीपुर प्रशासन द्वारा निकाली गयी अधिसूचनाओं और प्रेस-विज्ञप्तियों के विज्ञापन शुल्क के लिये कितनी [राशियों का भुगतान किया गया ; और

(ख) इन अवधियों में प्रत्येक दैनिक पत्र को कुल कितने कितने विज्ञापन दिये गये थे ?

†**गह–कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह आंकड़े दिये हुए हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०७**]

पत्र का नाम	विज्ञापनों की कुल संख्या
दि प्रजातन्त्र	७२२
दि नागसी	१२५
दि अनौबा समाज . : . .	११३
दि मातम्	एक भी नहीं
दि सीमान्त पत्रिका	१

प्राइमरी स्कूल के चौकीदार

†१३४५. **श्री ले० अचौ सिंह** : : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के चौकीदार का वेतन ३ रुपये प्रतिमास है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि यह वेतन बिल्कुल अपर्याप्त है और उसके पद के उत्तरदायित्व के अनुरूप नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार इस त्रुटि को दूर करने वाली है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०८]

मनीपुर में नेपाली

†**१३४६. श्री ले० अचौ सिंह**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में नेपालियों की आबादी कुल कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण कष्ट पा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार मनीपुर में नेपालियों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने वाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) २८६० (१९५१ की जनगणना के अनुसार)

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पीने के पानी में जहर मिलाना

†१३४७. **श्री ब० स० मूर्त्ति** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो पाकिस्तानियों ने काश्मीर स्थित भारतीय सेनाओं के पीने के पानी में जहर मिलाने की कोशिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ; और

(ग) पाकिस्तानी एजेन्टों की इस प्रकार की विध्वंसात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख). यह विषय अभी विचाराधीन है ।

(ग) लोक सभा में यह जानकारी प्रकट करना लोक हित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में अमरीकी पूंजी विनियोजन

†१३४८. **श्री कोडियान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ से १९५६ तक भारत में अमेरिका से कितनी गैर-सरकारी पूंजी प्रत्येक वर्ष में विनियोजित की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** आंकड़े संग्रहीत किये जा रहे हैं और शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रख दिये जायेंगे ।

विदेशों में क्रय मिशन

†१३४९. **श्री भूलन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रयुक्त करने के लिये अभी तक कितने मिशन सामान और उपकरण खरीदने विदेश भेजे गये हैं ;

(ख) इन्हें बाहर भेजने की व्यवस्था किस मंत्रालय द्वारा की जाती है; और

(ग) कितना और किस किस प्रकार का सामान खरीदा गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कार नीकोबार व्यापार समवाय

†१३५० { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीकोबार द्वीप की कार नीकोबार व्यापार समवाय के कितने भागीदारों को मासिक वेतन अथवा भत्ता मिलता है और वेतन-स्तर आदि क्या हैं ;

(ख) इस समवाय को प्रथम वर्ष में कितना वास्तविक लाभ हुआ है ;

(ग) प्रथम वर्ष में समवाय ने कितना-कितना खोपरा और सुपारी खरीदी और बेची है ; और

(घ) समवाय द्वारा किये गये व्यापार के सिलसिले में खोपरा और सुपारी प्रति पौण्ड कितना पड़ता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान को पुनर्वास ऋण

१३५१. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० सि० सहगल :

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत महायुद्ध में अन्दमान द्वीप पर जापानी अधिकार के परिणामस्वरूप जिन लोगों को हानि सहनी पड़ी थी उनके लाभार्थ सरकार ने पुनर्वास ऋण स्वीकृत किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की कुल कितनी रकम है और वह किस तारीख को स्वीकृत किया गया था ;

(ग) इस ऋण को प्राप्त करने के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए थे और कितने आवेदन स्वीकृत किये गये ; और

(घ) आवेदनकर्ताओं को स्वीकृत ऋण की कुल राशि कितनी है ; अभी तक कितनी रकम यथार्थतः वितरित की गई है और कितने आवेदकों को यह मिली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)**: (क) जी, हां ।

(ख) १२ अक्टूबर, १६५५ को ५ लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे । उस में से दो-तिहाई रकम ब्याजरहित ऋण के रूप में दी गई थी और एक तिहाई प्रसादतः अनुदान[२६] के रूप में दिया गया ।

(ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्दमान द्वीप का परिवहन विभाग

†१३५२. { श्री अ० सि० सहगल :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप के परिवहन विभाग में ट्रक और हलकी परिवहन सवारियों की, जिन में १५ हंडरवेट की जीपें, कारें आदि सम्मिलित हैं, संख्या अलग-अलग कितनी है ;

(ख) अधिकारियों के नाम क्या हैं और उन में से प्रत्येक को दी गई १५ हंडरवेट वाली कारें, जीपें आदि की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह पदाधिकारी अपनी रोजमर्रा की यात्रा का फासला और प्रयोजन रखते हैं ;

(घ) इस विभाग का कुल वार्षिक व्यय कितना है ;

(ङ) इस खर्च में पेट्रोल की कितनी कीमत अन्तर्ग्रस्त है ; और

(च) पोर्ट ब्लैयर की नगरपालिका सीमा के बाहर और उस के भीतर अधिकारियों की कारों, जीपों आदि ने कुल कितनी यात्रा की है उस का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

२६. Gratio grant.

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) ट्रक—३३.

हलकी परिवहन सवारी गाड़ियां—३४

बसें—५

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०९]

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) चार लाख अस्सी हजार रुपये ।

(ङ) पेट्रोल पर औसत वार्षिक व्यय एक लाख और ५३ हजार रुपये ।

(च) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

भ्रष्टाचार निरोधक समिति

†१३५३. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थापनों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिये एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की रचना किस प्रकार होगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कानपुर विमान बल केन्द्र के असैनिक कर्मचारी

†१३५४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित विमान बल केन्द्र के असैनिक कर्मचारियों को सैनिक परेड में सम्मिलित होने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन विनियमनों के अन्तर्गत ऐसा किया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं । किन्तु कुछ असैनिक कर्मचारियों ने परेड में भाग लेने की इच्छा प्रकट की थी उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

१३५५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे बिना कुछ दिये फैक्टरियों की मोटरगाड़ियां काम में लायें और सरकार से यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ता लें ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे वाहनों का दुरुपयोग करने के लिये और गलत तरीके से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेने के लिये १९५७ में अब तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सामान्य नियम के अनुसार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों को फैक्टरियों की मोटरगाड़ियां काम में लाने की मनाही है। असाधारण परिस्थितियों में जब कभी इन अधिकारियों को ऐसी मोटरगाड़ियां मांगने के लिये बाध्य होना पड़ता है तो मील भत्ता मांगने से पहले उन्हें मोटर की सवारी का खर्च अदा करना पड़ता है। यदि सवारी खर्च अदा नहीं किया गया है तो मील भत्ते की मांग नहीं की जा सकती ; लेकिन मील भत्ते के बदले, नियमानुसार, दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

(ख) सरकार के सामने अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया।

सीक्योरिटी प्रेस, नासिक

†१३५६. **श्री जाधव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस नासिक—जिस में करेंसी नोट प्रेस और सेन्ट्रल स्टाम्प प्रेस भी सम्मिलित हैं, में मार्च, १९५१ से ले कर आज तक की अवधि में गबन, चोरी और हिसाब में गड़बड़ी की घटनाओं की संख्या कितनी है—जिस में अन्तर्ग्रस्त रकम और बट्टे खाते लिखी गई राशियों का पूर्ण ब्यौरा दिया गया हो ;

(ख) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) १९४७ से १९५१ के बीच चोरी की कितनी घटनायें हुईं और इन में कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). चोरी की दो घटनायें थीं जिन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(१) स्टाम्प प्रेस में लेखा विभाग में तिजोरी से एक क्लर्क द्वारा १५,०१० रुपये चुराने की एक कथित घटना अप्रैल, १९५१ में हुई। इस में से ८,००० रुपये बाद में प्रेस की एक इमारत की छत पर मिल गये। शेष ७,०१० रुपये बट्टे खाते लिख दिये गये। अपराधी पर मुकदमा चलाया गया था किन्तु टेकनीकल आधारों पर न्यायालय द्वारा इसे मुक्त कर दिया गया। किन्तु जांच के दौरान यह मालूम होने पर कि वह पूर्व सजायाफ्ता है उसे नौकरी से बर्ख्वास्त कर दिया गया।

(२) करेंसी नोट प्रेस के एक मजदूर द्वारा १०—१० रुपये के नोट छापने के कागज की सौ शीटें चुराने की कथित घटना फरवरी १९५५ में घटी। अपराधी पर मुकदमा चलाया गया और उसे प्रारम्भ में सजा भी हुई किन्तु सैशन कोर्ट ने अपील में उसे मुक्त कर दिया। तथापि उसे नौकरी से अलग कर दिया गया। इस मामले में ४० रुपये बट्टे खाते लिखे गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन घटनाओं के अतिरिक्त प्रेस कर्मचारियों द्वारा बेकार लकड़ी, टाट के टुकड़े, तांबे के तार, टीन के टुकड़े आदि सरकारी सम्पत्ति चुराने अथवा चुराने की कोशिश करने की १० घटनायें हुईं। इन में जो हानि हुई वह अकिंचन थी और उसे बट्टे खाते लिखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। सम्बन्धित कर्मचारियों को विभागीय जांच के पश्चात् नौकरी से अलग कर दिया गया।

इस प्रकार की प्रत्येक घटना के पश्चात् प्रेस की सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्विलोकन कर उसे दृढ़ कर दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न होने पायें।

इस ब्यौरे में वे घटनायें सम्मिलित नहीं हैं जिन की अभी जांच की जा रही है।

(ग) १९४७ से १९५१ तक की अवधि में चोरी की कुल ८ घटनायें हुईं। इन में से एक घटना कोरे कागज चुराने के सम्बन्ध में है; यदि इस कागज को नोट छापने के लिये प्रयुक्त किया जाता तो इन नोटों की कीमत ४ लाख रुपये होती। अन्य ७ मामलों में सरकार की हानि नगण्य थी और किन्हीं स्थितियों में कोई हानि ही नहीं हुई।

नासिक के सीक्योरिटी प्रेस में आग

†१३५७. **श्री जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक में सीक्योरिटी प्रेस, करेंसी नोट प्रेस और सेन्ट्रल स्टाम्प प्रेस के एक स्टोर में हाल ही में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो स्टोर और स्टाक में कितनी क्षति हुई; और

(ग) कौन-कौन से रिकार्ड भस्मीभूत हो गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) अभी हाल ही में नहीं किन्तु मई, १९५४ में स्टाम्प प्रेस के कच्चे माल वाले स्टोर में आग लग गई थी;

(ख) इस घटना में ६२,५५३ रुपये ९ आने ६ पाई की हानि का अनुमान था।

(ग) आग में भस्म होने वाले रिकार्डों में बिना मूल्य के स्टोर्स लेजर, इम्प्रेस वाउचर और गेट पास थे।

सीक्योरिटी प्रेस, नासिक

†१३५८. **श्री जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेंसी नोट प्रेस और सेन्ट्रल स्टाम्प प्रेस सहित सीक्योरिटी प्रेस के कार्य के निरीक्षण की कोई पद्धति बद्ध व्यवस्था है; और

(ख) इस विभाग के कार्य-संचालन की जांच के लिये कब-कब निरीक्षण किया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) संगठन तथा रीति विभाग के अधिकारी समय-समय पर इन संस्थाओं के कार्य का निरीक्षण करते हैं।

(ख) निरीक्षण वर्ष में सामान्यतया एक बार किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में टाइल बनाने का कारखाना

†१३५९. **श्री दशरथ देव:** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में छत के टाइल बनाने का कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कार्य आरम्भ करने के लिये कोई राशि उपलब्ध की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। चार यूनिट स्थापित करने के लिये मंजूरी दे दी गई है जिनमें से प्रत्येक पर ७५०० रुपये लागत आयेगी। एक यूनिट १९५८-५९ में स्थापित हो जायेगा।

हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली

१३६०. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कार्य द्रुत गति से सम्पन्न हो सके इस दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पांच विशेष अधिकारियों और पचास अनुसंधान सहायकों की नियुक्ति की जाने वाली थी ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी और किस प्रकार की नियुक्तियां की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में कब तक कदम उठाये जायेंगे ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) वर्तमान अमले को बढ़ा कर, कुल पांच विशेष अधिकारी और पचास अनुसंधान सहायक, कर देने का प्रस्ताव था।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ होने से अब तक सात अनुसंधान सहायक और भरती किये जा चुके हैं। इससे अमले की संख्या इस समय तीन विशेष अधिकारी और छतीस अनुसंधान सहायक हो गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े वर्गों के लिये भवन

१३६१. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व मध्य भारत के आदिम जाति सामूहिक कल्याण केन्द्रों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण केन्द्रों के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी;

(ख) आदिम जाति और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितने कल्याण केन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जाने वाला था और इसी अवधि में कितने भवनों का निर्माण किया गया;

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में निर्माण किये जाने वाले भवनों में से कितनों का निर्माण नहीं हो सका और इसके क्या कारण हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अनिर्मित भवनों के लिये मंजूर की गई राशि व्यपगत हो चुकी है या उसे लौटा दिया गया है या उसका विनियोग कहीं अन्यत्र कर लिया गया है ;

(ङ) ये अनिर्मित भवन कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे;

(च) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त (भारत सरकार) ने मध्य भारत क्षेत्र के दौरे के समय इन अनिर्मित भवनों की जानकारी प्राप्त की थी; और

(छ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार को पंचवर्षीय योजनावधि के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिये लिखा है ?

गृह–कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) से (छ). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बाल अपराधी

†१३६२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर जेल में बाल अपराधियों को बन्दी रखने के लिये अलग स्थान है;

(ख) १९५५, १९५६ और १९५७ में गिरफ्तार किये गये और दण्डित होने वाले बाल अपराधियों की संख्या क्रमशः कितनी है;

(ग) कितने गिरफ्तार बाल अपराधियों को प्रताड़ना के पश्चात रिहा कर दिया गया;

(घ) क्या इन अपराधियों को सुधारने के लिये विशेष व्यवहार अपनाया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†**गृह–कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)**: (क) जी हाँ

(ख) २०५, २९ और ३५ अपराधी क्रमशः ।

(ग) २ (एक १९५६ में और दूसरा १९५७ में) ।

(घ) और (ङ). उन्हें प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और बुनाई सिखाई जाती है ।

कर्मचारियों का स्थायीकरण

†१३६३. **श्रीमती शकुंतला देवी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ दिसम्बर, १९४७ को तथा उससे पूर्व भरती किये गये मंत्रालयों में अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारी अन्य बातों के साथ साथ तीन वर्ष की नौकरी पूरी कर लेने पर स्थायी कर दिये गये जबकि १ जनवरी, १९४८ को तथा उससे पूर्व भरती किये गये कर्मचारियों को इस रियायत से वंचित रखा गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो पूर्ववर्ती आदेश को विस्तृत कर देने पर १९५१ और १९५२ में कितने व्यक्ति स्थायीकरण के पात्र होते;

(ग) क्या १ जनवरी, १९४८ और ३१ दिसम्बर, १९५२ के बीच भरती किये गये व्यक्ति १ जनवरी, १९५३ से पुरःस्थापित केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के प्राथमिक गठन में स्थायी कर दिये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें पहले से स्थायी कर देने के विषय में कोई ध्यान दिया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में उक्त योजना के पुरःस्थापन के पूर्व निर्धारित ढंग से इन कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिये विशेष उपबंध रखा गया है ; और

(छ) यदि नहीं, तो उन्हें निश्चित प्रतिशत में स्थायी करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब०** पन्त): (क) जी, हां। ३१ दिसम्बर, १९४७ तक भरती किये जाने वाले अनुसूचित जाति के सदस्यों को यह विशेष रियायत दी गई थी।

(ख) अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (छ). १ जनवरी, १९४८ के पश्चात् नियुक्त अनुसूचित जाति के असिस्टेंट जो १ जुलाई, १९५२ को इसी अवस्था में थे और जो इसी प्रयोजन के लिये १९५० और १९५१ में आयोजित परीक्षाओं के आधार पर स्थायी नहीं हुए थे, उन्हें उस संवर्ग के नियमित अस्थायी प्रतिष्ठान में ले लिया गया है और ये सब उसके पश्चात् स्थायी कर दिये गये हैं अथवा शीघ्र ही स्थायी कर दिये जायेंगे। १ जुलाई, १९५२ के पश्चात् नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को उस विशेष प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर स्थायी होने का अवसर प्राप्त हुआ था जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये जुलाई, १९५५ में और एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा नवम्बर, १९५५ में आयोजित की थी। इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति असिस्टेंटों के लिये आयु-सीमा बढ़ा कर ३३ वर्ष कर दी गई थी। जनवरी, १९५३ को अनुसूचित जाति के जो लोग क्लर्क की स्थिति में थे और उक्त तिथि तक कम से कम एक वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके थे वे केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के प्रथम और द्वितीय ग्रेड में उनकी रचना के प्रारम्भ से ही स्थायी बनने के पात्र थे यद्यपि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये इस संकटग्रस्त तिथि को कम से कम तीन वर्ष की सेवा अपेक्षित थी। अनुसूचित जातियों के जो क्लर्क क्लर्क सेवा के रचना काल से प्रथम और द्वितीय श्रेणी में स्थायी होने के पात्र नहीं थे वे सम्बन्धित श्रेणियों में निर्वहन रिक्ति के विरूद्ध स्थायी होने के पात्र रहेंगे।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास[२७]

†१३६४. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट द्वारा अभी तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं; और

(ख) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अमेरिका की पाकेट साइज पुस्तकों की भांति ही रचनाएं प्रकाशित करेगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):**

(क) जी, नहीं।

(ख) कम कीमत पर सत्साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन करने के लिये सरकार ने एक ट्रस्ट स्थापित किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२७] National Book Trust.

"भगवान बुद्ध"

१३६५. **श्री ग्रासर** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित "भगवान बुद्ध" नामक पुस्तक की विभिन्न भाषाओं में कितनी कितनी प्रतियां छापी गई हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : "भगवान बुद्ध" नामक पुस्तक की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित प्रतियों की संख्या निम्नलिखित है :—

	प्रकाशित प्रतियां
हिन्दी	३,०००
गुजराती	१,५००
कन्नड़	३,०००
मलायलम	२,०००
सिन्धी	१,५००
तैलगू . . .	२,०००
तामिल . . .	२,०००

जीवन बीमा निगम

†१३६६. **सरदार इक्बाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जीवन बीमा निगम के कितने कार्यालय प्राइवेट इमारतों में स्थित हैं; और

(ख) इन कार्यालयों को सरकारी अथवा निगम की इमारतों में स्थानान्तरित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) १६ ।

(ख) यह संभव नहीं है कि निगम अपने कार्यालयों को सरकारी भवनों में स्थापित कर सकेगा । जो डिवीजनल कार्यालय आजकल किराये की प्राइवेट इमारतों में हैं, निगम उनके लिये नई इमारतें बनाने अथवा उपयुक्त इमारतें खरीदने का विचार रखता है । लेकिन छोटे-छोटे कार्यालय किराये की इमारतों में ही बने रहेंगे ।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†१३६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५७ में अभी तक अवैध रूप से आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की प्रतिमाह संख्या कितनी है ; और

(ख) कितने व्यक्तियों ने पाकिस्तान लौटने से मना कर दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय नौसेना द्वारा एक तलकर्षिणी[२४] का क्रय

†१३६८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना एक तलकर्षिणी खरीदने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी कीमत पर और किस देश से खरीदा जायेगा ; और

(ग) यह भारतीय नौसेना को कब मिल जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीमा शुल्क विनियमन

†१३६९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब भू सीमा शुल्क विभाग द्वारा १९५६-५७ में सीमा शुल्क विनियमनों के उल्लघन के कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) इनमें कितनी कीमत का सामान अन्तर्ग्रस्त था ;

(ग) इस सामान का निबटारा कैसे किया गया ; और

(घ) क्या अपराधियों को दण्ड दिया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : १९५६-५७ में पंजाब में भू सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क विनियमनों का उल्लंघन करने वाले ९९० मामले पकड़े गये ।

(ख) इन में ९,०४,०७७ रुपये का सामान अन्तर्ग्रस्त था ।

(ग) जब्त शुदा सामान मोचन–दण्ड देने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दिया गया अथवा सामान के मालिकों द्वारा मोचन-दण्ड न देने पर सार्वजनिक नीलामी कर दी गई । जब्त शुदा सोना और चांदी सरकारी टकसाल में भेज दिया गया है । जिन वस्तुओं के मोचन का उपबन्ध नहीं है और जो सर्वांशतः ज़ब्त किये जाते हैं वे भी सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेच दिये जाते हैं ।

(घ) जी हां । ९५५ अपराधियों को विभागीय दण्ड दिया गया और इनमें से १० के विरुद्ध न्यायालयों में भी मुकदमें चलाये गये ।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र

†१३७०. **श्री घोषाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल से राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्रों की बिक्री से १९५६ और १९५७ में अभी तक कितनी रकम प्राप्त हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२४]Dredger.

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : इन प्रमाण पत्रों की पश्चिमी बंगाल में कुल बिक्री इस प्रकार है :

	लाख रुपयों में लगभग (अक्तूबर तक) १९५६	१९५७
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (इन में १ जून, १९५७ से पुर:स्थापित किये जाने वाले वे राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण पत्र भी सम्मिलित हैं जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के स्थान पर आरम्भ किये गये थे) . . .	२,८९	२,७९
राष्ट्रीय योजना बचत पत्र	९५	२२
कुल	३,८४	३,०१

प्रतिरक्षा संस्थानों में हिन्दी अध्यापक

†१३७१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिये अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ; और

(ग) हिन्दी पढ़ने वाले कर्मचारी कितने हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिये विभिन्न केन्द्रों में गृह-कार्य मंत्रालय ने अध्यापक नियुक्त किये हैं । सीखने वाले कर्मचारियों में विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनों में असैनिक कर्मचारी भी सम्मिलित हैं ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†१३७३. { **श्री घोषाल :**
श्री त्रि० कु० चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की ओर से पुनर्वास वित्त प्रशासन को १९४८ से कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) कुल कितने आवेदन पत्रों का निबटारा हो चुका है और अभी तक कितनी रकम प्रदान की जा चुकी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). ३० सितम्बर, १९५७ तक प्राप्त होने वाले ४१,०१० आवेदन पत्रों में से ३१,९९२ पर विचार किया जा चुका है और उस तिथि तक ४२८.३७ लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

त्यौहारों पर दिया जाने वाला अग्रिम वेतन[२९]

†१३७४. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सम्पूर्ण कर्मचारियों को वर्ष में एक महीने का वेतन अपनी इच्छानुसार किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार पर "त्यौहार अग्रिम-वेतन" के रूप में लेने की अनुमति है ; और

(ख) इस अग्रिम वेतन के लिये क्या क्या शर्तें हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां । ३०० रुपये के बेसिक वेतन से कम वाले केन्द्र सरकार के नान-गजटेड कर्मचारियों का ७५ रुपये अथवा एक महीने का वेतन, जो भी कम हो, स्वीकृत किया जाता है ।

(ख) अग्रिम वेतन की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(१) यह चार से अधिक मासिक किस्तों में वसूल नहीं किया जाता है ।

(२) यह अग्रिम राशि त्यौहार के पहले ही ली जानी चाहिये ।

(३) यह केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो अपने काम पर हैं अथवा औसत वेतन पर छुट्टी मना रहे हैं या अग्रिम वेतन लेते समय पूरे वेतन पर अर्जित छुट्टियां व्यतीत कर रहे हैं ।

(४) यह कार्यालय में नियोजित प्रत्येक जाति के व्यक्तियों को प्रति वर्ष में सामान्यतः एक बार दिया जाता है ।

(५) अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की जमानत दिलाना पड़ता है अग्रिम राशि स्वीकृत करने वाले प्राधिकार को संतुष्ट करने वाली कोई अन्य जमानत दी जा सकती है । अग्रिम वेतन की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों का स्वविवेक है कि वे इस शर्त की पूर्ति का अनुरोध उन मामलों में न करें जो औद्योगिक संस्थापनों में अस्थायी कर्मचारी श्रमिक है और जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार नौकरी पूरी कर ली है तथा जो अग्रिम राशि के चुकता कर देने तक नौकरी में रहने की सम्भावना युक्त हैं ।

(६) अग्रिम राशि लेने के महीने से ६ महीने तक जिनके नौकरी में रहने की सम्भावना नहीं है औद्योगिक संस्थापनों के अस्थायी कर्मचारियों या श्रमिकों को यह अग्रिम वेतन नहीं दिया जाता है ।

टिप्पण :—ये आदेश अभी ३१ दिसम्बर, १९५७ तक के लिये है ।

रूस सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां

†१३७५. **श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी सरकार द्वारा स्नातकोत्तर रिसर्च अध्ययन के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिये १९५७–५८ में मद्रास और आन्ध्रापलाई विश्वविद्यालयों के कितने विद्यार्थियों ने आवेदनपत्र दिये थे;

(ख) क्या इन छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के लिये उक्त प्रार्थियों में से कोई चुने गये हैं, और

---

†मूल अंग्रेजी में

[२९]Festival advance.

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक ।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) अन्य बेहतर उम्मीदवारों के प्राप्त होते हुए इस उम्मीदवार को चुनना चुनाव समिति के लिये सम्भव नहीं था ।

मूंदड़ा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में

†**श्री फीरोज गांधी** (रायबरेली) : मैं आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन हुए जब मैं ने जीवन बीमा निगम द्वारा मूदंडा समवाय समूह में विनियोजन का प्रश्न उठाया था तो वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि २९ नवम्बर को इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा – मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे यह विवरण रखेंगे अथवा हमें आने वाले दो तीन दिनों की चर्चा में अपनी जानकारी पर ही निर्भर रहना होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: मुझे खेद है कि मैं ने किसी निश्चित तिथि का वचन नहीं दिया था । संभवत: मैं बुधवार को विवरण सभा पटल पर रख सकूंगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

†**गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिये संघ लोक-सेवा आयोग का प्रतिवेदन ।

(२) १९५६–५७ में आयोग की सलाह स्वीकार न करने के कारण बताने वाला ज्ञापन ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी-४२७/५७]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९५७ को पारित नौ सेना विधेयक, १९५७ को राज्य-सभा ने अपनी ४ दिसम्बर, १९५७ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

---

†मूल अंग्रजी में

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक

†**श्री पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक, १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये नियत समय १६ दिसम्बर १९५७ तक बढ़ा दिया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये नियत समय १६ दिसम्बर, १९५७ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कानपुर में श्रम सम्बंधी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री स० म० बनर्जी**: (कानपुर) : श्री जगदीश अवस्थी ने कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति की ओर ध्यान दिलाने का प्रस्ताव रखा है परन्तु ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा का अधिक समय नहीं मिलता पर यह प्रश्न १४००० श्रमिकों से सम्बन्ध रखता है अतः मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं ने पहले भी कहा था कि यदि किसी को मेरे विनिर्णय से शिकायत हो तो वह मेरे पास आ कर उस सम्बन्ध में चर्चा कर सकता है । इस विषय पर चर्चा तो ध्यान दिलाने के प्रस्ताव पर भी हो सकती है ।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

†**गृहकार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

†**श्री खाडिलकर** : (अहमदनगर) : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं । इस विधेयक द्वारा १९५० के अधिनियम की धारा १ में संशोधन किया जा रहा है परन्तु हमें मूल अधिनियम नहीं दिया गया । क्या हम उस अधिनियम की अन्य धाराओं में संशोधन की मांग नहीं कर सकते ?

दूसरे कुछ आनुषंगिक संशोधन भी आवश्यक होते हैं । मूल अधिनियम में राज्यों के पुनर्गठन पूर्व के ग राज्यों का उल्लेख है । मुझे पता नहीं कि उस का संशोधन हो चुका है अथवा नहीं । अतः हमें मूल अधिनियम दिया जाना चाहिये था ।

†**पंडित गो० ब० पंत** : वस्तुतः मैं इस आपत्ति को समझ नहीं सका । जहां तक मूल अधिनियम का सम्बन्ध है वह इतने वर्ष लागू रहा है और मैं आशा कर सकता हूं कि इस कारण माननीय सदस्य उस

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० ब० पन्त]

के उपबन्धों से परिचित होंगे। मेरे लिये यह सोचना तो कल्पनामात्र ही होगा कि इस सभा का कोई सदस्य इतने वाद-विवाद और चर्चा के पश्चात् भी विधेयक के उपबन्धों से अपरिचित है। यदि कोई सदस्य इसकी प्रति देखना चाहता था तो वह पुस्तकालय में जाकर देख सकता था। माननीय सदस्य यदि मुझ से कहते तो मैं एक की बजाय दो तीन प्रतियां भी उन्हें दे सकता था।

जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि आप ने पहले भी कई बार इस सम्बन्ध में विनिर्णय दिया है कि जब केवल किसी वर्तमान अधिनियम की अवधि बढ़ाने के लिये इस सभा में कोई विधेयक प्रस्तुत कया जाय तो मूल अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस आपत्ति का कोई महत्व नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया अतः मैं काल्पनिक विषय पर विनिर्णय नहीं दे सकता। मूल अधिनियम की प्रति देने के बारे में हमारा विनिर्णय यह रहा है कि अधिनियम का वह भाग सदस्यों को देना चाहिये जिस में विधेयक द्वारा संशोधन किया जा रहा हो।

पंडित गो० ब० पन्त : इस विधेयक के विषय पर इस सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। मूल सिद्धान्तों पर भी चर्चा हो चुकी है। इस के सम्बन्ध में वाद-विवादों में सभा के प्रमुख सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। उन्हें अपने विचार का बनाना अथवा विरोध को शिथल करना मेरे लिये बहुत कठिन है।

†**एक माननीय सदस्य** : आप के अधिनियम का तीखापन कैसे शिथल हो सकता है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं आशा करता हूं कि यदि कोई शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा तो यह अधिनियम कसी को हानि नहीं पहुंचायेगा।

यह एक पंक्ति का साधारण सा विधेयक है और इस का उद्देश्य अधिनियम की अवधि बढ़ाना है। इस से किसी को कष्ट हो सकता है तो केवल उस व्यक्ति को जो गड़बड़ पैदा करना चाहता है। मैं केवल अधिनियम को जारी रखने का प्रयत्न कर रहा हूं परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि मैं एक ऐसा विधेयक पारित करवा रहा हूं जिस का विरोध सभा के कुछ सम्मानित सदस्य करते हैं। कुछ विरोध तो केवल विरोध के लिये होता है परन्तु इस विधेयक के लिय कुछ एसे सदस्यों का मुझसे मतभेद है जिन का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं चाहता हूं कि वे सारी स्थिति पर विचार करें और उन सिद्धान्तों को छोड़ दें जो समय समय पर कहे गय हैं और देश की वास्तविक स्थिति के आधार पर उन सिद्धान्तों में संशोधन करें।

मैं अनुभव करता हूं कि विरोध के सिद्धान्त को इसलिय स्वीकार करना पड़ा था कि हमें कुछ विशेष परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था। कोई भी संविधान के निर्माताओं पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि उन्हें व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और मूलाधिकारों की परवाह नहीं थी। इस लिखित संविधान और इस में समानता स्वातंत्र्य तथा बंधुता के उपबन्धों का श्रेय संविधान निर्माताओं, उनकी देशभक्ति और समाज के सम्बन्ध में उन के उस स्वप्न को है जिसके सफल होन पर सभी सुविधा शांति तथा स्वतन्त्रता से रह सकेंगे और सभी के कल्याण और भलाई के लिये काम कर सकेंगे। इसी उद्देश्य के लिये देश के उन प्रतिनिधियों ने अनेक कठिनाइयों के बाद हमारे संविधान का निर्माण किया था।

हमारे उस संविधान में मूलाधिकारों की इतनी व्यापक रूप से प्रत्याभूति दी गई है कि दुनिया के किसी भी संविधान के उपबन्ध इस की तुलना में तुच्छ रहेंगे।

---

†मूल अंग्रजी में

परन्तु साथ ही संविधान निर्माताओं ने निवारक निरोध का उपबन्ध रखने की भी आवश्यकता समझी। आखिर क्यों ? क्या उन्हें इस में प्रसन्नता मिली ?

क्या वे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के लाभ और मूल्य को नहीं समझते थे ? क्या उनके मन में व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के लिए सम्मान की भावना नहीं थी ? यदि यह सब होते हुए भी उन्होंने इस खंड का उपबन्ध करना एक अनिवार्य आवश्यकता समझी तो केवल इसी लिए कि देश की परिस्थितियों में इस की आवश्यकता थी ।

अतः इस संविधान निर्माताओं की इच्छाओं के विरुद्ध भी मूल सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे । यह विधेयक चाहे कितना भी अरुचिकर हो हमें स्थिति को समझ कर इस विधेयक का मूल्य समझना चाहिये । संविधान के सिद्धांतों और उस के अन्तर्गत इस विधेयक के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए ही हमें विधेयक के गुणावगुणों पर विचार करना चाहिये ।

संविधान के अनुच्छेद २२ के अन्तर्गत संसद इस प्रकार का विधेयक पारित कर सकती है । जिन लोगों पर ऐसा विधान बनाने का उत्तरदायित्व होता है जो कि आज के लिए ही नहीं वरन् दशाब्दियों के लिए और पीढ़ियों के लिए हो तो वे दूर दृष्टि से काम लेते हैं । ऐसी परिस्थितियों में प्रथम विधेयक का जन्म हुआ था और उस के पश्चात समय समय पर इस में संशोधन किये गये हैं ।

निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या, विरोध के कारण मंत्रणा बोर्डों को भेजे गये मामले और उन के परिणामों के सम्बन्ध में कई बार सभा में वक्तव्य दिये गये हैं और उन पर चर्चा हुई है ।

माननीय सदस्यों को पता है कि निवारक निरोध अधिनियम १९५० में भारत में सुरक्षा की स्थिति, भारत की रक्षा, आवश्यक संभरण और सेवाओं की रक्षा और विधि तथा व्यवस्था और अन्य एक दो बातों के हेतु निरोध का उपबन्ध किया गया है । कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह प्रयोजन अवांछनीय है । प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत ही होगा कि जिन उद्देश्यों के लिए ये उपबन्ध किये गये हैं उनकी पूर्ति और देख रेख आवश्यक है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भिक प्रतिवेदन में अपनाई गई साधारण प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया गया है । यदि यह परिवर्तन न किया जाता तो इस अधिनियम की आवश्यकता न पड़ती । हम ने जिस एंग्लो सेक्शन प्रक्रिया को देश में अपनाया है उस में कुछ परिवर्तन के कारण ही इस अधिनियम को बनाना पड़ा था । जिन देशों में आजकल यह ऐंग्लो सेक्शन प्रक्रिया और अभियोग की रीति प्रचलित है वहां भी कई दशाब्दियों और शताब्दियों तक इसी प्रकार की बल्कि इससे भी सख्त विधियां लागू रही हैं । आज के बहुत प्रगतिशील देशों में भी कुछ प्रसिद्ध राजनैतिक दलों ने कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती । हमने तो ऐसी विधियों का निरसन ही किया है जिनसे सरकार को किसी सन्था अथवा निकाय को अवैध घोषित करने का अधिकार मिलता था । हमारे राज्य में सब राजनैतिक दल स्वतंत्र हैं । प्राचीन काल में राजनैतिक दलों को अवैध घोषित करने वाले कानून हुआ करते थे और उन की भावना आज भी सभ्य देशों में विद्यमान है ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम ने प्रेस पर से सब प्रतिबन्ध हटा दिये हैं और प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम संविधि पुस्तक से निकाल दिया गया है । यदि

[पंडित गो० ब० पन्त]

हम यह अनुभव करते, जैसा कि अन्य मामलों में अनुभव किया भी है, कि हम इस कानून को तोड़ कर देश के लाखों शांतिप्रिय नागरिकों के प्रति अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरा कर सकते हैं, तो हमने तुरंत इस अधिनियम को भी समाप्त कर दिया होता । हमने ध्यानपूर्वक विचार के पश्चात् यह अनुभव किया है कि इस कानून को अपनाने में देश का हित ही है । इसी लिए यह विधेयक लाया गया है । मैं आशा करता हूं कि हम सभी के समक्ष यही उद्देश्य है कि देश के लाखों लोगों का आर्थिक और सांस्कृतिक कल्याण और यहां तक कि उन की आध्यात्मिक प्रगति भी हो । हम चाहते हैं कि प्रगति के सभी साधनों को प्रोत्साहन दिया जाए और मैं समझता हूं कि इस सामान्य उद्देश्य के सम्बन्ध में हममें कोई मतभेद नहीं ।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश में शांति की आवश्यकता है और यह आवश्यकता है कि देश में गड़बड़ न हो और विध्वंसात्मक कार्य न हो तथा देश के लोग बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें । इस प्रयोजन के लिए हमें कभी कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगानी पड़ती है । विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दंड विधियों द्वारा लोगों को दंड भी दिया जाता है । परन्तु इस विधेयक में दंड का कोई उपबंध नहीं है । यह इस लिए बनाया गया है कि लोगों को शरारत करने और उससे विपत्ति में पड़ने से बचाया जाए । वस्तुतः इससे उन की तथा समाज दोनों की रक्षा होती है क्योंकि यदि लोगों की सामाजिक व्यवस्था और शांति में, जो कि प्रगति का आधार है, गड़बड़ करने से न रोका जाए तो यह उनके लिए भी हानिकर होगा और अन्य लोगों के लिए भी ।

यद्यपि इस विधेयक में नियमित अभियोग का उपबंध नहीं परन्तु काफी परित्राण दिये गये हैं । पहले तो निरुद्ध किये गये व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी या पुलिस आयुक्त के निरोध के कारण बताने पड़ते हैं । फिर यदि राज्य सरकार निरोध के आदेश का १२ दिन में ही अनुसमर्थन न करे तो वह आदेश व्यपगत हो जाएगा । जब राज्य सरकार आदेश भेज दे तो मामला ३० दिन के भीतर मंत्रणा बोर्ड को भेजना पड़ेगा ।

मंत्रणा बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं जिनमें से एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है और अन्य सदस्य भी ऐसे होते हैं जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं अथवा उस पद के अधिकारी होते हैं । अतः बोर्ड के सदस्य विख्यात व्यक्ति होते हैं जिनका विस्तृत न्यायिक अनुभव होता है और जिनका निष्पक्ष व्यवहार करने और निष्पक्ष भाव से ऐसे मामलों का निबटारा करने का स्वभाव बन गया होता है । केवल आदेश के इस प्रकार पुष्ट होने पर ही निरोध जारी रह सकता है परन्तु वह भी १२ मास से अधिक काल के लिए नही । यह अधिकतम काल है । न्यायाधिकरण को अपना फैसला १२ दिन के अन्दर देना पड़ता है । बोर्ड को भी निरोध के दस सप्ताह के बीच निर्णय देना पड़ता है । अतः सामान्य प्रक्रिया की अपेक्षा इस प्रक्रिया में न्यूनतम भिन्नता रखने के लिए विधेयक के उपबन्धों में सब आवश्यक परित्राण रखे गये हैं । इन परिस्थितयों में, मैं समझता हूं कि जो सदस्य विधेयक से असंतुष्ट हैं वे इन सब बातों पर ध्यान दें ।

जब यह अधिनियम पहले पहल लागू किया गया था तो बहुत लोग निरुद्ध किये गये थे । १९५० में निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या १०,९६२ १९५१ में २३१६, १९५२ में १११६, और १९५३ में ७३६ थी । इस वर्ष ३० सितम्बर तक निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या संभवतः

२०५ या २०७ थी । इनमें से १०१ तो केवल पंजाब के हैं । इसका कारण सभा को पता ही है । शेष १०० से कुछ ही अधिक हैं । इस प्रकार निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या ११,००० से धीरे धीरे कम हो कर २०५ रह गई और एक राज्य को छोड़ कर वह केवल १०४ है । यदि अधिनियम के लागू करने के कारण अपराधों में वृद्धि हुई होती या उसे लापरवाही से लागू किया जाता तो यह सुझाव माना जा सकता था कि अधिनियम समाप्त कर दिया जाए । परन्तु घटनाओं से पता लगता है कि अधिनियम से बहुत लाभदायक प्रयोजन सिद्ध हुआ है और इसे लागू भी बहुत ध्यानपूर्वक किया गया है और इस अधिनियम के रहने से निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है ।

अब इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि देश का कार्य बिना इस प्रकार के रक्षित अधिकार के चलाया जा सके । मैंने बताया है कि अन्य देशों में भी स्वतंत्रता के आरम्भिक काम में शताब्दियों तक इस-से भी अधिक सख्त कानून रहे हैं । हमें स्वतंत्रता मिले १० या ११ वर्ष हो गये हैं । यह बधाई और प्रसन्नता का विषय है कि प्रारम्भ में कुछ गड़बड़ होने पर भी हमने प्रगति की है । यह बात तो माननी होगी कि देश में विध्वंसात्मक तथा विद्रोहात्मक शक्तियां हैं, साम्प्रदायिक वर्ग हैं और जाति विभाजन हैं जिन के कारण हमारा समाज अन्य देशों के समाजों से भिन्न है और इसके अतिरिक्त अन्य देशों में विधि तथा व्यवस्था के प्रति जो सम्मान की भावना पाई जाती वह यहां देखने को नहीं मिलती ।

इंगलैंड में एक सिपाही को बहुत अधिकार होता है और कोई उस पर आपत्ति नहीं करता । उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है । पुलिस अधिकारी का साक्ष्य विधि अधीन साक्ष्य माना जाता है । यहां स्थिति भिन्न है । संसद् में देश के प्रतिनिधि विधि बनाते हैं और उसी विधि का खुल्लम खुल्ला विरोध और उल्लंघन किया जाता है । लोग कभी कभी दूसरों को कोई भाषा अपनाने से रोकने के लिए आंदोलन करते हैं अथवा कोई भाषा अपनाने के लिए बाध्य करते हैं । यह आरम्भ करने पर न्यायालयों पर आक्रमण होते हैं, सड़के बंद कर दी जाती हैं और किसी न किसी रूप में हिंसात्मक कार्य भी किये जाते हैं । ऐसा केवल कुछ लोग ही नहीं करते वरन् नेतागण बहुत से लोगों को आंदोलन की लपेट में ले आते हैं । इससे सार्वजनिक शांति भंग होती है, हिंसा का बोलबाला होता है और देश की शांतिपूर्ण प्रगति के लिए खतरा पैदा हो जाता है । अतः इस विधेयक की आवश्यकता है ।

इंगलैंड में कोई भी चाहे वह किसी विधि को पसंद करे अथवा नहीं उसका उल्लंघन नहीं करता । श्रम दल खानों का राष्ट्रीयकरण कर देता और रूढ़िवादी दल उस से भिन्न काम करता है । परन्तु अन्य दल विद्रोह तथा हिंसापूर्ण आंदोलन नहीं आरम्भ कर देता । वह दल कानून का अनुसरण करता है । भविष्य में भले ही वह कानून में परिवर्तन कर देवें । लेकिन यहां क्या होता है ? उत्तर प्रदेश में महीनों तक हिन्दी को तत्काल सभी कार्यों में प्रयुक्त करने के प्रयोजन से सरकार को विवश करने के लिये आन्दोलन चलता रहा । पंजाब में सरकार को इस बात पर विवश करने के लिये आन्दोलन चल रहा है कि वे पाठ्यक्रम के रूप में विद्यार्थियों से गुरुमुखी पढ़ने के लिये न कहें । इसी प्रकार की अन्य बातें होती हैं । पिछले दिनों हमने द्राविड़ कशगम के नेताओं के ब्राह्मणों की हत्या करने के सम्बन्ध में उनके वक्तव्य सुने हैं । केवल एक ही व्यक्ति ऐसी बात नहीं करता, हजारों व्यक्ति उस एक व्यक्ति के कहने से जोश में आ जाते हैं और सारे क्षेत्र में उत्तेजना व्याप्त हो जाती है । यदि आप ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेंगे तो आप वहां शांति और व्यवस्था कैसे कायम रख सकते हैं ।

[पंडित गो० ब० पन्त]

इसी प्रकार रामनाथपुरम् में एक अन्य मामला हुआ था। एक प्रकार के भय का साम्राज्य वहां व्याप्त हो गया। कमजोर समुदाय के सैकड़ों लोगों के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया गया बल्कि लगभग ३००० मकान जला दिये गये। कई व्यक्ति मार डाले गये और पुलिस को उन पागल व्यक्तियों के हाथों जो यह आन्दोलन चला रहे थे, जनता को बचाने के लिये गोली चलानी पड़ी। इन घटनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना नहीं हो सकती है। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनायें हमारे देश में हों। न के कारण हमें लज्जा से अपना सर छुपा लेना पड़ता है।

अभी पिछले दिनों यह समाचार मिला था कि रेलवे दुर्घटना में किसी ने रेल की पटरियां हटा दी थीं। किसी व्यक्ति ने जान बूझ कर गाड़ी से यात्रा करने वाले सैंकड़ों व्यक्तियों के लिये मौत का फंदा बिछाने का ध्वंसात्मकक कार्य किया था, ऐसे ध्वंसात्म कार्यों से देश तथा जनता को अत्यधिक हानि हो सकती है।

कुछ समय पहले हुई खड़गपुर की घटना हमें ज्ञात है जहां बसें जला दी गई थीं, डाकखानों में आग लगा दी गई थी और पुलों को उड़ाने का प्रयत्न भी किया गया था। हम यह भी जानते हैं कि जनता में हानि तथा भय का प्रसार करने के लिये बम और पटाखे भी छोड़े जाते हैं।

हम जानते हैं काश्मीर में क्या हो रहा है। वहां विदेशी दलाल जासूसी करते हैं। तथा काश्मीर में ध्वंसात्मक कार्यों तथा हिंसा के अन्य कार्यों की तैयारी करने के लिये पाकिस्तान से रुपया भेजा जा रहा है। क्या ये सारी चीजें न्यायालय में सिद्ध की जा सकती हैं? नहीं, तो क्या इन हरकतों को चलने दिया जाय और जनता उससे हानि उठाती रहे? यदि नहीं, तो क्या इसका कोई उपचार नहीं करना चाहिये। आप कहते हैं कि आपकी पुलिस सक्षम नहीं है। तो क्या पुलिस के सक्षम बनने के पूर्व लोगों को मरने दिया जाय? वस्तुतः यह कथन गलत है कि पुलिस सक्षम नहीं है।

माननीय सदस्य ज़ानते हैं कि जब आयरलेंड का क्रांतिकारी दल रात दिन हिंसात्मक कार्य कर रहा था तो उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा जा सका। हमारी पुलिस उस से बहुत योग्य है।

जब तक इस प्रकार के कार्य होते रहते हैं तथा जब तक प्रारम्भिक, मध्यम और अन्तिम स्थिति में भी संगठित रूप से विधि की अवहेलना की जाती है तब तक समाज की रक्षा करनी होगी।

यह एक रक्षात्मक तरीका है। इससे किसी को हानि नहीं होगी। यह देखने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा कि किसी को अनुचित दंड न दिया जाय।

मामलों की इतनी कम संख्या स्वयं इस बात का उदाहरण है कि इसको प्रयुक्त करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। यदि पूर्ण जांच के उपरांत भी देश के व्यापक हितों की रक्षा के लिये तथा लाखों व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कोई कार्यवाही करनी आवश्यक होगी तो तभी कोई कार्यवाही की जायेगी। इस विषय पर सभा में बार बार चर्चा हुई है। मैं यह अवसर पाने के लिये माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं। मैं भली भांति जानता हूँ माननीय सदस्य मेरे द्वारा कही गई सभी बातों का समर्थन नहीं करेंगे। तथापि वे इस बात से सहमत होंगे कि इस देश के करोड़ों व्यक्तियों की स्वतंत्रता बनाये रखने तथा देश को शांति पूर्ण प्रगति करने का अवसर देने के लिये ही, आज की इन परिस्थितियों में मैंने यह प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करना आवश्यक समझा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मुझे इस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ इस विधेयक पर जनमत जानने के लिये इसे परिचालित करने के सबन्ध में हैं क्योंकि इस अधिनियम की मियाद ३१ दिसम्बर १९५७ को समाप्त हो रही है। अतः ये सभी प्रस्ताव विलम्बकारी हैं। इसी लिये मैं उन्हें नियमविरुद्ध घोषित करता हूं। श्री साधन गुप्त का संशोधन स्वीकार कर लिया गया है।

श्री ब्रजराज सिंह और श्री त्रि० कु० चौधरी ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के सम्बन्ध में संशोधन भेजे हैं। मैं उनमें से एक प्रवक्ता का भाषण सुनने तक अपना विनिर्णय स्थगित रखता हूं।

वस्तुतः केवल जारी रखने वाले विधेयक पर कोई संशोधन ग्राह्य नहीं होता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विनिर्णय पहिले भी मौजूद है। हाउस आफ कामन्स में भी केवल जारी रखने वाले विधेयक पर कोई संशोधन ग्राह्य नहीं होता है। अस्तु सारे संशोधन नियम-विरुद्ध हैं। लेकिन श्री गोपालन ने मुझे पत्र भेजा है। मैं उन्हें बोलने की अनुमति देता हूं।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड): जब यह विधेयक सर्वप्रथम सभा में उपस्थापित हुआ था तो प्रवर समिति में हमें इस विधेयक तथा इसके संशोधनों पर भी चर्चा करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन यह सब पिछली सभा में हुआ था। इस सभा में बहुत से नये सदस्य हैं जिन्होंने मूल अधिनियम पर कभी विचार व्यक्त नहीं किये, लेकिन उनसे इसकी अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुमति मांगी जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन सदस्यों को मूल विधेयक पर भी विचार प्रगट करने की अनुमति दी जाय।

†**श्री परुलेकर** (थाना) : अधिनियम के साथ इस की सभी धाराओं की मियाद भी बढ़ाई जा रही है। अतः इन सभी धाराओं में संशोधन करने की अनुमति मिलनी चाहिये।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने विनिर्णय में इतनी रियायत करें कि जब नई संसद् बने तो उसके सदस्यों को जनता के प्रति-निधियों के रूप में चर्चा करने का अवसर दिया जाय। दूसरे जब परिस्थितियों में कोई ठोस परिवर्तन हो जाय तो सरकार को अधिनियम के प्रत्येक खंड पर चर्चा की अनुमति दे देनी चाहिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय को अपने पूर्व विनिर्णय में कुछ रियायत अवश्य करनी चाहिये।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–पूर्व): इस विधेयक पर किस प्रकार के संशोधनों की अनुमति दी जा सकती है इस बारे में मैं अपने पूर्ववक्ताओं द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कई प्रकार के संशोधनों की अनुमति दी जा सकती है। विभिन्न सदस्यों ने विधेयक की अवधि में परिवर्तन सम्बन्धी संशोधन रखे हैं। ये संशोधन संगत हैं। इन पर प्रवर समिति में चर्चा हो सकती है और निर्णय किया जा सकता है। दूसरे इस विधेयक का सम्बन्ध मूल अधिनियम के खंड १ से है जिसमें अधिनियम के प्रवर्त्तन क्षेत्र के लिये उपबन्ध किया गया है। अतः इसके क्षेत्र के बारे में भी संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। केरल के मुख्य मंत्री ने कलकत्ता की एक बैठक में बताया था कि वे इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू नहीं करना चाहते तथा यह अधिनियम उन पर क्यों थोपा जा रहा है। इन दोनों बातों पर प्रवर समिति में भली भांति विचार किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि उससे अधिक लाभ हो सकता है। प्रवर समिति हमें इसकी अपेक्षा अधिक अच्छा विधान दे सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जब इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निश्चित और स्पष्ट विनिर्णय है तब यह प्रश्न पुनः नहीं उठाया जा सकता है । विरोधी पक्ष के सदस्यों के कथन से ज्ञात होता है कि यदि पुरानी संसद् होती तो मूल अधिनियम के खंडों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती । तो क्या नई संसद् के बनने से ही बुनियादी बातों में परिवर्तन हुए बिना प्रक्रिया में इतना परिवर्तन होना चाहिये? यदि संसद् के सदस्यों के परिवर्तन के साथ संसद् की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता रहे तो यह बहुत अस्थिर नीति होगी । और कोई भी प्रक्रिया निश्चित नहीं हो सकेगी ।

इस तर्क के सम्बन्ध में कि हम सामान्य निर्वाचनों के बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं वस्तुतः इसी कारण इस विधेयक के सिद्धान्त पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिये । क्योंकि इस विषय के सम्बन्ध में बहुत उत्तेजना थी और बहुत से दलों का तो यह मुख्य साधन था । यदि ऐसा होता तो सभी लोग इसे जानते और उन्होंने कांग्रेस को हटा कर मत प्राप्त करने का प्रयत्न किया होता । चुनाव होने से वे इस विषय में अधिक जानकार और सुपरिचित हो गये हैं । चुनावों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि देश इस विधेयक को जारी रखने के पक्ष में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सभा की प्रक्रिया का ध्यान रखें । मैं यदि चाहता तो इस मामले में पहिले के विनिर्णय पर दृढ़ रह सकता था तथापि मैंने सदस्यों को अपनी बातें कहने का पूर्ण अवसर दिया । लेकिन उन्हें अनुचित रूप से खड़े हो कर अपनी बात कहने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।

श्री गोपालन ने कहा है कि नये सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाय । मैं सभा के नये सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दूंगा और यदि उनके सुझाव समयोचित होंगे तो सरकार उन्हें स्वीकार कर सकती है ।

यह भी सुझाव दिया गया है कि विधेयक को जारी रखते समय भी इसके प्रत्येक खंड पर विचार किया जाना चाहिये । क्या इस से सभा के बहुमूल्य समय का अपव्यय नहीं होगा । साथ ही, जब सदस्यों का बहुमत इस विधेयक को बनाये रखने के पक्ष में है तो केवल थोड़े सदस्यों के लिये इतना समय व्यर्थ क्यों किया जाय ?

श्री साधन गुप्त ने कहा है कि इसकी अवधि के सम्बन्ध में संशोधन किया जा सकता है यह ठीक नहीं है । क्योंकि समय बढ़ाने के प्रयोजन से इस विधेयक के क्षेत्र पर आलोचना नहीं की जा सकती है । क्योंकि फिर विषय बहुत व्यापक हो जायेगा ।

श्री त्रि० कु० चौधरी ने यह प्रस्ताव किया है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय और प्रवर समिति मूल अधिनियम के खंडों पर चर्चा करे । जब स्वयं सभा चर्चा करने में असमर्थ है तो समिति ऐसा किस प्रकार कर सकती है ?

इसलिये प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी दोनों संशोधन नियमविरुद्ध हैं, मैं केवल १९ दिसम्बर तक परिचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं ।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ । इस विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिये सात घंटे, खंडवार चर्चा तथा तृतीय वाचन के लिये एक घंटा निश्चित हुआ है । दलों के नेता आधे घंटे का समय ले सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई नगर—मध्य) : विधेयक के प्रस्तावक महोदय ने जो कुछ भी तर्क रखे हैं उन पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। उन्हीं के उत्तर में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्तमान स्थितियों में इस अधिनियम को जारी रखना आवश्यक है। उन्होंने रामनाथपुरम् के दंगे, पंजाब का भाषा विवाद इत्यादि का जिक्र किया है। इस का सीधा साधा उत्तर यही है कि तब तो यह अधिनियम बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि जब यह अधिनियम उक्त घटनाओं को न रोक सका तो ऐसे अधिनियम से लाभ ही क्या है। इस का स्पष्ट आशय यह है कि निवारक निरोध अधिनियम के रहने से अपराधों में कोई कमी नहीं हुई है। इसलिये यह कहना कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना आवश्यक है नितान्त निराधार है ।

मैं पूछता हूं कि इसको अवधि क्यों बढ़ाई जा रही है। और इसका केवल यही उत्तर हमारी समझ में आता है कि यह हत्यायें, हड़तालें, अकाल आदि को रोकने के लिये नहीं अपितु सत्तारूढ़ दल की इच्छानुसार जनता से काम कराने के लिये लगाया गया है। मेरे विचार से यह अधिनियम लोकतंत्र के विरुद्ध है ।

प्रस्तावक ने कहा कि यह विधेयक बहुमत की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये प्रस्तुत किया गया है। मैं इस अधिनियम के लागू किये जाने के बारे में, अपना उदाहरण देता हूं। मैं जानता हूं कि परामर्शदाता बोर्ड किस प्रकार काम करता है और जांच किस प्रकार की जाती है। किस प्रकार जेल में आदमी को भेजा जाता है और किस प्रकार छोड़ दिया जाता है। मुझे इन सबका अनुभव है। और इसीलिये मेरा यह कहना है कि सत्तारूढ़ दल किस प्रकार अपने विचारों का प्रतिपादन ज़बरदस्ती जनता से कराता है ।

१९५६ में ३८ साम्यवादी, ३ प्रजा सोशलिस्ट, ४ वर्कर्स एन्ड पेज़न्ट पार्टी तथा १ कांग्रेसी का निरोध किया गया। यह कांग्रेसी भी भूतपूर्व कांग्रेसी था। यह बताया गया कि इस अधिनियम को इसलिये लागू किया जा रहा है क्योंकि यह ऐसे अपराधों के लिये है जिनके लिये सामान्य विधि में कोई दण्ड व्यवस्था नहीं है। मैं विधि मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सामान्य विधि में हिंसा करने के लिये कोई दण्ड व्यवस्था नहीं है। मेरे विचार से तो इसको एक राजनैतिक दल द्वारा दूसरे राजनैतिक दल को हानि पहुंचाने के लिये ही लगाया जा रहा है ।

इसे लगाने का तीसरा कारण गुण्डागर्दी बताया गया है। परन्तु मैं आज तक समझ नहीं पाया कि गुण्डागर्दी किसे कहते हैं। क्या मंत्रीगण गुण्डे नहीं हैं जो पुलिस के द्वारा जनता को डराते धमकाते और ग़लत काम कराते हैं। बम्बई राज्य के पुनर्गठन को ले लीजिये। कांग्रेसी दल ने निर्णय किया था कि बम्बई राज्य को तीन राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिये और एक भाषाभाषी, दो राज्य नहीं बनाये जाने चाहिये तथा बम्बई को महाराष्ट्र को नहीं दिया जाना चाहिये। सम्भव है उनका विचार ठीक हो परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस दिन प्रधान मंत्री अपने निर्णय की घोषणा करना चाहते थे उससे कुछ पहले साम्यवादी दल के कई नेता गिरफ्तार कर लिये गये। फिर भी हड़तालें हुईं गोलियां चलाई गईं। जब साम्यवादी जेल में थे तो यह हिंसा किसने की ? यह जनता की भावना थी और जनता को ही ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिये मजबूर किया गया। निर्णय की घोषणा के समय मैं बम्बई में नहीं था, दिल्ली में था। १८ जनवरी को मैं बम्बई पहुंचा और निवारक निरोध अधिनियम के अधीन हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और कहा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री आ० डांगे]

गया कि तुम्हारे आने से हड़ताल की अवधि बढ़ गई है। मैं नहीं जानता दिल्ली से बम्बई जाने में मैंने कौन सी हिंसा कर दी थी। मेरे विचार से साम्यवादी नेताओं तथा मुझे गिरफ्तार करके आपने ही हिंसा की। क्योंकि कांग्रेस दल के इस प्रकार के कृत्यों से जनता भड़क गई अन्यथा शांत-भाव से अपनी बात बताने का प्रयत्न करती। मेरा नम्रता पूर्वक निवेदन है कि कांग्रेस दल ऐसे अधिनियम अधिनियमित न करें जिन से जनता भड़क कर हिंसा पर उतारू हो जाये। गांधी जी की मूर्ति तथा संविधान को जलाना अवैध बनाने का अधिनियम बनाया गया। बड़ी अजीब बात है कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को पसन्द नहीं करता उससे वह पसन्द कराई जाय। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को किस लिये जलाया क्योंकि वह उस को पसन्द नहीं करते थे। परन्तु उस समय किसी ने भी उसको हिंसा नहीं कहा।

मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों को मारना हिंसा है और इसको रोकना चाहिये। परन्तु डरा धमका कर नहीं अपितु जनता के साथ बातचीत करके उनको विश्वास दिलाओ कि यह हिंसा है और ऐसा करना ठीक नहीं है। उसको निवारक निरोध अधिनियमों के अधीन गिरफ्तार नहीं करना चाहिये। इसलिये मेरा कहना है कि यह बहुमत की स्वतंत्रता रखने के लिये नहीं अपितु अल्पसंख्यकों द्वारा जबरदस्ती कोई बात बहुमत से मनवाने के लिये रखा गया है।

यह कहना नितांत त्रुटिपूर्ण है कि इस अधिनियम के द्वारा अपराध कम हो गये हैं और लोगों ने अपने कार्य करने के ढ़ंग बदल दिए हैं। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि मराठी भाषा भाषी जनता अपनी बम्बई समेत एकभाषाभाषी राज्य की मांग कभी भी नहीं बदलेगी।

एक माननीय सदस्य ने सभा में बताया था कि महाराष्ट्र के व्यक्तियों ने गुजराती महिलाओं के साथ बलात्कार किये। माननीय गृह-मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिये थी। और इसका भी पता लगाना चाहिये था कि जिस सदस्य ने यह बताया उनका अब तक का जीवन किस प्रकार का रहा है। मैं जानता हूं कि उन पर एक बार बलात्कार का अभियोग न्यायालय में चल चुका है जिसके तथ्य मराठी भाषा के एक समाचारपत्र में छप चुके हैं।

परामर्शदाता बोर्ड का काम किस प्रकार का है? उन्हों ने मुझ से पूछा कि क्या मैं संयुक्त महाराष्ट्र बम्बई राज्य को चाहता हूं, मैंने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। तत्पश्चात् उन्होंने मेरे बाद दो पुलिस पदाधिकारियों को साक्षी ले कर मुझे गड़बड़ करने वाला घोषित करके थाना जेल में भेज दिया। हमारे द्वारा उच्च न्यायालय में अपील करने पर, न्यायाधीशों ने पाया कि सभी गिरफ्तारियां अनियमित रूप से हुई हैं। निरोध के कारण नहीं दिये गये हैं। इसलिये उन्होंने १५ व्यक्तियों को मुक्त कर दिया। क्या अधिनियम इस प्रकार काम करेगा ?

मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ एक मामला प्रस्तुत करता हूं। बम्बई परिवहन विभाग में एक दिन की हड़ताल की गई जिसके लिये नेतागण ३६४ दिन तक जेल में रखे गये। निवारक निरोध से इसी प्रकार से काम किये जाते हैं। एक और उदाहरण है। महाराष्ट्र के एक किले में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण पंडित नेहरू करने गये। वह वहां एक महान् विभूति की प्रतिमा का अनावरण करने गये थे। ऐसी विभूति जिसका अनावरण भारत के प्रधान मंत्री द्वारा होना आवश्यक था। परन्तु मैं इस विचार के विरुद्ध था कि ऐसा प्रधान मंत्री जो महाराष्ट्र के बनाये जाने के विरुद्ध हो वह महाराष्ट्र निर्माता की प्रतिमा का अनावारण करे। और इसीलिये मैं २०००० व्यक्तियों को लेकर प्रतापगढ़ के किले की

और इस के विरुद्ध प्रदर्शन हेतु चला। मुझ को रास्ते में ही पुलिस पदाधिकारियों ने सड़क पर आगे बढ़ने से रोक दिया। क्यों ? केवल इसलिये कि पंडित नेहरू उस सड़क से गुजरने वाले थे। क्या उस रास्ते पर चलना रोका जा सकता है जिस रास्ते पर पंडित नेहरू आ रहे हों ? बाद में हमसे ही पूछा जाता है कि हम उस उत्सव में क्यों नहीं आये। किसी ने भी इस पर ध्यान दिया कि हम को रास्ते में ही रोक दिया गया ? हमने पूर्ण अनुशासन रखा था। एक भी फूल नहीं तोड़ा था। एक भी द्वार नष्ट नहीं किया था। हमने केवल नारे लगाये थे कि हम आप की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। परन्तु किया क्या गया कि हमको दूर स्थान पर ही वहां जाने से रोक दिया गया और जनता को जबरदस्ती बसों तथा ट्रकों मे लाद कर वहां पर लाया गया। हमारा लोकतन्त्र इस प्रकार का है। हमारे बारे में इश्तहार बांटे गये कि हम प्रधान मंत्री को मारना चाहते थे। इनका प्रसार भी सरकार ने किया। इसी प्रकार से हम को बार बार सरकार ने भड़काने का प्रयत्न किया। हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि किसी बात में असहमति होने के कारण ही पंडित जी को मारने का षड्यन्त्र किया जा सकता है। हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम कभी भी ऐसा षड्यन्त्र नहीं कर सकते हैं। अपितु मैं बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने महात्मा गांधी का बध किया था वह लोग कांग्रेस दल में सम्मिलित हैं और उनका यहां पर स्वागत किया जाता है।

हमने पुलिस को पहले ही पर्याप्त शक्तियां दे रखी हैं। मैं कहीं भाग जाने वाला नहीं। मैंने १६ वर्ष जेल में गुजारे हैं। और कुछ वर्ष वहां गुजार सकता हूं। इसलिये इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ करते हैं उससे डरते नहीं हैं जबकि सरकार गोलियां चलाती हैं, जनता के विरुद्ध कार्यवाही करती है और उसकी कभी जांच नहीं होती है। इसलिये यह सिद्ध होता है कि एक दल अपनी बात जबरदस्ती मनवाने के लिये इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना चाहता है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस प्रश्न पर पुनः विचार करें।

जिन परिस्थितियों का जिक्र मानीय मंत्री ने किया कि वह उन परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम की अवधि बढ़ा रहे हैं। मेरे विचार से उन परिस्थितियों को इससे नहीं बदला जा सकता है। आज सठेबाजी होती है क्या किसी व्यक्ति का इस अन्याय के लिये निरोध किया गया है ? इस प्रकार के लोगों का निरोध करना ठीक होगा क्योंकि वह लोग समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं ? परन्तु जो लोग समाज विरोधी ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं उनका निरोध इसी अधिनियम के द्वारा किया जाता है। क्या इस प्रकार लोकतन्त्र का कार्य होता है ?

यह अधिनियम काश्मीर पर लागू नहीं होता है। वहां झगड़े हो रहे हैं। गड़बड़ हो रही है। इसी लिये जो सरकार की नीति काश्मीर के बारे में है उसका मैं समथन करता हूं। परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि किसी का चार वर्ष तक निरोध किया जाये। उसको बिहार, लखनऊ, या इलाहबाद में रखिये परन्तु स्वतन्त्र रखिये। मैं इस अधिनियम के अधीन किये गये अन्याय को इस का एक उदाहरण समझता हूं और अन्त में मेरा यही सुझाव है कि इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिये ?

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मुझे विरोधी दल के नेता द्वारा कहे गये तर्कहीन शब्दों का बड़ा दुःख हुआ। क्या यह उचित है कि राज्य का कोई मंत्री किसी प्रतिमा का अनावरण करने जाये और सड़क पर खड़े हो कर नारे लगाये जायें कि तुम प्रतिमा का अनावरण नहीं कर सकते। मेरे विचार से यह मानवता के विरुद्ध है।

न्यायशास्त्र के अनुसार, अपराधी के विरुद्ध निरोध की विधि का होना पहले से ही मान लिया है। उसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की १०८ तथा ११० धारायें हैं। किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यवहार के लिये रोका जा सकता है और वह जमानत पर छूट सकता है। यह धारायें विचाराधीन विधेयक के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित कृ० चं० शर्मा]

में हैं। यह समझना चाहिये कि धारा ११० के अधीन जो व्यक्ति जेल में रखा जायेगा उसकी प्रतिष्ठा समाज में समाप्त हो जायेगी परन्तु जिस व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया जायेगा उसको अपने को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार होगा साथ ही साथ उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कोई आंच नहीं पहुंचेगी ।

पूछा जाता है कि इस प्रकार के अधिनियम को संविधि पुस्तक में रखने की आवश्यकता क्या है। मेरा निवेदन है कि इंगलैंड में क्रामवेल के जमाने में बड़े कठोर अधिनियम लगाये गये । फ्रांसीसी क्रान्ति के समय वहां के नेता विधियों को धारण करते थे । रूस में भी क्रान्ति के समय क्या हुआ? बहुत से व्यक्ति मार दिये गये । जेल में डाल दिये गये । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि चाहे वह ठीक था अथवा नहीं, उन्होंने वही काम किये जिनकी वह आवश्यकता समझते थे ।

संविधान की यही मुख्य बातें हैं जैसे विधि के द्वारा बताये गये कार्यों को करें । पाकिस्तान के दो भाग हैं परन्तु वह विधि द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हैं । दूसरी बात पंजाब की है । संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जो भाषा चाहे उस को पढ़ने को स्वतन्त्र है । परन्तु कोई राज्य यदि उस में बाधा डालता है तो वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जाकर अपने अधिकार की मांग कर सकता है । आन्दोलन करने का कोई लाभ नहीं है । मैं समझ नहीं सका कि लोग इस प्रकार के अवैध काम करने पर क्यों उतारू हो जाते हैं ।

हमें तो अभी प्रारम्भिक नागरिकता की भी शिक्षा प्राप्त करनी है । सबसे पहली बात यह है कि लोग कानून को स्वीकार करें आप किसी मंत्री को शिवा जी के बुत का अनावरण नहीं करने देते । मिल के प्रबन्धक को मिल में नहीं जाने देते, और दूसरों से बड़ी बड़ी आशायें लगाये रहते है ।

तीसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान अवस्था में इस विधान से कुछ लाभ हो सकता है ? यह कोई युक्ति नही कि इस विधान के बावजूद कई प्रकार की कार्यवाहियां हो रही हैं, इसलिए कानून की जरूरत नहीं । मानवीय स्वभाव को सामान्यत: और सामूहिक रूप में देखना होता है । जिन बातों से कोई बुरी बात हो सकती है उसे रोकने का प्रयत्न किया जाता है। मेरा निवेदन है कि जनता के भले की दृष्टि से निवारक निरोध कानून को चालू रखा जाना चाहिये । इससे किसी को हानि नहीं पहुंचेगी । नयायुग आ रहा है । और लोगों के आर्थिक दृष्टि कोण में परिवर्तन हो रहे हैं, नये विधान बनाये जा रहे हैं । हो सकता है कि कई लोग इसके विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह कर दें । उनको बढ़ने देने के स्थान पर रोकना ही ठीक है । मैं इस बोलने का यह अवसर दिये जाने पर धन्यवाद करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं इस विधेयक का विरोधी हूं । यह विधेयक लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता और विधिवत् शासन की नींव पर कुठाराघात है यह न्याय की भावना का घोर विरोधी है। यह तो केवल वि-देशी आक्रमण के समय ही उचित समझा जा सकता है । दूसरे यह कि इस विधेयक को राजनैतिक दलों विशेषकर साम्यवादी दल के विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा । मैं साम्यवादी तत्व का समर्थक नहीं हूं, परन्तु फिर न्याय का अधिकारी तो साम्यवादी भी है । बड़े विचित्र विचारों के आधार पर इस कानून को बनाया जा रहा है और इस सम्बन्ध में कांग्रेस की ओर से एक पुस्तिका भी निकाली गई है ।

वर्तमान निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है । नजरबन्दी का आदेश पुलिस आयुक्त द्वारा दिया जाता है । उसे अपने नीचे के अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही आश्रित रहना पड़ता है। अधिनियम के अन्तर्गत यदि एक बार किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो पांच दिनों के भीतर उसे नजरबन्दी के कारण बताये जाते हैं और १२ दिनों के भीतर नजरबन्दी

---

†मूल अंग्रेजी में

को पक्का कर दिया जाता है। ३० दिन के भीतर मंत्रणा बोर्ड नजरबन्द के मामले पर विचार करता है। यह सब दिखावा है । कोई बात भी सरकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं की जाती।

कहा गया है कि मामला बोर्ड के सुपुर्द किया जाता है। परन्तु बोर्ड के पास जो भी सामग्री होती है, उससे नजरबन्दी के कारणों की सत्यता नहीं जांची जा सकती। इससे कुछ संरक्षण अथवा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यह तो एक मजाक है। और देखिये इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितने व्यापक अधिकार प्राप्त किये गये हैं। यह काश्मीर के अतिरिक्त सारे देश पर लागू है। यदि राज्य की प्रतिरक्षा का ही मामला हो तो इसे केवल राज्य की सुरक्षा के लिये ही प्रयोग किया जाना चाहिये परन्तु अभी तक में भारत की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा का भेद नहीं समझ सका। यह कानून तो हर छोटी मोटी बात पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि जन सुरक्षा के नाम से कोई भी शरारत की जा सकती है। उच्च न्यायालयों में बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आवेदन पत्रों की सुनवाई के समय कई ऐसी बातों का पता चलता है जो कि सिद्ध करती हैं कि पुलिस वाले बड़ी लापरवाही से ऐसे मामलों की रिपोर्ट कर देते हैं। इसलिये जब पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी और नजरबन्दी आदेश को पक्का करने की बात कही जाती है तो हंसी आ जाती है। यह प्राधिकारी क्या सावधानी प्रयोग करते हैं कि एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर किसी दूसरे के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। एक छोटा अधिकारी अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे कर सकता है। किसी की भी स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं। यह बात गलत है कि हिंसात्मक कार्यवाहियां करने वालों पर ही यह लागू होगा। यदि मैं एक सम्मेलन करना चाहता हूं और पुलिस आयुक्त के विचार में इससे गड़बड़ होगी तो मैं सम्मेलन नहीं कर सकता। हालांकि, हिंसा की उसमें कुछ भी बात नहीं होगी। इसलिये मेरा कहना है कि हमारी सारी मानवीय हलचलें इस अधिनियम के अन्तर्गत आ जायेंगीं।

आज से ३८ वर्ष पहले रौलट अधिनियम इस देश में लागू किया गया था तो सारे देश में तूफान मच गया था। यह १९१९ की बात है, परन्तु यह विधेयक तो उससे भी बुरा है। रौलट अधिनियम बगावत को दबाने के लिये था, उसे सारे देश पर लागू नहीं किया गया था, उसे तो केवल एक विशेष क्षेत्र में, जब कि वहां सामान्य प्रशासन असम्भव हो गया तो लागू किया गया था। माननीय श्री विट्ठल भाई पटेल द्वारा भी इसका घोर विरोध किया गया था, और उन्होंने इसे सरकार की भारी भूल कहा था। परन्तु अब तो निवारक निरोध अधिनियम है। डा० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, श्री जिन्ना और पंडित मोहन मालवीय जैसे लोगों ने उसका घोर विरोध किया था। रौलट अधिनियम में न्यायालय में परीक्षण का अधिकार छीना नहीं गया था। आज तो शांति और सुरक्षा के नाम पर निवारक निरोध अधिनियम जैसे विधान बनाये जा रहे हैं। यदि देश को हमले का खतरा हो तो बात ठीक है, परन्तु शांति के समय में यदि हमारी सरकार और राज्य सरकारें १०० ऐसे व्यक्तियों की देख रेख करने के अयोग्य हैं, जो कि नजरबन्द हैं, और उनकी कार्यवाहियों पर नियन्त्रण नहीं कर सकतीं, तो मैं कहूंगा कि आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप इस प्रशासन के अयोग्य हैं और आपको इन पदों को छोड़ देना चाहिए।

केवल बम्बई राज्य में पुलिस प्रशासन पर १० करोड़ खर्च किया जाता है। सारे देश में इस पर १५० करोड़ खर्च किया जाता है। यदि इतने पर १०० आदमियों को विध्वंसकारी कार्यवाहियों से रोका नहीं जा सकता, तो मैं कहूंगा कि इस प्रशासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहए। यह अराजकता की बात नहीं। ऐसा कोई अपराध नहीं जो कि भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत नहीं आ जाता, इसलिए यह निवारक निरोध

[श्री नौशीर भरूचा]

अधिनियम की क्या आवश्यकता है । और यह कहना भी लाभदायक नहीं सिद्ध होता कि इन अधिनियमों के बावजूद अपराध हो रहे हैं । तो क्या इस आधार पर जनता का अदालत की शरण लेने का अधिकार छीन लिया जाय ? अथवा यह कि पुलिस प्रशासन को और योग्य बनाया जाय । यदि मुझे रौल्ट अधिनियम और इस अधिनियम में एक को चुनने के लिए कहा जाय तो मैं हाथ जोड़ कर रौल्ट अधिनियम को स्वीकार कर लूंगा ।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट (निवारक निरोध अधिनियम) की मियाद को तीन वर्ष के लिए और बढ़ाने का बिल आया है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं ।

अब हमें यह देखना चाहिये कि हमारे इस देश में जिसकी कि जन संख्या करीब ३८ करोड़ के है वहां पर १-११-५६ से ३०-९-५७ तक कितने आदमी डिटेंशन में थे और कितनों के मामले में विचार किया गया है, यह आपको स्टेटमेंट २ को पढ़ने से पता चल सकता है ।

इस क्लाज को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जिन प्रदेशों का उल्लेख किया गया है उस उल्लेख के मुताबिक करीब करीब हमारे यहां पर ३१-१०-५६ तक के नजरबन्द मिलाकर संख्या ४३ है ।

इन सारी चीजों को देखने के बाद हमारे माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि यह जो हमारे ऐडवायजरी बोर्डस (मंत्रणा बोर्ड) हैं यह मौकेरी (मजाक) हैं, तो मैं उनसे इसमें सहमत नहीं हूं । आखिर जो ऐडवायजरी बोर्डस हैं उनमें हाई कोर्ट के जजेज (न्यायाधीश) हैं और जजेज बैठ कर फैसला करते हैं और इसका निर्णय करते हैं कि अमुक आदमी को डिटेन (नजरबंद) किया जाय अथवा नहीं और यदि वह यह समझते हैं कि उस आदमी को डिटेन न किया जाय तो उसको डिटेन नहीं किया जाता है ।

इस के अतिरिक्त यदि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का यह खयाल हो कि यह प्रीवेटिव डिटेंशन ऐक्ट कांग्रेस के अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक दलों को जैसे साम्यवादी दल, प्रजा समाजवादी दल, हिन्दू महासभा, राट्रीय स्वयं सेवक संघ या जनसंघ आदि को दबाने के लिये बनाये रक्खा जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि उनका ऐसा खयाल करना ठीक नहीं है । यह कानून तो वास्तव में ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स (समाज विरोधी तत्वों) को चैक में रखने के लिए रक्खा जा रहा है जो कि हमारें देश और समाज की प्रगति के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहे हैं । आज अभाग्यवश हमारे देश में अराजक तत्व विद्यमान हैं और अभी थोड़े ही दिन हुए जब हमारी एक रेलगाड़ी पटरी से उलट गई क्योंकि फिश प्लेट निकाल दी गई थी । इसके अतिरिक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम में से कौन ऐसा है जो यह बर्दाश्त करेगा कि जो संविधान हमने बनाया है उसको जलाया जाय और हमारे उस नेशनल फ्लैग (राष्ट्रीय ध्वज) का जिसके नीचे कि हम सब लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी और कुर्बानियां दीं, उसका सरेआम अपमान किया जाय और उसको जलाया जाय । जब हमारें सामने ऐसी परिस्थितियां पेश हों तो अगर सरकार इस डिटेंशन ऐक्ट की मियाद तीन वर्ष के बढ़ाने के लिए आगे आये तो मैं समझता हूं कि इस में कोई भी गलत बात नहीं है ।

पहले पहल यह बिल १९५० में लाया गया था और आज सन् १९५७ में वह काफी रद्दोबदल होकर हमारे सामने पेश है और मैं समझता हूं कि सन् १९५० में जो इसका रूप था वह आज के सन् १९५७ के बिल की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक था। इसके अलावा हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीज्योर ऐक्ट है उसमें भी काफी रद्दोबदल किया जा चुका है। मैं कोई वकील तो हूं नहीं कि कोई एक दावे के साथ किसी चीज को कहूं लेकिन यह मैं ने अक्सर बाहर सुना है कि चूंकि क्रिमिनल प्रोसीज्योर ऐक्ट इतना बदल दिया गया गया है, इसलिए प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट को कायम रखना जरूरी हो गया है। इसके अलावा ट्राएल करने के काम में भी तबदीली हो गई है। आज हमारी रेलवेज में जो सैबोटेज होता है और ऐसे लोग जो हमें काम करने नहीं देना चाहते, जो कि विधान सभाओं में जा कर के वहां पर प्रदर्शन करना चाहते हैं और काम को रोक देना चाहते हैं और मार पीट करना चाहते हैं, ऐसे शरारती लोगों को रोकने के लिए हमें इस प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट की अभी आगे के लिए जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान स्टेटमेंट नम्बर ३ की ओर दिलाना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में जहां कि डकैतों को हारबर किया जाता है वहां इस कानून के बगैर कैसे डील किया जाय और अगर ऐसे उपद्रवी और असामाजिक लोगों को डिटेन न करें तो यह कहां तक मुनासिब होगा ? हमारे पास इतना अच्छा कोई दूसरा कानून नहीं है जिसके मातहत हम उनको डिटेन कर सकें।

हमारे माननीय सदस्य श्री नौशीर भरूचा ने कहा कि रौलेट ऐक्ट के जमाने में ऐक्यूज्ड का ट्राएल होता था और उन्होंने रौलेट ऐक्ट के सम्बन्ध में पुरानी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में जो उस समय के सदस्यों ने जिनमें से कि आज बहुत से इस लोक में नहीं हैं, उनके उस समय प्रकट किये गये विचारों को जो अपनी स्पीच में कोट किया, मैं उनको मान्यता देता हूं लेकिन मैं अपने उन माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि वे जरा आज की परिस्थिति का मुलाहजा करें कि देश में क्या हालत हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश में डाकुओं को आश्रय दिया जा रहा है और उनको घरों में शरण दी जा रही है और जिलों में उपद्रव हो रहे हैं और ऐसी हालत में सरकार के पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाता कि वह इस सिचुएशन का सफलतापूर्वक सामना करने के लिये इस प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट की मियाद २, ३ साल और बढ़ाने के लिए हाउस से कहें और मैं समझता हूं कि हालात ऐसे हैं जिनको कि वजह से हमें सरकार को इसकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी देनी चाहिए।

हमें यह भी देखना चाहिए कि यह डिटेंशन के केसेज जो रेव्यू होते हैं उनकी तादाद कितनी है और उनमें से कितने छूटते हैं और कितनों को डिटेन किया जाता है। उसमें आप पायेंगे कि जिन लोगों को मंत्रणा बोर्ड द्वारा मुक्त किया गया उनकी संख्या ५६ है। इसके साथ ही साथ जिनकी नजरबन्दी पक्की की गयी है उनकी संख्या १२७ है।

अब ३८ करोड़ की मरदमशुमारी में यदि १२७ आदमी डिटेन कर लिये गये तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। यह सरकार जो डेमोक्रेसी पर देश को आगे

[श्री अ० मि० सहगल]

ले जाना चाहती है उसको मजबूत करना हमारा सब का कर्तव्य है और उसके रास्ते में कोई रुकावट न डाल सके और शरारती लोग उपद्रव आदि न कर सकें, उनको रोकने के लिए इस सरकार के हाथ में यह कानून देकर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ।

इस सदन के माननीय सदस्यों को इन सारी चीजों पर गौर करना चाहिए । मैं मानता हूं कि सन् १६५० में जब यह कानून लाया गया था उस वक्त इसमें खामियां थीं लेकिन धीरे धीरे हम इस कानून में से वे खामियां निकालते गये हैं और ऐक्यूज्ड के केसेज का रेव्यू किया जाता है और ऐडवायजरी बोर्डस उनके केसेज को ऐग्जामिन करते हैं और उस के बाद ही उन को डिटेन किया जाता है । मैं नहीं समझता कि ऐसी हालत में कैसे हमारे भाइयों का यह खयाल है कि इस कानून को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है । मैं तो समझता हूं कि हमारे विरोध के माननीय सदस्यों ने जब इस पर बहस आरम्भ हो रही थी तो चूंकि वे उसको वाजिब समझते हैं, इसलिए वे सदन से उठ कर बाहर चले गये ।

जब वे हमारी सभा में पार्टनर बन कर आए हैं और कन्धे से कन्धा मिला कर वर्क करना चाहते हैं हमारे कांस्टिट्यूशन को, तो जिन लोगों ने मद्रास में इस कांस्टिट्यूशन को जलाया, उन को उन की निन्दा करनी चाहिए थी । वह उन्होंने नहीं की है । जिन लोगों ने, जिन माननीय सदस्यों ने, इस कांस्टिट्यूशन की ओथ ली है, उन का ओथ लेने के कारण यह कर्तव्य हो जाता है कि जिन लोगों ने झंडे को जलाया, कांस्टिट्यूशन को जलाया, वे उनकी लानत मलामत करें । मैं अपने माननीय सदस्यों के लिए यह बात किसी बुरी नियत से नहीं कहता, मैं तो केवल प्रार्थना के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि वे इन भारी चीजों पर गौर करें, और विचार कर के देखें कि इस के लिए उन को क्या करना है ।

इन शब्दों के साथ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट को तीन वर्ष के लिए बढ़ाने का विधेयक लाया गया है, मैं उस का समर्थन करता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं ने माननीय गृह-कार्य मंत्री की बातें बड़े ध्यान से सुनी हैं, परन्तु इस विधेयक को तीन वर्ष और लागू करने की बात मेरी समझ में नहीं आई । मैं इस विधेयक का घोर विरोधी हूं । जब माननीय स्वर्गीय सरदार पटेल ने इस विधान को देश की सुरक्षा और साम्यवादी खतरे का नाम लेकर प्रस्तुत किया था, तो यह कहा गया था कि यह अस्थायी व्यवस्था है । बाद में श्री राजगोपालाचार्य और डा० काटजू भी यही कहते रहे, परन्तु यह तो अब स्थायी विधान ही बना जा रहा है । श्री नेहरू ने १६३६ में इसी प्रकार के विधान के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की थी, परन्तु आज जिस सरकार के वह प्रधान मंत्री हैं वह चंगेजखां का रूप धारण करके हमारी नागरिक स्वतन्त्रता को हड़प करने की सोच रही है ।

गृह-कार्य मंत्री ने बहुत सी घटनायें बताते हुए इस विधेयक का औचित्य सिद्ध करने का यत्न किया है । उन्होंने रामनाथपुरम का उल्लेख किया है । दोनों पक्षों ने शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया ? आखिर ये शस्त्रास्त्र कहां से आये ? मेरा यह स्पष्ट मत है कि यदि राज्य सरकार सचेत रहती और स्थिति को बिगड़ने न देती तो कुछ भी नहीं होने का था । और दूसरे पाकिस्तान के गुप्तचर यहां जो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उस पर नियन्त्रण

---

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये तो राज्य की सामान्य मशीनरी को हरकत में आना चाहिए । हां, यदि कोई राष्ट्रीय आपात की स्थिति का सामना हो, अथवा देश में युद्ध की स्थिति हो तो हम इस प्रकार के विधेयक का स्वागत करेंगे । परन्तु आज की स्थिति में इस प्रकार का नागरिक स्वतन्त्रता को छीनने वाला विधेयक एक दिन भी नहीं रहना चाहिए ।

गृह-कार्य मंत्री ने इंग्लैण्ड का उल्लेख किया है । मैं भी इंग्लैण्ड के इतिहास की बात बताता हूं । वहां १८ ख विनियम, गत विश्व युद्ध में लागू हुआ था और वहां राज्य मंत्री को बिना मुकदमा चलाये किसी को भी नजरबन्द करने का अधिकार दिया गया था । इसके सम्बन्ध में लार्ड ऐटकिन ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि इस देश में शस्त्रों के संघर्ष में भी कानून मौन नहीं रह सकता । उनको बदला जा सकता है परन्तु युद्ध और शांति में उनकी भाषा वही रहती है । यही हमारी स्वतन्त्रता के स्तम्भ है । न्यायाधीश किसी का पक्ष न करके यह देखते हैं कि कार्यपालिका ने किसी को स्वतन्त्रता को कुचलने का प्रयत्न तो नहीं किया । चाहे कोई भी मेरी इस बात का समर्थन न करे परन्तु मैं इस प्रकार के मंत्री को कैद करने के असीमित अधिकार देने का विरोध प्रकट करता हूं ।

यह इंग्लैण्ड की बात है, जिस देश का कि गृह-कार्य मंत्री उल्लेख कर रहे हैं, हालांकि वहां कोई लिखित संविधान नहीं है । हमारा लिखित संविधान है, और उसमें कुछ स्वतन्त्रता की व्यवस्था है परन्तु गत कुछ वर्षों में हमने यही देखा है कि हम उस स्वतन्त्रता का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाये । सरकार ने तो उन मूल व्यवस्थाओं को भी समाप्त करने के गम्भीर प्रयत्न किये हैं । हमारा इंग्लैंड से क्या मुकाबला, विश्व भर में केवल एक वही तो देश है जो कि अलिखित संविधान द्वारा भी स्वतन्त्रता की भावना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर पाया है ।

निस्सन्देह संसद को विधान बनाने के सभी अधिकार हैं, परन्तु इसके साथ उसके कुछ उत्तरदायित्व और कर्तव्य भी तो हैं । उन्हें अपने लोगों के विरुद्ध विधान बनाने का कोई अधिकार नहीं, जिनके कि वे प्रतिनिधि हैं, । परन्तु हम ऐसा कर रहे हैं । क्या सरकार यह समझती है कि भारत में कोई भारी गड़बड़, विद्रोह अथवा क्रान्ति होने वाली है ? यदि नहीं, तो इस काले विधान को जारी रखने का क्या लाभ है । गृह मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद २२ का उल्लेख करते हुये कहा कि उसमें बिना मुकदमा चलाये नजरबंदी की व्यवस्था है, परन्तु इसके साथ ही स्वतन्त्रता के संरक्षण की भी तो संविधान में व्यवस्था है, परन्तु उसकी ओर तो आप कभी ध्यान नहीं देते । इसलिए मेरा कहना है कि इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं । नागरिक स्वतन्त्रता देने के स्थान पर, इस विधान द्वारा उसे छीना जा रहा है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

कहा गया कि १९५० में ११,००० लोगों को नजरबन्द किया गया था और अब तो संख्या केवल २०५ है । परन्तु यह कोई दलील नहीं है कि आप इससे लोगों की नागरिक स्वतन्त्रता छीन लें और इस अधिनियम को बनाए रखें । हम विदेशों में भारतीयों की अवस्था पर विचार करते हैं, परन्तु हमारे घर में हमारी क्या अवस्था है इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं । यदि हम भारत में भारतीयों को नागरिक स्वतन्त्रता से वंचित रखते हैं तो हमें क्या अधिकार है कि विदेशों में उनकी अवस्था पर शोर मचायें ।

[श्री हेम बरुआ]

यह कहा गया है कि इस अधिनियम का प्रयोग उदारतापूर्वक किया जायेगा, परन्तु इससे इसके अस्तित्व का औचित्य नहीं सिद्ध हो जाता । कोई व्यक्ति भी किसी दंडाधिकारी के आदेश से छः सप्ताह के लिए जेल जा सकता है । इसीलिए मेरा कहना है कि यदि आज की स्थिति शांतिपूर्ण है तो इस विधान का कोई औचित्य नहीं । सरकार के दिल में अवश्य कोई पाप छिपा हुआ है । एक न्यायाधीश श्री हैंड ने कहा है कि यदि हमने इस प्रकार के विधेयकों द्वारा लोगों की नागरिक स्वतन्त्रता को छीनना है तो इससे अच्छा है कि यह अधिकार बिल्कुल दिये ही न जाएं । उसका कथन हमारे देश की स्थिति पर बिलकुल लागू होता है । हमें चाहिए कि ऐसे विधेयकों के स्थान पर ऐसा शांति और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न करें ताकि हमारे भीतर गतिशीलता उत्पन्न हो और हम आगे बढ़ सकें ।

लाला अचित राम (पटियाला): सभापति महोदय, आज आपके सामने सवाल यह है कि प्रिवेंटिव डेटेशन ऐक्ट (निवारक निरोध अधिनियम) की जिन्दगी को तीन सालों के लिए बढ़ाया जाए । इसके इतिहास का वर्णन करते हुए यह भी कहा गया कि किस तौर पर सरदार पटेल ने जब इस चीज का खयाल किया कि इस ऐक्ट की जरूरत है तो वह दो दिन और दो रात तक सोये नहीं थे । किसी की आजादी के हक को लेने की ग्रेविटी इतनी थी कि वाकई सरदार पटेल का परेशान होना उनके शायाने शान था । अब भी पन्त जी ने अपनी स्पीच में यह बात कही कि मैं तो इस बात का ख्वाहिशमन्द हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजादी दूं और जो रेस्ट्रिक्शन (प्रतिबंध) हों उनको कम करूं । आज मुझे खुशी होती है जब कि मैं यहां विडसर प्लेस में, मुल्क के अन्दर देहातों और शहरों में देखता हूं कि कम्युनस्ट पार्टी के झंडे लगे हुए हैं । दफ्तर खड़े हुए हैं । यह खुशी की बात है कि आज हमारी स्वराज्य गवर्नमेन्ट के अन्दर तमाम पार्टियों को काम करने की आजादी है और हमारे होम मिनिस्टर साहब, पंत जी, बजा तौर पर फक्र कर सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी अन्लाफुल थी वह आज लाफुल है और अपनी ऐक्टिविटीज (गतिविध) को कैरी आन कर रही है । जिस ऐक्ट के लिहाज से काफी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, उसके तहत भी उनकी पूरी आजादी है ।

लेकिन देखने की बात यह है, जैसी अभी दलील भी दी गई, कि आज जो एक्स्टेंशन किया जा रहा है तीन वर्ष के लिए, आया उसमें किसी तरमीम की जरूरत है या नहीं, या उसको वैसे ही लागू कर देना चाहिए । मैं समझता हूं कि इस हाउस के अन्दर बहुत से ऐसे आदमी हैं जो समझते हैं कि इस ऐक्ट की जरूरत है । इसमें कोई शक व शुबह नहीं है । खास तौर पर जब हम देखते हैं कि बम चलते हैं बम किसने रक्खे और कहां रक्खे, यह बातें छोड़ दी जाएं, एस्प्वायनेज (मुखबरी) चलता है । सरकार भी समझती है कश्मीर के अन्दर जो हालत है । पाकिस्तान के आदमी, उसी शक्ल के, उसी तरह की पगड़ी वाले, वहां फिरते हैं । उनको पकड़ने की जरूरत है । तो यह बात माकूल मालूम पड़ती है कि ऐसा ऐक्ट हो । यह जरूर देखना होगा कि हम कहीं सवाब करते करते, नेकी करते करते, गवर्नमेंट को मजबूत करते करते, ला एंड आर्डर को मजबूत करते करते, कहीं ला एंड आर्डर को फेल तो नहीं करते । कहीं नेक काम करने से बुराई तो पैदा नहीं होती । अगर फिगर्स को देखा जाए तो १०,००० से कम होते होते कोई २०० लोग रह गए । यह हमारे काम की निशानी है और खुशी की बात है । लेकिन मेरा ख्याल है कि हालांकि पंत जी आज इस हालत में हैं कि यह ऐनाउंस करें कि सिर्फ २०० या २५० ही आदमी रह गए, लेकिन अगर इस ऐक्ट पर जरा और एहतियात से

अमल किया जाता तो बजाय २०० के १०० आदमी ही रह जाते। और यह कहा जा सकता कि आज इतने दिनों के अन्दर १०,००० से कम हो कर १०० आदमी ही रह गए हैं। इन फिगर्स के कम होने से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का मकसद अच्छा है और वह चाहती है कि लोग आजादी महसूस करें, साथ ही गवर्नमेंट को भी मजबूत किया जाए। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जब ला को जरा भी उल्टा बरता जाता है तो उसका नतीजा भी उल्टा निकलता है। मामूली बात है कि जो आदमी गलती करता है उसे डिटेंशन में रक्खा जाए, लेकिन जब ला को मिसयूज किया जाता है तो उल्टा नतीजा निकलता है। एक छोटी सी बात देखिए। अकाली तहरीक चलने के बाद मास्टर तारा सिंह को पकड़ लिया गया। मास्टर तारा सिंह जेल में थे। उस वक्त गवर्नमेंट ने यह कहा कि उनको वहां से तब्दील किया जाए। जब मास्टर तारा सिंह के पास लोग गए तो उनको बुखार चढ़ा हुआ था। मास्टर जी ने कहा : मझे बुखार है, ऐसी हालतों में मुझे तब्दील न किया जाए, लेकिन कहा गया कि नहीं, बहुत नजदीक ले जाना है। क्या हुआ कि उनको उसी बुखार की हालत मे अमृतसर से गुंड़गांवा ले जाया गया, और उसकी वजह से उनको हड्डियों में तकलीफ है। यह बात जरूर है कि गवर्नमेंट को हक है कि प्रिजनर्स (बंदियों) को तब्दील करे, उन्हें जिस जेल में चाहे ले जाए, लेकिन इस कानून को बरतने का ढंग भी तो कुछ होना चाहिए। मास्टर जी को बीमारी की हालत में ले जाना गलत था, जिसका नतीजा गलत ही निकला। जो अकाली भाई थे उस जेल में, उनके इस से आग लग गई और तहरीक इतनी बढ़ गई कि हाथ में नहीं रही। गलत तरीके से काम करने से यही होता है। मैं सारे मुल्क की बात तो नहीं कह सकता लेकिन पंजाब के अन्दर छः महीने से जो तहरीक चल रही है और बड़े जोर से चल रही है, कहा जाता है कि वह खत्म होगी, लेकिन खत्म होने की कोई बात नहीं है। हजार डेढ़ हजार आदमी जेल में जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आर इस प्राब्लम को प्रापर तरीके से हैंडल किया जाता तो मामला इतना नहीं बढ़ता। आज वहां नारे लगाए जाते हैं कि जबर्दस्ती पंजाबी न पढ़ाई जाए, जबर्दस्ती हिन्दी न पढ़ाई जाए। मैं चाहता हूं कि सब को हिन्दी पढ़ाई जाए, लेकिन साथ में यह भी चाहता हूं कि जबर्दस्ती हिन्दी न पढ़ाई जाए। **डोन्ट फोर्स हिन्दी डाउन देयर थोट्स**। (उन पर हिन्दी न ठूंसो) उनका ऐसा ख्याल है। हिन्दी रक्षा समिति कहती है कि जबर्दस्ती हिन्दी भी न पढ़ाई जाए और जबर्दस्ती गुरुमुखी भी न पढ़ाई जाए। मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि हिन्दी और गुरुमुखी दोनों ही पढ़नी चाहियें। लेकिन जो अपनी बात कहे क्या उसको पकड़ा जाए। आज यह देखने की बात है। अगर कोई कोर्ट में जाए और कोर्ट का काम बन्द कर दे, तो बेशक पकड़ लो। लेकिन देश भर में जो नारे लगाते हैं हम जबर्दस्ती हिन्दी नहीं पढ़ेंगे, हम जबर्दस्ती गुरुमुखी नहीं पढ़ेंगे, उन पर पाबन्दी लगाना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि पंजाब में जो गलतियां हुई हैं, उनसे जो आप का अच्छा मकसद है कि लोग हिन्दी और गुरुमुखी दोनों पढ़ें, वह हल नहीं हो रहा है, उल्टे उल्झन बढ़ रही है।

पहले तो बात शहरों तक ही थी लेकिन अब यह बात गांवों में भी पहुंच गयी है। मान लीजिये कि यहां पर कोई आदमी जेल में बन्द हो और पन्त जी या पंडित जी कहें कि वह बीमार है और उसे खून की जरूरत है, और अगर कोई आदमी जिसको डाक्टर इजाजत दे उस बीमार के लिए अपना खून दे देता है तो इसमें कानन के खिलाफ क्या बात है। लेकिन पंजाब में ओम प्रकाश नाम के एक शख्स को इ ी बिना पर डिटेन कर लिया गया कि उसने एक कैदी को अपना खून दिया। अब बतलाइये कि यह कौन सा जुर्म है।

एक माननीय सदस्य : शेम।

लाला अचिंत राम : इस में शेम की बात नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट अपना काम न करे लेकिन उसका ढंग ठीक होना चाहिए। अब मास्टर तारा सिंह को जो बुखार की हालत में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया तो क्या यह पन्त जी के कहने से या जवाहर लाल जी के कहने से किया गया। लेकिन इससे गड़बड़ मच गयी और हजारों अकालियों की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट के खिलाफ बन गयी। आज जो गलतियां हो रही हैं उनका नतीजा यह है कि पंजाब में एक कम्युनिटी जनसंघी बन गयी। जो लोग कल तक कांग्रेस कैम्प में थे आज आपके बखिलाफ हो गये। उन्होंने गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसके साथ देश के लिए कुर्बानियां कीं, लेकिन आज इन गलतियों के कारण वे आपके खिलाफ बन गये।

आप देखें कि प्रोफेसर भगवान दास हैं। मैं उनको जानता हूं कि वे बड़े सच्चे और त्यागी हैं और नान वायलेंट हैं। वे प्रिंसिपल हैं और लेबारेटरी में एक्सपैरीमेंट करते हैं। तो जो उनको जानता है वह उनके खिलाफ कोइ बात नहीं कह सकता। इसी तरह से एक मेरे क्लास फैलो हैं श्री मेलाराम जो डी० ए० वी० स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो कहते थे कि जो आदमी हिन्दू और सिखों में नाइत्तिफाकी पैदा करता है वह गुनहगार है। उनका दावा था कि जो ग्रन्थ साहब की इज्जत नहीं करता वह गुनहगार है, वे कहते थे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस कानून में उनको डिटेन किया गया। ऐसा करने से लोगों के अन्दर जज्बा न फैले तो क्या हो। आज उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आज गवर्नमेंट की तरफ से अपीलें निकाली जाती हैं कि यह चीज कंट्रोल में आवे, पार्लियामट के १५० मेम्बर अपील निकालते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। कारण यही है कि वहां पर इस डिटेंशन ऐक्ट का मिसहैंडलिंग हुआ है।

पंत जी ने कहा कि एक भी इंस्टेंस बतलाओ। यहां तो कई इंस्टेंस हैं। हमें यकीन है कि अगर यह केस पंत जी के सामने या होम मिनिस्ट्री के सामने आता कि एक आदमी ने एक कैदी को अपना खून दे दिया है तो यकीनन उस आदमी को डिटेन न किया जाता।

एक माननीय सदस्य : छोड़ दिया गया।

लाला अचिंत राम : बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है उसे पहले पकड़ा ही क्यों गया। पकड़ने के बाद उसे एडवाइज़री बोर्ड ने छोड़ा।

एक माननीय सदस्य : स्टेट गवर्नमेंट ने ही छोड़ा था।

लाला अचिंत राम : स्टेट गवर्नमेंट ने ही छोड़ा होगा लेकिन जितने समय उसे जेल में रहना पड़ा उस के लिये कौन जिम्मेवार है।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : जो आदमी दूसरे केसेज़ में गिरफ्तार होते हैं और जेल में कुछ समय रहने के बाद रिहा हो जाते हैं उस में किस की गलती है ?

लाला अचिंत राम : लेकिन इस डिटेंशन के काम के लिये बहुत अहतियात की जरूरत है। सरदार पटेल ने कहा था कि उन को यह बिल लाने के पहले कई रात नींद नहीं आई थी।

यह कहा जा रहा है कि इस ऐक्ट को तीन साल के लिये और बढ़ा दिया जाय। स्पीकर साहब ने भी कहा कि अगर इस में अमेंडमेंट करना है तो बाद में किया जा सकता है, अभी तो ३१ दिसम्बर आ रही है। लेकिन सरकार को यह तो सोचना चाहिये कि आज जो इस का मिसएपलीकेशन (दुरुपयोग) हो रहा है उस को किस तरह से दूर किया जाय। मैं कहता हूं कि आज के हालात में इस की

जरूरत है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस का मिसयूज़ न हो तो आप को इस के लिये इंतिजाम करना चाहिये । इस सिलसिले में मैं तीन चार सजेसशन देता हूं ।

पहली बात तो यह है कि जब किसी को डिटेन करना हो तो एक दिन के अन्दर इस बात का सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट ले लेना चाहिये कि इस आदमी को डिटेन किया जाये या नहीं । यह इस लिये जरूरी है कि सरकार की बदनामी न हो । इन गलतियों की वजह से पंजाब में एक कम्युनिटी की कम्युनिटी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई है । इसलिये पहली बात तो यह है कि किसी आदमी को डिटेन करने से पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मामला रेफर कर दिया जाना चाहिये ।

दूसरा सुझाव यह है कि आज लोगों को इस बात की शिकायत है कि उन को ग्राउंड्स डिटेंशन के पांच दिन बाद दिये जाते हैं । किसी को पकड़ने के पहले आप उस के खिलाफ जो ग्राउंड हैं उन को इकट्ठा कर लें । यह ठीक नहीं है कि पहले उसे पकड़ लें और बाद में ग्राउंड इकट्ठा करें । यह तो ऐसा हुआ कि मैं किसी को बगैर यह जाने हुए कि यह बीमार है दवा दे दूं । इसलिये मेरा दूसरा सुझाव यह है कि किसी आदमी को डिटेन करने से पहले उस के ग्राउंड इकट्ठा कर लेने चाहियें और डिटेन करते ही उस को वे ग्राउंड दे दिये जाने चाहियें ।

तीसरी बात कनफरमेशन की है । गवर्नमेंट अभी सात दिन में कनफर्म करती है । इस से गवर्नमेंट की बदनामी होती है । अभी कांग्रेस सरकार का सब जगह बोल बाला है । लाखों आदमी उस की इज्जत करते हैं । लेकिन अगर इस तरह से होता रहा तो उस की बदनामी होगी और जो लोग आज उस के दोस्त हैं वे उस के दुश्मन हो जायेंगे । इसलिये मेरा कहना यह है कि सिर्फ जस्टिस करना ही काफी नहीं है यह ज़ाहिर भी होना चाहिये कि जस्टिस की जा रही है ।

आज एडवाइज़री बोर्ड को तीस दिन में मसाला भेजा जाता है । आप एक आदमी को पकड़ लेते हैं तो वह इस तरह से एक दो तीन महीने तक बाहर नहीं निकल सकता । मेरा सुझाव यह है कि जब आप को यकीन हो जाये तो आप उस आदमी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी ले लें और फिर तीस दिन के बजाय क्यों न सारा मैटीरियल दस दिन में ही एडवाइज़री बोर्ड के पास भेज दिया जाय ।

एक माननीय सदस्य : यह काम तो स्टेट गवर्नमेंट करती है ।

लाला अचित राम : स्टेट गवर्नमेंट ही करे लेकिन ३० दिन के बजाये ५ दिन में क्यों न सारा मैटीरियल बोर्ड के पास भेज दे ।

चौ० रणवीर सिंह : और कोई काम तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है नहीं ।

लाला अचित राम : और काम को छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं । इस वक्त होम मिनिस्टर साहब तशरीफ नहीं रखते उन के सहायक साहब हैं । खैर, यह खुशी की बात है । तो मेरी दरख्वास्त यह है कि किसी आदमी को डिटेन करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट ले लेना चाहिये, उसे डिटेन करनें के फौरन ही बाद ग्राउंड्स दे देने चाहियें, फौरन कनफर्म करना चाहिये और जितनी जल्दी हो सके एडवाइज़री बोर्ड के पास मैटीरियल भेज दिया जाय । अगर किसी आदमी को तीन तीन और छः छः महीने जेल में रखा जाता है और बाद में रिहा कर दिया जाता है तो इस बीच में उस का कारोबार नष्ट हो जाता है और उसे बहुत दिक्कत और परेशानी होती है ।

आज पंजाब के अन्दर ११२ आदमी पकड़े गये । उन में से ७० या ८० को एडवाइज़री बोर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया । यह इस बात का सबूत है कि डिटेंशन ऐक्ट का ठीक तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : मिसयूज 'दुरुपयोग' हुआ ।

लाला अचित राम : यह तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं कांग्रेस का आदमी हूं लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस के इस्तेमाल में कम अहतियाती बरती गई। तो ११२ में से ७० या ८० आदमी रिहा हो जाते हैं तो देखिये कि कितनी गलती हुई। अगर यह गलती न होती तो प्राविंस में इतना वावेला न मचता। इस गलती की वजह से इन आदमियों की गिरफ्तारी की वजह से सरकार की बदनामी भी हुई और फिर भी उन को रिहा करना पड़ा। अगर अहतियात बरता जाये तो यह बात क्यों हो। आप इस तरह से काम क्यों न करें जिस से आप की जड़ें मजबूत हों।

मैं अब आप को हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) के एक फैसले से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उस में कहा गया है कि गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी ने विवेक से काम नहीं लिया अतः उस ने ईमानदारी से विधि का प्रयोग नहीं किया।

यह क्या बात है। हमारी हाईकोर्टें हमारी गवर्नमेंट के मुह पर थप्पड़ लगाया करती हैं। यह फैसला सारी पबलिक पढ़ सकती है। यह तो नहीं है कि यह होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की जेब में रहेगा।

चौ० रणवीर सिंह : जमींदारी एबोलीशन (उत्सादन) के लिये भी हाईकोर्ट ने ऐसा ही फैसला दिया था। फिर उसे सरकार ने कांस्टीट्यूशन (संविधान) का पार्ट बना दिया था और हाई-कोर्ट के परव्यू से बाहर कर लिया था।

लाला अचित राम : जो हमारे चौधरी साहब कहते हैं वह अच्छा है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा मौका ही क्यों आये। अगर हम ठीक ढंग से और मुनासिब तरीके से काम करें जिस में सब का एग्रीमेंट हो तो हाईकोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत ही क्यों हो।

हाईकोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रिकचर्स (आलोचना) पास करते हुए जो कहा है कि इस में एक भी ठोस कारण नहीं बताया गया। और हालात से मुझे पता चलता है कि तमाम बताये गये कारण बिलकुल अस्पष्ट हैं और अधिनियम के उद्देश्य के विरुद्ध हैं।

अब जहां तक इस प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट की ज़रूरत का सवाल है मैं इस बात को मानता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) को इस ला की जरूरत है लेकिन जैसा मैं ने पहले बतलाया कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस ला का ठीक तौर पर जैसे उन्हें इस्तेमाल करना चाहिये, नहीं करती हैं और अपनी गलती की वजह से लाखों आदमियों को अपने खिलाफ कर लेती हैं। यह कोई अक़लमन्दी की बात नहीं है कि जो कल तक आप के दोस्त थे उन को आप ऐसी ग़लत हरक़त से अपना मुखालिफ़ बना लें। इसलिये मैं बहुत संजीदगी से आप को यह अपनी अम्बुल सलाह देना चाहता हूं कि इस बात का पूरा पूरा इंतज़ाम होना चाहिये कि इस को ग़लत और इमप्रौपर ऐप्लीकेशन (अनुचित प्रयोग) न हो। यह बिल मुझे इस में कोई शुबहा नहीं है कि बहुत जल्दी पास हो जायगा और मैं भी आप के साथ खड़ा हो कर इस के पक्ष में वोट दूंगा लेकिन मैं इतना आप से ज़रूर विनती करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस में संशोधन कर के इस के अन्दर जो खामियां हैं उन को निकाल दें। मैं चाहता हूं कि इस प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के सिलसिले में पहली चीज़ तो यह होनी चाहिये कि एग्रीमेंट से डिटेंशन हों और जो डिटेन हो उस की ग्राउन्ड्स आफ डिटेंशन का कनफ़रमेशन सात दिन के अन्दर अन्दर हो जाय। ऐडवाइज़री बोर्ड को डिटेंशन का तमाम मैटीरियल १०, १५ दिन के अन्दर अन्दर दे दिया जाय। अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक संशोधन बिल लाया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत सारा मसला हल हो जायेगा और सभी आप के साथ होंगे।

†**श्री साधन गुप्त** : हमें यह बताया जाना चाहिये था कि इस असाधारण विधान को बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं और फिर तीन वर्ष बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं। जो कुछ कारण हमें बताने का प्रयत्न किया गया है वह सदन के साथ बड़ा भारी धोखा है, इस के तीन कारण बताये गये हैं। प्रथम यह कि संविधान के निर्माताओं की यह इच्छा थी कि यह कानून कायम रहे, दूसरे देश की स्थिति के अनुसार इस की आवश्यकता है और तीसरे इस के अनुचित प्रयोग के विरुद्ध काफी संरक्षणों की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिये इस की अवधि बढ़ाने में कोई हानि नहीं होनी चाहिये

संविधान में निवारक निरोध की व्यवस्था विशेष आपात अवस्था के लिये की गई थी परन्तु अब तो कोई ऐसी अवस्था है ही नहीं। गृह कार्य मंत्री ने निराधार ही उस का औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। संविधान की श्रुति का उल्लेख कर कई आपातकालीन खतरों को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

मुझ से पहले वक्ता यह बता चुके हैं कि निवारक निरोध उन कार्यों को रोकने में असफल रहा है, जो वास्तव में रोके जाने चाहियें। यह इसलिये कि यह अधिनियम देश को वास्तव में हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिये बनाया भी नहीं गया है। यह दिल्ली में बम-विस्फोटों और काश्मीर में पाकिस्तानी दलालों की कार्यवाहियों को इसीलिये नहीं रोक पाया है।

मद्रास या पंजाब में होने वाली घटनायें ऐसी नहीं हैं जिन से समूचे राष्ट्र को खतरा हो, और उन के रोकने के लिये ऐसा काला कानून बनाया जाये। दंगे-फसादों और उपद्रवों के लिये तो सरकार पर्याप्त शक्तियों से लैस है ही। उन के लिये दण्ड संहिता ही पर्याप्त है ।

गृह-कार्य मंत्री ने इस के पक्ष में एक तर्क यह दिया है कि हिंसा का प्रचार रोकने के लिये निवारक निरोध की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु, उसे रोकने के लिये दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारायें १०७, १०८, १०९ और ११० पर्याप्त हैं ।

उस के लिये ऐसी असाधारण शक्तियां ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। गृह-कार्य मंत्री ने कहीं भी यह सिद्ध नहीं किया है कि सरकार के पास जितनी शक्तियां हैं, वे अपराधों को रोकने में अपर्याप्त हैं। हत्यायें और डाकेजनी तो इंगलैण्ड और अमरीका में भी होती हैं, लेकिन वहां निवारक निरोध अधिनियम नहीं बनाया जाता ।

इस में जो यह व्यवस्था है कि नजरबन्दी का आधार आवश्यक रूप से बताया जाना चाहिये, वह बेमानी हो जाती है, क्योंकि उन की जांच नहीं होती। इसलिये यह भी कोई परित्राण नहीं है ।

फिर, न्यायिक पुनरीक्षण भी एक मजाक ही है, क्योंकि उन गवाहों से जिरह करने का अधिकार नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्ति को दिया ही नहीं गया। सलाहकार बोर्ड पुलिस अधिकारियों द्वारा जुटाई गई सामग्री पर ही तो निर्णय करेगा।

शिकायत यह की गई है कि हमारे देश में पुलिस अधिकारियों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना कि विदेशों में। सवाल यह है कि हमारे अधिकांश पुलिस अधिकारी भी तो विदेशों के पुलिस अधिकारियों की भांति नहीं हैं। उन की मनोवृत्ति अभी भी अंग्रेज शासन के काल जैसी ही बनी हुई है ।

दूसरी विचित्र बात यह है कि जब १९५० में नजरबन्दों की संख्या १०,००० थी, तब तो सरकार इस की अवधि की एक वर्ष ही और बढ़ाने की बात करती थी लेकिन अब जब उन की संख्या २०५ ही रह गई है, तो सरकार उसे तीन वर्ष और बढ़ाना चाहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री माधव गुप्त]

इस का वास्तविक कारण यह है कि सरकार कुछ मुट्ठी भर लोगों की इच्छा को देश के करोड़ों लोगों पर थोपने के लिये ही इस का प्रयोग करती है। यही हमारा अब तक का अनुभव है।

संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात के लिये चलने वाले बहुमत के आन्दोलन का दमन इसी अधिनियम द्वारा किया गया था।

पश्चिमी बंगाल के संविलय सम्बन्धी आन्दोलनों को भी इसी के बल पर कुचला गया था, जबकि वहां की सारी जनता उन आन्दोलनों के पीछे थी। सरकार जब मूलभूत अधिकारों को छीनना चाहती है, तभी इस अस्त्र का प्रयोग करती है।

इस काले कानून का प्रयोग मजदूर संगठनों और उनकी हड़तालों के विरुद्ध किया जाता है। सरकार इस का उपयोग शान्तिपूर्ण हड़तालों को तोड़ने के लिये करती है। सरकार ने पश्चिमी बंगाल के बैंक कर्मचारियों की शान्तिपूर्ण हड़ताल को इसी के द्वारा तोड़ने का विफल प्रयास किया था। सरकार ने उन पर हिंसा-प्रचार आदि के जो आरोप लगाये थे, वे बिलकुल मनगढ़न्त हैं।

देश के हर भाग में इसका दुरुपयोग किया गया है और किया जा रहा है। यह हमारे देश के लिये शर्म की बात है। इस बात में, सरकार जनता का और देश का नहीं बल्कि निहित स्वार्थों का ही प्रतिनिधित्व करती है। देश की जनता इस के विरुद्ध है।

निवारक निरोध अधिनियम ने केवल एक ही कार्य किया है और वह है सभी दलों के उन अग्रणी नेताओं को कुचलना जो जनता के हितों को लेकर बढ़ते हैं।

सरकार अव्यवस्था के खतरे की झूठी गुहार मचा कर, और इस प्रकार अस्थायी रूप से इस की अवधि बढ़ा कर, इसे एक स्थायी रूप दे रही है।

जो भी सरकार ऐसी विधियों के बल पर शासन करती है, उस के जीवित रहने का कोई नैतिक औचित्य नहीं है। शायद कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों को याद होगा कि यह बात किस ने कही थी।

†**श्री नथवानी** (मेरठ) : माननीय मंत्री ने, इस अधिनियम को जारी रखने का औचित्य सिद्ध करने के लिये, कल तक दिया था कि देश की परिस्थिति ही ऐसी है। उन्होंने उदाहरण के लिये काश्मीर में पाकिस्तानी उपद्रवों, पंजाब के हिन्दी आन्दोलन और दक्षिण भारत में होने वाले दंगों का उल्लेख किया था। इससे स्पष्ट है कि यदि १९५३ में ऐसा अधिनियम देश की परिस्थिति को देखते हुए आवश्यक था तो आज भी उस का उतना ही औचित्य मौजूद है।

इस के विपक्ष में कहा गया है कि अन्य किसी भी सभ्य देश में ऐसा अधिनियम नहीं है। इस का उत्तर तो यह है कि हमारे देश में अभी लोकतांत्रिकता अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है और हमारा देश बहुत विशाल है, जिस में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थायें मिलती हैं। पुराने विचारों और पुरानी आदतों के बदलने में बड़ी कठिनाई पड़ती है और देर लगती है।

कम्युनिस्ट दल के नेता ने इस विधान के विपक्ष में बड़ी वाक्-चातुरी दिखाई है। उन का एक तर्क यह था कि यदि अधिनियम के होते हुए भी देश में उपद्रव होते हैं और दंगे फैलते हैं तो यह देश के लिये आवश्यक नहीं है। लेकिन, यदि उन की बात सही भी हो तो यह तर्क तो यही सिद्ध करता है कि इस का सही-सही उपयोग नहीं किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पहले तो उन्हों ने कहा था कि इस अधिनियम का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता, यह अधिनियम अप्रयोजनीय है, लेकिन बाद में उन्हों ने स्वयं बताया है कि बम्बई में इस का प्रयोग किया गया था । ये दोनों विरोधी बातें हैं ।

फिर उन्हों ने कहा था कि यह अधिनियम जनता को हिंसा से बचाने के लिये नहीं, बल्कि बहुमत के लोगों पर अपनी इच्छा थोपने के लिये है । उन्हों ने इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था । पता नहीं, वे बहुमत का क्या अर्थ लगाते हैं ।

दो-भाषीय राज्य के निर्माण का निर्णय प्रथम लोक-सभा ने किया था । हम ने कई महीनों तक राज्यों को पुनर्गठन के सम्बन्ध में चर्चा की थी । जनता ने भी हमारे निर्णय का अनुमोदन किया है ।

महाराष्ट्र और गुजरात के निर्वाचनों में कांग्रेस दल के ही सब से अधिक प्रतिनिधि चुने गये हैं । फिर, वे कैसे कहते हैं कि उन का बहुमत हमारे साथ नहीं है ? श्री डांगे ने सरकार द्वारा गोला बारी करने का तो उल्लेख किया है, लेकिन यह नहीं बताया कि बम्बई के अल्प संख्यक समुदाय पर युक्त महाराष्ट्र के समर्थकों ने कैसी-कैसी विभीषिकायें ढाई थीं । जनता के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य ही है ।

उन्हों ने यह भी एक मिथ्या दोषारोपण किया है कि प्रधान मंत्री ने अभी प्रतापगढ़ के दौरे में शिवाजी के सम्बन्ध में अपनी राय बदली है । उन्हों ने आज से १५ वर्ष पूर्व ही, सही तथ्यों को देखने के बाद, अपनी राय बदल दी थी ।

मेरा तो विश्वास है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया गया है । हां, कहीं-कहीं निर्णय में कोई भूल तो हो ही सकती है । लेकिन, उस के लिये अधिनियम में ही पर्याप्त परित्राण मौजूद हैं ।

श्री साधन गुप्त ने कहा था कि सलाहकार समिति का परित्राण भ्रामक है । मैं इस से सहमत नहीं हूं । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सलाहकार बोर्ड का सभापति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ही रखने की व्यवस्था है ।

देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, और संक्रमण काल की आवश्यकताओं को देखते हुए, यह उचित ही है कि इस की अवधि तीन वर्ष के लिये बढ़ा दी जाये । लेकिन, इस से पहले, हम संकल्प द्वारा ही अवधि बढ़ाते थे । इस बार भी उसी दृष्टान्त के अनुसार चलना चाहिये था ।

मैं भी इस प्रकार के विधान को पसन्द नहीं करता । लेकिन, किया क्या जाये ? इस की आवश्यकता तभी दूर की जा सकती है, जबकि सभी दलों के सदस्य जनता को प्रशिक्षित करने और लोकतांत्रिक परम्पराओं को दृढ़ करने में सरकार से सहयोग करें । तभी जनता शान्तिपूर्ण तरीक़ों में प्रशिक्षित होगी, और इन व्यापक शक्तियों की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी ।

इस के लिये लम्बे भाषणों की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक साधनों को अपनाने की ही आवश्यकता है ।

†**श्रीमती रेणका राय** (मालदा) : यह बिलकुल सच है कि संविधान द्वारा प्रदान किये गये मलभूत अधिकारों को देखते हुए, हमारे देश में निवारक निरोध जैसे अधिनियम का अस्तित्व खेदजनक है । लेकिन यथार्थ परिस्थिति ऐसी ही है ।

इस विधान को वापस लेने की मांग उन्हीं लोगों ने सब से ज़ोरदार शब्दों में की है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तिलभर भी महत्व नहीं देते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

कुछ सदस्यों ने मत व्यक्त किया है कि निवारक निरोध अधिनियम के साथ सलाहकार बोर्डों की जो व्यवस्था है, वह भ्रामक है । यह बात आंकड़ों से ग़लत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि सलाहकार बोर्ड ने ३८ मामलों में उन व्यक्तियों को रिहा कर दिया है जिन्हें कार्य-पालिका ने नज़रबन्द किया था ।

हमें इस अधिनियम की आवश्यकता इसीलिये पड़ती है, कि हमारा लोकतंत्र अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है, वह इंगलैण्ड जितना पुराना नहीं है ।

हमारे यहां मतदान पेटियों का प्रयोग तो आरम्भ हो गया है, लेकिन हमारी जनता ने अभी तक उनका महत्व भली भांति नहीं समझ पाया है । अभी भी लोग कुछ साम्प्रदायिक, जातिगत या अन्य कई प्रतिगामी भावनाओं को उभार कर उत्तेजित जनता को हिंसा की ओर ले जाने में समर्थ हो जाते हैं । समय रहते, ऐसे लोगों को नज़रबन्द कर के उन घटनाओं को घटित होने से रोका जा सकता है ।

मुझे इस के सम्बन्ध में केवल एक ही आपत्ति है । वह यह कि सरकार को इस का उचित प्रयोग करना चाहिये । मद्रास के हाल के दंगों में इस का प्रयोग करना चाहिये था ; और सरकार को खाद्य संकट बढ़ाने वाली चोरबाज़ारी के विरुद्ध भी इस का प्रयोग करना चाहिये । सरकार को इस अधिनियम का और अधिक प्रयोग करना चाहिये, हां दुरुपयोग नहीं होना चाहिये ।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार ने इस का दुरुपयोग नहीं किया है । एक-दो जगह जहां दुरुपयोग भी था, वहां उच्चाधिकारियों को उस का पता लगते ही उसे ठीक कर लिया गया था ।

इस के दुरुपयोग का परित्राण भी सलाहकार बोर्डों के रूप में इस में मौजूद है । मैं यह तो नहीं कहती कि देश की वर्तमान परिस्थिति में इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरा अनुरोध यही है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को इस का किंचित भी दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिये ।

श्री डांगे ने कहा था कि सरकार ने मद्रास में इस अधिनियम का प्रयोग नहीं किया था । मैं भी यही कहती हूं कि सरकार को वहां इस का प्रयोग करना ही चाहिये था । लेकिन, इस तर्क से यह औचित्य तो सिद्ध नहीं होता कि इस अधिनियम को हटा देना चाहिये ।

दूसरी चीज़ यह है कि इस अधिनियम की अवधि में वृद्धि कराने का प्रस्ताव बार-बार रखना ही अच्छा है, क्योंकि तब हर बार संसद् को उस की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिलता रहेगा ।

हम देख ही चुके हैं कि हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं कि जनता सामुदायक या भाषा सम्बंधी प्रश्नों पर जल्द ही उत्तेजित की जा सकती है । हम यह भी समझ चके हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ उश्रृंखलता नहीं है । इसलिये, लोकतांत्रिकता की जड़ें गहरी होने पर हमारे देश में इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ, लेकिन साथ ही मेरा अनुरोध है कि इसका प्रयोग सावधानी से किया जाये । कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये ।

वर्तमान परिस्थितियों में तो हमें इस अधिनियम को रखना ही पड़ेगा, जिससे कि विभिन्न प्रकार की उत्तेजनायें हमारे लोकतंत्र के आधार को ही नष्ट न कर दें।

अब प्रश्न यह है कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्तियों पर न्यायालयों में मुकदमे क्यों नहीं चलाये जा सकते? इसका कारण यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को नजरबन्द किया जाता है जो जनता को उत्तेजित करने वाले होते हैं। उन्हें उत्तेजना पैदा करके अव्यवस्था फैलाने से पहले ही नजरबन्द कर दिया जाता है। उस समय तक वह उत्तेजना एक सम्भावना ही रहती है, तथ्य नहीं बन पाती। इसलिये, यह आवश्यक है।

श्री त्रि० कु० चौधरी निर्वाचन के समय एक उम्मीदवार थे, लेकिन वे जेल में थे और इसीलिये कांग्रेस दल ने उनके विरूद्ध अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। क्या यह कांग्रेस दल की न्याय-प्रियता का प्रमाण नहीं है? हमने दो आम चुनाव देखें हैं। उनमें हमने देखा है कि कांग्रेस दल ने चुनाव में खड़े होने वाले उन राजनीतिक बन्दियों को भी मुक्त कर दिया था जो पहले हिंसा के समर्थक थे। इस प्रकार उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था और जनता को अवसर दिया गया था कि वह स्वयं निर्णय करे कि देश की बागडोर किन लोगों के हाथों में दी जाये। यही सच्ची लोकतांत्रिकता है और सदा से यही कांग्रेस का उद्देश्य रहा है। फिर, यह कहना व्यर्थ है कि निवारक निरोध अधिनियम लोकतांत्रिकता का गला घोंटने के लिये है। इसका प्रयोग तब तक नहीं होता जब तक कि हिंसा और रक्तपात की आशंका न हो।

इसलिये, हमें इस पर वस्तुगत दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिये कि विदेशी शासकों ने इस अधिनियम का दुरुपयोग करके इसे कलंकित कर दिया था। लेकिन, आज तो इसका वह प्रयोजन नहीं रहा है।

मैं इसका समर्थन करती हूं। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इसमें भी सावधानी रखनी चाहिये कि अल्पसंख्यकों को भी वही अधिकार सुलभ रहें जो बहुसंख्यकों को सुलभ हैं। विचार व्यक्त करने और संस्थायें बनाने के अधिकार ही लोकतंत्र के आधार हैं। लेकिन इनका अर्थ उच्छृंखलता नहीं है।

[1]गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): आज सुबह भारतीय कम्युनिस्ट दल के माननीय नेता का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना था। मुझे आश्चर्य तो यह है कि उन्होंने केवल दो या तीन विषयों की चर्चा में ही सारा समय क्यों लगा दिया और वे दो-या तीन विषय भी ऐसे जिनमें से एक तो बिल्कुल ही असंगत था। इस अधिनियम की धारा ३ में उन परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है जिनमें कि निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग किया जा सकता है। वे परिस्थितियां कई प्रकार के तथ्यों से उत्पन्न होती हैं, और उनके लिये ही इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। इसलिये, इस विधेयक के प्रयोग का औचित्य या उसकी आवश्यकता की परख के लिये यह जरूरी है कि हम उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले सभी तथ्यों पर विचार करें, केवल एक या दो तथ्यों पर अलग-थलग रूप में विचार न करें।

उनका भाषण सुनकर मैं तो यही समझा हूं कि वह कांग्रेस दल के विरुद्ध एक राजनीतिक भाषण ही अधिक था। जहां तक उसका सम्बन्ध है, मुझे कहना पड़ेगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह सबसे पहले तो संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के ही संबंध में था। मैं कुछ सीमा तक इस बात को भी मान सकता हूं कि संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के सिलसिले में कुछ लोगों को अवश्य ही नजरबन्द किया गया था। लेकिन, पूरा दिमाग लड़ाने पर भी मैं

[1]मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

यह समझने में असमर्थ हूं कि प्रतापगढ़ के मामले का इस विवाद से दूर का भी क्या सम्बन्ध हो सकता है। छत्रपति शिवाजी के सम्बन्ध में किये गये उस विशाल समारोह के सिलसिले में तो एक भी व्यक्ति कभी नजरबन्द नहीं किया गया था। ऐसी हालत में, यदि मैं यह कहूँ कि मेरे माननीय मित्र ने राजनीतिक कारणों से ही राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से ही उस समारोह को इसकी लपेट में लिया था, तो मैं कोई अधिक गलती नहीं करूंगा।

उसका भी हमारे पास बहुत ही प्रभावशाली उत्तर है। माननीय सदस्य ने कहा था कि इस अधिनियम के प्रयोग द्वारा कांग्रेस दल अपनी स्थिति दृढ़ करना चाहता है। यह सरासर झूठा आरोप है। मैं सभा को स्मरण दिला दूं कि संविधान सभा में भी कांग्रेस का बहुमत था। संविधान सभा में कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल थी और यदि वह चाहती तो निवारक निरोध सम्बन्धी विधि को उसी समय संविधि पुस्तक में स्थायी रूप से सम्मिलित करा सकती थी। उस समय हमने अनुच्छेद २१ पर विचार करने के समय केवल मूलभूत अधिकारों की उचित रूप में घोषणा करके उन्हें उल्लिखित कर दिया था। कांग्रेस १९४६ से ही सत्तारूढ़ रही है। उसने यह अवश्य सोचा था कि कुछ परिस्थितियों में शायद सरकार को निवारक निरोध की आवश्यकता पड़ जाये। इसीलिये, संविधान सभा में सीधे सीधे यही व्यवस्था कर दी गई थी कि संसद् यदि चाहे तो निवारक निरोध की विधि पारित कर सकती है। यही कारण है कि हमने नये संविधान के उद्घाटन के समय, २६ जनवरी, १९५० को इस दिशा में कोई और कदम नहीं बढ़ाया था।

लेकिन संयोग तो देखिये कि उसके एक महीने बाद ही, भारत के प्रथम गृह-कार्य मंत्री को संसद् के समक्ष अधिनियम रखना पड़ा था। उस समय देश की परिस्थिति चिन्ता जनक हो गई थी। और इसलिये श्री वल्लभ भाई पटेल को बड़ी दुविधा और चिन्ता के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा था कि देश की परिस्थितियां अभी लोकतांत्रिकता के लिये यथेष्ठ रूप से परिपक्व नहीं हो पाई हैं और इसीलिये एक विधेयक द्वारा इसकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। संसद् में निवारक निरोध सम्बन्धी विधि को एक वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति देने की मांग करते हुए, श्री पटेल ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा था।

आप देखेंगे कि सत्तारूढ़ दल ने बड़ी उदारता तथा संयम से काम किया है। मैं यही बताना चाहता हूँ। यदि हम चाहते तो १९५० में ही इस निवारक निरोध अधिनियम को हमेशा के लिए संविधि पुस्तक में सम्मिलित कर देते। पर हमने ऐसा नहीं किया।

उसके बाद इस अधिनियम की अवधि हमने ३ बार बढ़ाई पर थोड़े-थोड़े समय के लिए ही बढ़ाई। १९५२ में हम इसे बढ़ाना चाहते थे उस समय सामान्य चुनाव होने वाले थे और हम चाहते थे कि नये निर्वाचित संसद को इस पर विचार करने का पूरा अवसर मिले। अतः उस समय हमने केवल ६ महीने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। कई सप्ताह तक वाद-विवाद होने के बाद सभा इस निर्णय पर पहुंची थी कि इसकी अवधि बढ़ाई जाये।

यद्यपि उस समय इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने की मांग स्वीकृत हो गयी पर अधिनियम के उपबन्धों को हमने काफी उदार बना दिया। अतः यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस प्रकार के अधिनियमों द्वारा कांग्रेस अपनी शक्ति को संगठित करना चाहती है। कांग्रेस की शक्ति इस प्रकार के अधिनियमों या अवैध उपायों से नहीं बढ़ रही है बल्कि इसलिए बढ़ रही है कि जनता पर कांग्रेस का पूरा हाथ है। मैं मानता हूँ कि चुनाव के समय पर या अन्य किन्हीं अवसरों पर हमसे कुछ गलतियां हुई हों पर हमेशा ये गलतियां नहीं हुई। इधर-

उधर के अनर्गल प्रचारों से हमारी कोई विशेष हानि नहीं होती जैसा कि अन्य दल वाले समझते हैं कि इस प्रकार के प्रचार से हमारी हानि होगी। जहाँ तक जनता पर कांग्रेस के अधिकार का प्रश्न है मैं बता देना चाहता हूँ कि दूसरे सामान्य चुनाव में भी जनता पर कांग्रेस का पहले का सा ही प्रभाव रहा और संसद में हमारे बहुमत की वृद्धि हुई है।

अतः हमें यह देखना है कि क्या देश का समर्थन हमें प्राप्त है या नहीं ? ध्यान रहे कि हम कुछ कानून पास करने के लिए इस बहुमत का नाजायज फायदा नहीं उठा रहे हैं। यह कानून उचित नहीं है और इसको पास करके लागू करने में हमें कोई प्रसन्नता नहीं होती। पर हम क्या करें हम स्थिति से मजबूर हैं। सरकार को सभी प्रकार की आकस्मिक कठिनाइयों का सामना करने के लिये तैयार रहना पड़ता है।

कभी-कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उनको न्यायालय में ले जाना समाज के हित में नहीं होता तो क्या समाज के हितों की रक्षा न करके हम ऐसे मामलों को न्यायालय में ले जाने की अनुमति दे दें। आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस दल को इस अधिनियम का समय बढ़ाने की मांग के परिणामों के बारे में पता है और उसे यह भी पता है कि यह कोई प्रशंसनीय विधान नहीं है फिर भी कांग्रेस दल इसकी अवधि बढ़ाना आवश्यक समझता है। अन्य दलों के लोगों को अधिकार है कि वे हमारी बातों को गलत दृष्टिकोण से समझें या उनका गलत प्रचार करें जैसा कि वे करते आये हैं।

हमें भारत के नवजात लोकतंत्र की रक्षा करना है। अन्य देशों में भी इसी प्रकार के उपायों का सहारा लिया गया है। मैं उसके उदाहरण भी दे सकता हूं। आयरलैण्ड का उदाहरण ले लीजिए। १९२२ ई० में वहां लोकतन्त्र की स्थापना हुई पर कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि सामान्य विधियों से ठीक काम नहीं चल सकेगा। अतः १९३९ में उनको भी इसी प्रकार का एक कानून बनाना पड़ा। अतः स्पष्ट है कि अन्य देशों में भी इस प्रकार का कानून है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सम्पूर्ण भारत के हित के लिए है किसी विशेष दल के हित के लिए नहीं है। यदि हम इस अधिनियम द्वारा अपने दल का स्वार्थ सिद्ध करना चाहते तो हम इसे हमेशा के लिए संविधि पुस्तक में सम्मिलित कर देते।

जब जब इस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जाती है संसद को इस पर चर्चा करने का पूरा अवसर दिया जाता है। हमने यह भी कहा है कि इस निवारक निरोध अधिनियम के अधीन हम जो कुछ भी काम करेंगे उसका वार्षिक विवरण हम सभा पटल पर भी रखेंगे। १९५४ के बाद लगभग हर साल इस विधेयक पर सभा में विचार भी होता रहा है। इस अधिनियम के अधीन हमने जो कुछ भी किया है सभा ने हमेशा उसका अनुमोदन भी किया है। अतः यह कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि सरकार अपनी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए इस की अवधि बढ़ाना चाहती है और जनता इस अधिनियम को बढ़ाना नहीं चाहती। देश की जनता हमारे साथ है क्योंकि हम बड़ी बड़ी विकास योजनायें चला रहे हैं। हमारे लोकतंत्र का काम बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस काम में यदि कोई रूकावटें पैदा की जाती हैं तो सरकार को उन रूकावटों को हटाना पड़ता है और वह हटाती है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि निरोधों की संख्या किस प्रकार धीरे धीरे कम हो रही है। १९५० में जब यह अधिनियम पारित हुआ था उस समय निरुद्ध व्यक्तियों की

[श्री दातार]

संख्या १०,९६२ थी । १९५१ में यह संख्या एक तिहाई रह गई । पहले ही साल में यह संख्या १०,९६२ से घटकर २,३१६ रह गई । १९५२ में यह संख्या १,११६ और १९५३ में ९३१ रही । १-१०-५४ से ३१-१२-५५ तक अर्थात् १ वर्ष ३ महीने तक यह संख्या ४८९ रही । उसके बाद १-१-५६ से ३०-११-५६ तक यह संख्या २०० रही । १-११-५६ से ३०-९-५७ तक यह संख्या २९२ रही । अतः स्पष्ट है कि निरोध की संख्या धीरे धीरे घटती ही रही है और ११,००० से घटकर २९२ रह गई है ।

इन मामलों के सम्बन्ध में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सभी मामले मंत्रणा बोर्ड के सामने भी भेजे जाते हैं और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने इस बोर्ड के बारे में कहा है कि यह बोर्ड किसी न्यायिक संस्था से कम नहीं है ।

मेरे माननीय मित्र श्री डांगे ने एंग्लो-सैक्शन न्यायशास्त्र के बारे में प्रकाश भी डाला । मैं बताना चाहता हूं कि हमारा संविधान बहुत हद तक उसी के आधार पर बना है । हमारी विधि प्रणाली भी उसी के आधार पर है । ऐसा लगता है कि मेरे मित्र श्री डांगे को एंग्लो-सैक्शन न्यायशास्त्र से कोई प्रीति नहीं है और उन्होंने कुछ अनावश्यक तर्कों को उस के आधार पर प्रतिपादित करने की कोशिश की थी । पर ध्यान रहे कि राज्य का हित व्यक्तिगत हित से अधिक महत्वपूर्ण चीज है । इसी कारण उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने कहा है कि यदि मंत्रणा बोर्ड किसी मामले के बारे में कुछ निर्णय कर देगा तो उसकी अपील संविधान के अनुच्छेद २३२ के अनुसरण में स्वीकार नहीं की जायेगी । यह मंत्रणा बोर्ड हर दृष्टिकोण से एक न्यायिक संस्था समझी जायेगी । यह मैं मानता हूं कि इन मामलों में न्यायालय में अपील करने का अधिकार तो नहीं है पर कोई भी व्यक्ति अपने मामले की पैरवी मंत्रणा बोर्ड में कर सकता है । खुद सफाई दे सकता है । अतः यह कहना गलत है कि मंत्रणा बोर्ड तो एक काल्पनिक या नाममात्र की संस्था है ।

निरोध का प्रत्येक मामला इस मंत्रणा बोर्ड के सामने रखा जाता है । उस मामले से सम्बद्ध सब पत्र उसके सामने रखे जाते हैं । इस बोर्ड के सदस्य या तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं या इस पद के लिए सक्षम व्यक्ति होते हैं । ध्यान देने की बात है कि यह बोर्ड राज्य सरकारों से बहुत थोड़े मामलों में ही असहमत रहा है । मेरे पास आंकड़े हैं जिसमें बताया गया है कि विरोध के ७२ प्रतिशत मामलों में बोर्ड राज्य सरकारों के निर्णय से सहमत रहा है केवल २८ प्रतिशत मामलों में बोर्ड का निर्णय भिन्न रहा है ।

बम्बई का मामला लीजिए । बम्बई में एक उपद्रव हुआ था । मैं किसी भी संस्था या दल का नाम इस संबंध में नहीं लूंगा पर इतना अवश्य कहूंगा कि यह एक अशोभनीय बात थी । उस समय सौभाग्य से श्री मोरारजी देसाई बम्बई के मुख्य मंत्री थे । शासन के काम को ठीक प्रकार से चलाने के लिए मोरारजी देसाई जैसे व्यक्तियों की ही आवश्यकता है । बम्बई में ऐसी अशान्ति के काल में भी कुल ९४ व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया । इन ९४ व्यक्तियों में भी ५१ महा बम्बई के । २९ अहमदाबाद तथा १४ शेष बम्बई राज्य के व्यक्ति थे । इन ९४ मामलों में मंत्रणा बोर्ड ने ७० मामलों में राज्य सरकार की आज्ञा का अनुमोदन किया केवल २४ मामलों में निरुद्ध लोगों को छोड़ दिया गया ।

पंजाब का मामला लीजिए । पंजाब में भाषा के आधार पर एक आन्दोलन चल रहा है । पंजाब सरकार ने सामान्य विधि का ही सहारा लिया है और कुल ७,९९५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । इन व्यक्तियों में से केवल २५ व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया ।

मद्रास में रामनाथपुरम् के दंगे के मामले में एक दल के नेता श्री मथुरामलिंगम् थेवर को ही निरुद्ध किया गया है वह इस सभा के सदस्य हैं । मैं इस मामले में अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि इस दंगे से सम्बन्धित अनेक मामले न्यायालय में चल रहे हैं ।

श्रीमती रेणुका राय ने ठीक ही पूछा है कि क्या हम इस अधिनियम का उचित तथा पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं या नहीं ? उनके इस प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है । मैं बताना चाहता हूं कि यदि यह अधिनियम संविधि पुस्तक में सम्मिलित होता तो राज्य सरकारें इसका उपयोग अवश्य करती और इससे गड़बड़ी होने का डर रहता । ध्यान रहे कि इस अधिनियम की किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाता । राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को भी इसलिए निरुद्ध नहीं करतीं कि वह किसी विशेष दल का सदस्य है बल्कि इस बात के अन्य कई कारण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें निरुद्ध किया जाता है ।

इन सब बातों के होते हुये भी निरोधों की संख्या बहुत कम है । यदि सरकार किसी विशेष राजनैतिक दल के विरुद्ध इस कानून का उपयोग करना चाहती तो गिरफ्तारियों और निरोधों की संख्या बहुत अधिक होती । हमारे माननीय मित्र हमारी इतनी आलोचनायें करते हैं फिर भी हम बहुत शान्ति से काम कर रहे हैं क्यों कि हमें शासन चलाना है । हमारे ऊपर एक बड़े भारी देश का शासन चलाने का उत्तरदायित्व है ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं । इनके संबंध में १-११-५५ से अब तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं । मैं बताना चाहता हूं कि उच्च न्यायालयों के सामने निरोध के जितने मामले आये उनमें से कितने मामलों में निरुद्ध व्यक्तियों को छोड़ दिया गया ।

१-१०-५५ से ३१-१२-५५ तक उच्च न्यायालय ने केवल एक निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ा । १-१-५६ से ३१-३-५६ की अवधि में ७ निरुद्ध व्यक्तियों को छोड़ा गया । इस अवधि में बम्बई में अनेक उपद्रव हुये थे । इन ७ व्यक्तियों का ब्योरा यह है ; बम्बई में १, दिल्ली में ५ और राजस्थान में १ । १-४-५६ से ३१-१०-५६ तक की अवधि में १७ व्यक्तियों को छोड़ा गया जिनमें से ११ मध्य प्रदेश में और ६ राजस्थान में । १-११-५६ से ३०-९-५७ तक केवल २ व्यक्तियों को छोड़ा गया । एक मामले में छोड़ने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था और एक मामले में बिहार उच्च न्यायालय ने । इस प्रकार १-१०-५५ से ३०-९-५७ तक उच्च न्यायालयों द्वारा ३३ व्यक्तियों को और उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल एक व्यक्ति को मुक्त किया गया ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों ने कुछ निरुद्ध व्यक्तियों के छोड़े जाने की अनुमति दे दी । इस संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि निरुद्ध व्यक्ति या उनके समर्थकों के जितने मामले उच्च न्यायालयों में गये उनमें से केवल ३७ मामलों में न्यायालयों ने उनके छोड़े जाने की आज्ञा दी है तो क्या इससे पता नहीं लगता कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय हमारे पक्ष में है ।

[श्री दातार]

इन परिस्थितियों में इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इसकी ब्योरेवार चर्चा की जाये । संसद् ने जो कुछ भी किया है, उस पर उच्चतम न्यायालय का जो मत है वह नीचे दिया जाता है :—

> "निवारक निरोध अधिनियम का उद्देश्य निस्सन्देह दण्ड देना नहीं है, बल्कि निरोध करना है ।"

इसी कारण हमें इस अधिनियम का सहारा लेना पड़ता है । देश में तरह तरह के समाज विरोधी काम होते रहते हैं । मैं उन सब का उल्लेख नहीं कर सकता । तरह तरह के गुण्डे हैं, यदि इनके विरुद्ध कार्यवाही न की जाये तो वे छिपे-छिपे बदमाशियां करते हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही न करना बुजदिली है । अतः जब गड़बड़ी मचती है तो समाज और देश की सुरक्षा के लिये भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर के उन्हें बन्द करना आवश्यक हो जाता है ताकि देश के अनेकों लोगों और उनकी सम्पत्ति की रक्षा हो सके । यही इस अधिनियम का उद्देश्य है । लोगों को निरोध करने का अर्थ है समाज विरोधी कामों को रोकना । राज्य का हित इसी में है कि समाज विरोधी काम न होने पायें । उदाहरण के लिये, हमारे सामने अनेक ऐसी बातें आती हैं जिन्हें हम न्यायालय में सिद्ध नहीं कर सकते । क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार न्यायालय में हरेक बात का प्रमाण देना पड़ता है जो कि बहुत ही कठिन है । अतः यदि हम देखते हैं कि समाज के लिये, देश की शान्ति और सुरक्षा के लिये और लोगों के जीवन के लिये कोई खतरा है तो हम ऐसे व्यक्तियों को, जिनसे यह खतरा होता है, गिरफ्तार कर के निरुद्ध कर देते हैं ।

न्यायालयों का कहना है कि दो बातें ध्यान रखने लायक हैं । एक मूल अधिकारों की रक्षा । संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिये गये हैं । देश की शांति और राज्य के हित के लिये इन अधिकारों पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । जब यह निवारक निरोध अधिनियम बना था तो संसद् ने कार्यपालिका को इस संबंध में अधिकार दिया था । अतः हम कोई नियम विरोधी काम नहीं कर रहे हैं । क्योंकि बहुत से प्रतिक्रियावादी दल संसदीय गतिविधियों की आड़ में समाज विरोधी काम करते रहते हैं । अतः सरकार भारत की ३७ करोड़ जनता के जान और माल की रक्षा के लिये सावधानी बरतना चाहती है । अतः यदि इतने अधिक लोगों के लिये कुछ थोड़े से लोगों की स्वतंत्रता को छीनना पड़े तो यह कोई अनुचित बात नहीं है क्योंकि देश का हित व्यक्तिगत हित से बड़ी बात है । और आप देखेंगे कि निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी कम होती है । अतः मुझे आशा है कि पुरानी संसद् की भांति यह संसद् भी इस बात से सहमत हो जायेगी । आप यह बात स्वीकार करेंगे कि हमारे देश में बहुत कुछ अवांछनीय बातें हैं । हम बहुत सा ऐसा काम करते हैं जो हमारे या हमारे दल के लिये बिल्कुल हितकारी नहीं होता बल्कि समाज विरोधी होता है । ऐसी अवस्था में कानून कड़ा होना ही चाहिये ।

श्री नौशीर भरूचा ने, जो कि बहुत सिद्धान्तवादी व्यक्ति हैं, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, पंडित मालवीय तथा अन्य व्यक्तियों के नाम गिनाये । इस बात की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हम इन्हीं लोगों के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं । नेहरू जी भी इन्हीं बड़े लोगों में से हमारे देश के नेता हैं । इस बात से हम सभी लोग सहमत हैं । श्री डांगे ने भी यह बात स्वीकार की है कि श्री नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं । यदि

पंडित नेहरू जैसे बड़े आदमी किसी समय यह कहें कि देश की भलाई के लिये निरोधक कानून जैसा एक कानून बनाया जाये तो मैं समझता हूं कि हमारी संसद् ऐसे कानून के बनाने की जरूरत के महत्व को अवश्य समझ जायेगी और कानून बनाकर राज्य के हाथ में स्थिति का सामना करने की शक्ति अवश्य देगी । व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कुछ उपाय निश्चित किये गये हैं और वे बहुत पर्याप्त हैं । वे कल्पनात्मक उपाय नहीं हैं बल्कि महत्वपूर्ण भी हैं । इसी प्रकार एक ओर हम लोगों के अधिकार की रक्षा करते हैं और दूसरी ओर इस निवारक निरोध अधिनियम द्वारा समाज की रक्षा करते हैं ।

दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका को इस काम में बहुत समझ बूझ कर कदम उठाना चाहिये । यदि दोनों पक्ष एक-दूसरे को ठीक ठीक समझने लगें तो यह कठिनाई ही न हो । जैसे, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस विधि का उद्देश्य कोई राजनैतिक लाभ उठाना नहीं है । विरोधी दल के माननीय सदस्य अच्छी तरह से यह बात समझ लें कि यह विधेयक किसी दल विशेष के लाभ के लिये नहीं बनाया गया है बल्कि सम्पूर्ण भारत के हित के लिये बनाया गया है ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, राज्य गृह-मंत्री महोदय ने बहुत ही जोरदार शब्दों में यह दिखाने की कोशिश की कि निवारक निरोध कानून हिन्दुस्तान के लिये बहुत ही आवश्यक है । वे उन शब्दों के लिये कोई प्रतिष्ठा नहीं देना चाहते, उनका आदर नहीं करना चाहते जो इस सदन में इस कानून को पेश करते हुए स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल ने पेश किये थे । वे ये भी नहीं देखना चाहते कि जब दस हजार आदमियों को बन्द किया गया उस वक्त यह कानून एक साल के लिये जरूरी था, और उसके बाद जब डा० काटजू ने गृह-मंत्री महोदय की हैसियत से इस कानून को तीन साल के लिये रखा था तो उन्होंने यह वजह दी थी कि क्योंकि इस पार्लियामेंट के खत्म होने में अभी दो साल हैं और इसके खत्म होते ही आम चुनाव होंगे, इसलिये इस कानून को तीन साल के लिये बढ़ा दिया जाये आज यह नहीं बतलाया गया कि इस कानून को तीन साल के लिये क्यों बढ़ाया जा रहा है । कहते हैं कि अब यह समझा गया है कि इस कानून द्वारा जो शक्ति मिली है उसका जारी रखना आवश्यक होगा इसलिये तीन साल के लिये इसे बढ़ा दिया जाये । आखिर कोई वजह होनी चाहिये कि इसको तीन साल के लिये क्यों बढ़ा दिया जाये ।

कहते हैं कि आम कानून से शासन का काम नहीं चलाया जा सकता । अगर ऐसा है तो हमेशा के लिये इस कानून को बना दीजिये । यह क्या जरूरी है कि एक, दो या तीन साल के लिये लाया जाये और फिर आप यहां आकर कहें कि आम कानून से काम नहीं चलता है ।

इस कानून को चम्बल नदी के दोनों किनारों पर दो तरह से चलाया जाता है । यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश में जो कि चम्बल के दक्षिण में है इस कानून के अन्तर्गत एक साल में ४२ आदमियों को डाकुओं को प्रश्रय देने के जुर्म में नजरबन्द किया गया । रिपोर्ट से भी यह साबित होता है । लेकिन चम्बल के उत्तर में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, जहां कि दस्युराज मान सिंह रहता था, डाकुओं को प्रश्रय देने के जुर्म में ताजीरात हिन्द की दफा २१६ के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये और इस तरह उस चीज को कंट्रोल किया गया । तो यह कोई वजह नहीं है कि साधारण कानून से काम नहीं चलता इसलिये इस कानून को बढ़ाया जाये ।

†**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि अभी माननीय सदस्य काफी समय लेंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : जी, हां ।

†**सभापति महोदय** : अब सभा स्थगित होगी ।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२०८५–२१०७
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
६००	'विमको' (दियासलाई के कारखाने) में हड़ताल	२०८५–८६
६०१	द्वितीय वेतन आयोग	२०८६–८७
६०२	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा वैज्ञानिकों को अनुदान	२०८८–८६
६०३	भिलाई में रिफ्रैक्टरी स्टोरेज की इमारत	२०८६
६०४	उत्तुंग गवेषणा केन्द्र	२०६०
६०६	विश्व युवक संगठन	२०६१–६२
६०७	भारत पुनर्बीमा निगम	२०६३
६०६	भारत का राज्य बैंक	२०६३–६५
६१२	चित्तौड़ का किला	२०६५–६७
६१३	राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन	२०६७–६८
६१४	अफीम फैक्टरी, गाजीपुर	२०६८–२१००
६१६	व्यावहारिक अर्थशास्त्र गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद्	२१००–०१
६१८	काश्मीर में लिगनाइट के निक्षेप	२१०१–०२
६१६	डा० बी० आर० अम्बेडकर के निधन सम्बन्धी जांच	२१०२–०५
६२०	दिल्ली के कालेजों में प्रवेश	२१०५–०७
६२१	पुरातत्ववेत्ताओं का प्रशिक्षण	२१०७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२१०८–५०
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
६०५	बैंकिंग समवाय अधिनियम, १६४६	२१०८
६१०	युवक समारोह	२१०८
६११	हिमाचल प्रदेश में मन्दिर	२१०८–०६
६१५	दिल्ली के साहूकार	२१०६
६१७	पंजाब में चूने के पत्थर का निक्षेप	२१०६–१०
६२२	संयुक्त स्कंध समवाय	२११०
६२३	छावनियों का स्थानीय निकायों में विलीनीकरण	२११०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:		
तारांकित प्रश्न संख्या		
६२४	पंजाब में खानों का बन्द किया जाना	२११०—११
६२५	श्री वी० वी० गिरि का निर्वाचन	२१११
६२६	आण्विक युद्धकला में प्रशिक्षण	२११२
६२७	वरिष्ठ सेवा समिति प्रतिवेदन	२११२
६२८	पिछड़ी जातियां	२११३
४८७	रूस को भारतीय शिक्षा शास्त्रियों का प्रतिनिधिमण्डल	२११३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२९३	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	२११३
१२९४	प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक	२११३—१४
१२९५	लाहौल और स्पिति क्षेत्रों का विकास	२११४
१२९६	शिलांग में जल संभरण	२११४—१५
१२९७	शिक्षा सम्बन्धी अनुदान	२११५—१६
१२९८	आग बुझाने के उपकरण	२११६
१२९९	भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, आबू	२११६—१७
१३००	श्रेणी तीन की नियुक्तियां	२११८
१३०१	दण्डित व्यक्तियों की नियुक्ति	२११८
१३०२	सेवा नियम	२११८—१९
१३०३	निगमों में भर्ती	२११९
१३०४	भाषाई अल्पसंख्यक	२११९
१३०५	केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड	२१२०
१३०६	क्लर्कों की भर्ती	२१२०
१३०७	त्रिपुरा में भूमि का सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त	२१२०—२१
१३०८	हिन्दी की परीक्षायें	२१२१
१३०९	पंचांग सुधार समिति की रिपोर्ट	२१२१
१३१०	चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिये मिट्टी	२१२२
१३११	१९५१ की जनगणना	२१२२
१३१२	दिल्ली पुलिस फ्लाइंग स्क्वैड	२१२२—२३
१३१३	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का इतिहास	२१२३
१३१४	गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस की कागज सम्बन्धी आवश्यकता	२१२३—२४
१३१५	गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस में सेवाओं की अवधि में वृद्धि	२१२४
१३१६	गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस में तलाशी लेने वाले चपरासी	२१२४
१३१७	पाकिस्तान से प्रतिभूति-निक्षेपों के धन का हस्तांतरण	२१२५
१३१८	मराठवाड़ा में कल्याण प्रसार परियोजनायें	२१२५
१३१९	मराठवाड़ा में पुस्तकालय—आन्दोलन	२१२६
१३२०	बम्बई का उच्चन्यायालय	२१२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१३२१	दया याचिकायें	२१२६—२७
१३२२	युद्ध सामग्री कारखानों में शिक्षार्थी	२१२७
१३२३	बन्दियों की रिहाई	२१२७
१३२४	रियायती टिकट (पी० टी० ओ)	२१२७
१३२५	राजस्थान में अनुसूचित जातियों का कल्याण	२१२७—२८
१३२६	नाविक प्रशिक्षण	२१२८
१३२७	हिमाचल प्रदेश में बहु प्रयोजनीय स्कूल	२१२८
१३२८	पत्रकार-कला का पाठ्य-क्रम	२१२८—२९
१३२९	फतेहपुर सीकरी के स्मारक	२१२९
१३३०	पंजाब में प्रादेशिक भाषाओं का विकास	२१२९
१३३१	पूर्वी हिमाचल का वैज्ञानिक अनुसंधान	२१२९—३०
१३३२	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्	२१३०
१३३३	सर्वेक्षण कार्य और नक्शे तैयार करना	२१३०—३१
१३३४	दिल्ली विश्वविद्यालय	२१३१
१३३५	उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२१३१—३२
१३३६	संयुक्त स्कन्ध समवाय	२१३२—३३
१३३७	संयुक्त स्कन्ध समवाय	२१३३
१३३८	अनुसूचित जातियों का कल्याण	२१३३
१३३९	बीकानेर के भूतपूर्व सैनिक	२१३३—३४
१३४०	अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास सम्मेलन, सानफ्रांसिस्को	२१३४
१३४१	इन्फलुएंजा का टीका	२१३४—३५
१३४२	छात्रवृत्तियां	२१३५
१३४३	जीवन बीमा निगम	२१३५—३६
१३४४	मनीपुर प्रशासन	२१३६
१३४५	प्राइमरी स्कूल के चौकीदार	२१३६—३७
१३४६	मनीपुर में नेपाली	२१३७
१३४७	पीने के पानी में जहर मिलाना	२१३७
१३४८	भारत में अमरीकी पूंजी विनियोजन	२१३८
१३४९	विदेशों में क्रय मिशन	२१३८
१३५०	कार नीकोबार व्यापार समवाय	२१३८
१३५१	अन्दमान को पुनर्वास ऋण	२१३९
१३५२	अन्दमान द्वीप का परिवहन विभाग	२११९—४०
१३५३	भ्रष्टाचार निरोधक समिति	२१४०
१३५४	कानपुर विमान बल केन्द्र के असैनिक कर्मचारी	२१४०
१३५५	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग	२१४०—४१
१३५६	सीक्योरिटी प्रेस, नासिक	२१४१—४२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३५७	नासिक के सिक्योरिटी प्रेस में आग	२१४२
१३५८	सीक्योरिटी प्रेस, नासिक	२१४२
१३५९	त्रिपुरा में टाइल बनाने का कारखाना	२१४३
१३६०	हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली	२१४३
१३६१	पिछड़े वर्गों के लिये भवन	२१४३–४४
१३६२	बाल अपराधी	२१४४
१३६३	कर्मचारियों का स्थायीकरण	२१४४–४५
१३६४	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	२१४५
१३६५	"भगवान बुद्ध"	२१४६
१३६६	जीवन बीमा निगम	२१४६
१३६७	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	२१४६
१३६८	भारतीय नौसेना द्वारा एक तलकर्षिणी का क्रय	२१४७
१३६९	सीमा शुल्क विनियमन	२१४७
१३७०	राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र	२१४७–४८
१३७१	प्रतिरक्षा संस्थापनों में हिन्दी अध्यापक	२१४८
१३७३	पुनर्वास वित्त प्रशासन	२१४८
१३७४	त्यौहारों पर दिया जाने वाला अग्रिम वेतन	२१४९
१३७५	रूस सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां	२१४९–५०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		२१५०

संविधान के अनुच्छेद ३२३(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी :—

(१) १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिये संघ लोक-सेवा आयोग का प्रतिवेदन

(२) १९५६–५७ में आयोग की सलाह स्वीकार न करने के कारण बताने वाला ज्ञापन

राज्य-सभा से संदेश	२१५०

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त इस संदेश का उल्लेख किया कि लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९५७ को पारित नौ सेना विधेयक १९५७ को राज्य-सभा ने अपनी ४ दिसम्बर, १९५७ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

विषय पृष्ठ

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . २१५१

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक, १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय १६ दिसम्बर, १९५७ तक बढ़ा दिया गया।

विचाराधीन विधेयक २१५१–२१८३

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, १९५७ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार, १० दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि—

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर और आगे विचार तथा उसका पारित किया जाना और मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक पर विचार।